



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआई/2014-15/69

बैंपविवि. सं. डीआईआर.बीसी. 19 /04.02.002/2014-15

1 जुलाई 2014

10 आषाढ़ 1936 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को छोड़कर)

महोदय/महोदया

रुपया/विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण तथा निर्यातकों को ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र

कृपया [1 जुलाई 2013 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआईआर.\(ईएक्सपी\)सं.16/04.02.002/2013-14](#) देखें, जिसमें रुपया / विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण तथा निर्यातकों को ग्राहक सेवा पर बैंकों को 30 जून 2013 तक जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों को समेकित किया गया था। उक्त मास्टर परिपत्र को 30 जून 2014 तक जारी अनुदेशों को शामिल करते हुए समुचित रीति से अद्यतन कर दिया गया है तथा उसे भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है। संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रति संलग्न है।

भवदीया

(लिली वडेरा)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, 13वीं मंजिल केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई 400001

Department of Banking Operations and Development, Central Office, 13th floor, Central Office Bldg.,
Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001

टेलिफोन /Tel No:91-22-22601000 फैक्स/Fax No:91-22-22701241 Email ID: cgmicdbodco@rbi.org.in

हिन्दी आसान है इसका प्रयोग बढ़ाइए

मास्टर परिपत्र

रुपया / विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण तथा निर्यातकों को ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र विषयवस्तु

| क्र.सं. | विवरण | पृष्ठ सं. |
|---------|--|-----------|
| क | प्रयोजन | 4 |
| ख | वर्गीकरण | 4 |
| ग | पिछले समेकित अनुदेश | 4 |
| घ | प्रयोज्यता की व्याप्ति | 4 |
| | संरचना | 5 |
| | प्रस्तावना | 6 |
| | भाग-क -रुपया निर्यात ऋण | |
| 1 | पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण | 7 |
| 2 | पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण | 18 |
| 3 | मानित निर्यात -रियायती रुपया निर्यात ऋण | 24 |
| 4 | रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज | 25 |
| | भाग-ख - विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण | |
| 5 | विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व निर्यात ऋण (पीसीएफसी) | 32 |
| 6 | विदेशी मुद्रा में पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण | 43 |
| 7 | विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज | 47 |
| | भाग-ग - निर्यात ऋण- ग्राहक सेवा, निर्यात ऋण दिए जाने से संबंधित क्रियाविधि का सरलीकरण और रिपोर्ट भेजने संबंधी अपेक्षाएं | |
| 8 | ग्राहक सेवा तथा कार्यविधि का सरलीकरण | 48 |
| 9 | रिपोर्ट भेजने संबंधी अपेक्षाएँ | 57 |
| 10 | हीरा निर्यातकों को लदानपूर्व ऋण- कान्फ्लिक्ट डायमंडस् | 58 |
| 11 | अनुबंध 1 - निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल की सिफारिशें | 59 |
| 12 | अनुबंध 2 - निर्यात ऋण डेटा (संवितरण /बकाया) | 61 |
| 13 | अनुबंध 3 - हीरा ग्राहकों से प्राप्त किया जानेवाला वचन-पत्र | 63 |
| 14 | अनुबंध 4 - 14 जनवरी 2013 की छठी ब्याज दर सहायता योजना में शामिल इंजिनियरिंग माल की 134 टैरिफ लाइनें | 64 |

| | | |
|----|---|----|
| 15 | अनुबंध 5 - ब्याज दर सहायता योजना में शामिल इंजिनियरिंग माल की 101 टैरिफ लाइनों पर 24 मई 2013 का परिपत्र | 71 |
| 16 | अनुबंध 6 - ब्याज दर सहायता योजना में शामिल वस्त्र माल की 6 टैरिफ लाइनों पर 24 मई 2013 का परिपत्र | 76 |
| 17 | परिशिष्ट I - रुपया निर्यात ऋण - परिपत्र | 77 |
| 18 | परिशिष्ट II - विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण - परिपत्र | 88 |
| 19 | परिशिष्ट III- निर्यात ऋण - ग्राहक सेवा - परिपत्र | 90 |

रुपया / विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण
तथा निर्यातकों को ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र

क. प्रयोजन

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्यात ऋण और निर्यातकों को ग्राहक सेवा संबंधी नियमों/ विनियमों और स्पष्टीकरणों का समेकन

ख. वर्गीकरण

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एक सांविधिक निदेश

ग. पिछले समेकित अनुदेश

यह मास्टर परिपत्र परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों और वर्ष के दौरान जारी किए गए स्पष्टीकरणों में निहित सभी अनुदेशों को समेकित तथा अद्यतन करता है।

घ. प्रयोज्यता की व्याप्ति

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर लागू।

संरचना

भाग-क

रुपया निर्यात ऋण

1. पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण
2. पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण
3. मानित निर्यात - रुपया निर्यात ऋण के लिए निर्धारित दर
4. रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज

भाग-ख

विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण

5. विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व निर्यात ऋण
6. विदेशी मुद्रा में पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण
7. विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज

भाग-ग

निर्यात ऋण- ग्राहक सेवा, निर्यात ऋण दिए जाने से संबंधित क्रियाविधि का सरलीकरण और रिपोर्ट भेजने संबंधी अपेक्षाएं

8. ग्राहक सेवा तथा क्रियाविधि का सरलीकरण
9. रिपोर्ट भेजने संबंधी अपेक्षाएं
10. हीरों के निर्यातकों को पोतलदानपूर्व ऋण - कॉनफ्लिक्ट डायमंड
11. अनुबंध 1 निर्यात ऋण समीक्षा हेतु गठित कार्य दल की सिफारिशें
12. अनुबंध 2 निर्यात ऋण के आंकड़े (वितरण/ बकाया)
13. अनुबंध 3 हीरों के ग्राहकों से वचनपत्र
14. परिशिष्ट I रुपया निर्यात ऋण -परिपत्र
15. परिशिष्ट II विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण - परिपत्र
16. परिशिष्ट III निर्यात ऋण - ग्राहक सेवा- परिपत्र

प्रस्तावना

निर्यात ऋण योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1967 में पहली बार निर्यात वित्तपोषण की योजना लागू की। इस योजना का उद्देश्य था निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों के अनुरूप दरों पर अल्पावधि कार्यशील पूँजी वित्त उपलब्ध कराना।

30 जून 2010 तक प्रभावी पिछली योजना के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यात ऋणों के लिए केवल ब्याज की उच्चतम दर तय की जबकि, बैंकों को बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) तथा स्प्रेड दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा उधारकर्ताओं के पिछले रिकार्ड और जोखिम निर्धारण को विचार में लेकर उच्चतम सीमा के भीतर ब्याज दरों के निर्धारण की छूट दी गई। बैंकों के ऋण उत्पादों के ब्याज-दर निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे (i) निधियों की वास्तविक लागत, (ii) परिचालन के खर्च और (iii) प्रावधान करने की विनियामक आवश्यकता/पूँजी प्रभार और लाभ का मार्जिन कवर करने के लिए न्यूनतम मार्जिन को ध्यान में रखते हुए बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) निर्धारित करें। तथापि, वर्ष 2003 में प्रारंभ की गई बीपीएलआर प्रणाली उधार दरों में पारदर्शिता लाने के अपने मूल उद्देश्य को पाने में असफल रही। इसका मुख्य कारण यह था कि बीपीएलआर प्रणाली के अंतर्गत बैंक बीपीएलआर से कम दर पर उधार दे सकते थे। इसी कारण बैंकों की उधार दरों में रिज़र्व बैंक की नीति दरों के संचरण का मूल्यांकन करना भी कठिन था।

तदनुसार, बेंचमार्क मूल उधार दर पर गठित कार्यदल (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती) की सिफारिशों के आधार पर बैंको को सूचित किया गया कि वे 1 जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली में अंतरित हो जाएं। आधार दर प्रणाली का उद्देश्य है बैंकों की उधार दरों में अधिक पारदर्शिता लाना और मौद्रिक नीति के संचरण का बेहतर मूल्यांकन करना। 1 जुलाई 2010 से लागू होने वाली आधार दर प्रणाली के अंतर्गत रूपया निर्यात ऋण अग्रिमों की सभी अवधियों पर लागू होने वाली ब्याज दरें आधार दर के बराबर अथवा उससे अधिक हैं।

भाग - क
रुपया निर्यात ऋण

1. पोतलदानपूर्व निर्यात ऋण

1.1 रुपया पोतलदानपूर्व ऋण / पैकिंग ऋण

1.1.1 परिभाषा

पोतलदानपूर्व /पैकिंग ऋण किसी बैंक द्वारा किसी निर्यातक को मंजूर किया गया या दिया गया ऐसा ऋण या अग्रिम है जो भारत से बाहर स्थित किसी आयातक द्वारा निर्यातक या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में खोले गए साख-पत्र के आधार पर या भारत से वस्तुओं/सेवाओं के निर्यात के लिए पुष्ट और अपरिवर्तनीय आदेश या निर्यातक या किसी अन्य व्यक्ति को भारत से बाहर निर्यात करने संबंधी आदेश के किसी अन्य साक्ष्य के आधार पर (बशर्ते निर्यात आदेश दिए जाने या बैंक में साखपत्र खोले जाने से छूट न दे दी गई हो) पोतलदान से पहले वस्तुओं के क्रय, प्रसंस्करण, विनिर्माण या पैकिंग कार्यों / सेवाएं देने के लिए कार्यकारी पूंजीगत व्यय के लिए अपेक्षित वित्त के रूप में उपलब्ध कराया गया हो ।

1.1.2 अग्रिम की अवधि

- (i) पैकिंग ऋण संबंधी अग्रिम कितनी अवधि के लिए दिया जाए, यह प्रत्येक मामले में माल प्राप्त करने/सेवाएं प्रदान करने में लगने वाले समय, उसके विनिर्माण या प्रसंस्करण (जहाँ आवश्यक हो) और माल को जहाज पर लादने में लगने वाले समय पर निर्भर करेगा। यह मुख्यतः बैंक का दायित्व है कि वह विभिन्न परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए स्वयं निर्धारित करे कि पैकिंग ऋण संबंधी अग्रिम कितनी अवधि के लिए दिया जाए ताकि निर्यातक को इतना समय मिल सके कि वह माल को जहाज में लाद सके/ सेवाएं प्रदान कर सके।
- (ii) अग्रिम की तारीख से 360 दिनों के भीतर यदि निर्यात संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करके पोतलदानपूर्व अग्रिम समायोजित नहीं कर दिया जाता तो निर्यातक को दिए गए अग्रिम पर प्रारंभ से ही निर्यात ऋण के लिए निर्धारित ब्याज दर की सुविधा नहीं दी जाएगी।
- (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (एमपीडी) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक केवल 180 दिन तक की अवधि के लिए ही पुनर्वित्त उपलब्ध कराएगा ।

1.1.3 पैकिंग ऋण का संवितरण

- (i) सामान्यतः, मंजूर किया गया प्रत्येक पैकिंग ऋण अलग-अलग खाते के रूप में रखा जाना चाहिए ताकि मंजूरी की अवधि और ऋण के उद्दिष्ट उपयोग पर नजर रखी जा सके।
- (ii) आदेश / साख-पत्र के कार्यान्वयन के लिए बैंक पैकिंग ऋण एक बार में या आवश्यकता के अनुसार कई चरणों में उपलब्ध करा सकते हैं।
- (iii) निर्यात की जानेवाली वस्तुओं के प्रकार के आधार पर (जैसे दृष्टिबंधक, बंधक इत्यादि) बैंक प्रसंस्करण, विनिर्माण इत्यादि विभिन्न चरणों पर अलग-अलग खाते रख सकते हैं तथा वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसे खातों के बकाया शेषों का समायोजन, एक खाते से दूसरे खाते में अंतरण द्वारा और अंततोगत्वा क्रय, छूट, इत्यादि के उपरांत संबंधित निर्यात-दस्तावेजों की आय से, कर लिया जाता है।
- (iv) बैंकों को ऋण की राशि के उद्दिष्ट उपयोग पर कड़ी नजर रखनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराये गए ऋण का उपयोग निर्यात संबंधी वास्तविक आवश्यकताओं के लिए ही किया जा रहा है। बैंकों को निर्यात संबंधी आदेशों के ठीक समय से कार्यान्वयन के मामले में निर्यातकों द्वारा की जा रही कार्रवाई पर भी नजर रखनी चाहिए।

1.1.4 पैकिंग ऋण का परिसमापन

- (i) सामान्य
किसी निर्यातक को स्वीकृत किया गया पैकिंग ऋण / पोतलदानपूर्व ऋण निर्यात की गई वस्तुओं के लिए बनाए गए बिलों की खरीद, डिस्काउंट आदि के बाद की प्राप्ति से परिसमाप्त किया जाए। इस प्रकार पोतलदान पूर्व ऋण को पोतलदानोत्तर ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, निर्यातक और बैंकर के बीच आपसी सहमति के अधीन इसे, विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (ई ई एफ सी खाते) के शेष तथा निर्यातक द्वारा किए गए वास्तविक निर्यात के बराबर निर्यातक के रुपयों के संसाधनों से भी चुकता/समय से पूर्व अदा किया जा सकता है। यदि ऋण का इस प्रकार परिसमापन/ चुकौती न हो सके तो बैंक पैरा 4.2.3 में दर्शाए गए अनुसार अग्रिम की तिथि से ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- (ii) निर्यात मूल्य से अधिक पैकिंग ऋण
 - (क) जहाँ उप-उत्पाद का निर्यात किया जा सकता हो
जिन मामलों में काजू इत्यादि जैसे कृषि-उत्पादों के प्रसंस्करण के कारण होने वाली छीजत के चलते निर्यातक पैकिंग ऋण को समाप्त करने के लिए समान मूल्य का निर्यात

बिल प्रस्तुत नहीं कर सकता है, उनमें बैंक निर्यातकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात की अनुमति दे सकते हैं कि वे काजू का तेल इत्यादि जैसे उप-उत्पादों से संबंधित आहरित निर्यात बिलों द्वारा अधिक पैकिंग ऋण का समापन कर सकें।

(ख) जहाँ आंशिक रूप से घरेलू बिक्री की शामिल हो

यद्यपि, तंबाकू, काली मिर्च, इलायची, काजू इत्यादि जैसे कृषि-आधारित उत्पादों के निर्यात के मामले में, निर्यातक उत्पाद थोड़ी अधिक मात्रा में खरीदे तथा उसे निर्यात योग्य व न निर्यात योग्य श्रेणियों में रखे और केवल निर्यात योग्य श्रेणी की वस्तुओं का ही निर्यात करे। न निर्यात योग्य शेष उत्पादों की स्थानीय बिक्री अनिवार्य है। जिस पैकिंग ऋण में ऐसी न निर्यात योग्य वस्तुएँ शामिल हों, उनमें बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे पैकिंग ऋण दिए जाने की तारीख से ही, घरेलू अग्रिमों पर लगाए जाने वाले ब्याज की दर से वाणिज्यिक दर पर ब्याज लें और पैकिंग ऋण के उतने भाग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त की कोई सुविधा प्राप्त नहीं होगी।

(ग) डीऑयल्ड/डीफैटेड केक का निर्यात

बैंक निर्यातकों को एचपीएस मूँगफली तथा डीऑयल्ड/डीफैटेड केक के निर्यातकों को पैकिंग ऋण अग्रिम मंजूर कर सकते हैं लेकिन यह राशि अपेक्षित कच्चे माल के मूल्य की सीमा तक होनी चाहिए, भले ही उसका (कच्चे माल का) मूल्य निर्यात आदेश के मूल्य से अधिक हो। निर्यात आदेश से अधिक राशि का अग्रिम रियायती ब्याज दर लगाए जाने के लिए तभी पात्र होगा जब कि उसका समायोजन नकद रूप में या शेष उप-उत्पाद तेल की बिक्री द्वारा अग्रिम की तारीख से 30 दिनों के भीतर कर दिया जाए।

(iii) तथापि, बैंकों को इस बात की परिचालनगत छूट है कि वे अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले निर्यातक ग्राहकों को निम्नलिखित छूट प्रदान कर सकें:

(क) निर्यात दस्तावेजों की आय से पैकिंग ऋण की चुकौती/का समापन किया जाता रहेगा; लेकिन ऐसा, निर्यातक द्वारा निर्यात की गई किसी अन्य वस्तु या उसी वस्तु से संबंधित अन्य आदेश से संबद्ध निर्यात दस्तावेजों से भी किया जा सकता है। संविदा के इस प्रकार प्रतिस्थापन की अनुमति देते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा करना वाणिज्यिक दृष्टि से आवश्यक और अपरिहार्य है। बैंक को उन कारणों से संतुष्ट हो लेना चाहिए कि किसी खास वस्तु के पोतलदान के लिए दिया गया पैकिंग ऋण सामान्य तरीके से समाप्त क्यों नहीं किया जा सकता। यदि निर्यातक ने उसी बैंक में खाता खोल रखा है या यदि सहायता संघ गठित किया गया है और इस संघ के सदस्यों ने अनुमति दे दी है तो संविदा के प्रतिस्थापन की अनुमति यथासंभव दी जानी चाहिए।

- (ख) वर्तमान पैकिंग ऋण का समापन किसी ऐसे निर्यात दस्तावेज की आय से भी किया जा सकता है जिसके आधार पर निर्यातक ने कोई पैकिंग ऋण नहीं लिया है। फिर भी ऐसा संभव है कि निर्यातक किसी एक बैंक से पैकिंग ऋण लेकर संबंधित दस्तावेज किसी दूसरे बैंक में प्रस्तुत कर दे। इस संभावना को दृष्टिगत रखते हुए बैंक ऐसी सुविधा यह सुनिश्चित करने के बाद उपलब्ध कराएँ कि निर्यातक ने प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के माध्यम से किसी अन्य बैंक से पैकिंग ऋण नहीं लिया है। यदि किसी दूसरे बैंक से कोई पैकिंग ऋण लिया गया है तो उस बैंक को, जिसे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, यह सुनिश्चित करना होगा कि पैकिंग ऋण से मिलने वाली रकम का प्रयोग पहले बैंक से लिए गए पैकिंग ऋण को चुकता करने के लिए किया जाए।
- (ग) सहयोगी संस्थाओं /अधीनस्थ संस्थाओं/उसी समूह की अन्य संस्थाओं के लेनदेनों को ऐसी छूट नहीं प्रदान की जानी चाहिए।

1.1.5 'चालू खाता' सुविधा

(i) जैसा कि ऊपर बताया गया है, निर्यातकों को पोतलदानपूर्व ऋण सामान्यतः साखपत्र या निर्यात संबंधी पक्का आदेश प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रदान किया जाता है। यह पाया गया है कि कुछ मामलों में कच्चे माल की उपलब्धता किसी खास मौसम में ही होती है, कुछ अन्य मामलों में निर्यात संबंधी संविदा के अनुसार माल के निर्यात के लिए जो समय-सीमा निश्चित की गयी होती उसकी तुलना में उस माल के विनिर्माण और उसके पोतलदान में अधिक समय लगता है। कई मामलों में विदेशी खरीददारों से साख-पत्र /पक्का निर्यात आदेश प्राप्त होने की आशा के आधार पर भी निर्यातकों को कच्चा माल खरीदकर निर्यात योग्य वस्तु का निर्माण करके पोतलदान के लिए तैयार रखना पड़ता है। ऐसे मामलों में, पर्याप्त पोतलदानपूर्व ऋण प्राप्त करने में निर्यातकों को हो रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए बैंकों को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि वे अपने विवेक के आधार पर, साख-पत्र या पक्का आदेश के पूर्व प्रस्तुतीकरण हेतु जोर डाले बिना भी, **किसी भी वस्तु** के मामले में पोतलदान पूर्व ऋण 'चालू खाता' (रनिंग एकाउंट) सुविधा प्रदान करें लेकिन ऐसी स्थिति में निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी :

- (क) बैंक 'चालू खाता' सुविधा केवल ऐसे निर्यातकों को उपलब्ध कराएँ जिनका ट्रेक रिकार्ड अच्छा हो। यह सुविधा निर्यातार्थीमुख इकाइयों (ईओयू)/मुक्त व्यापार क्षेत्रों/ निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ईपीजेड) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थित इकाइयों को भी दी जा सकती है।
- (ख) जिन मामलों में पोतलदानपूर्व ऋण चालू खाता सुविधा प्रदान की जाए उन सब में साखपत्र/पक्का आदेश उपयुक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा ऐसी

अवधि का निर्धारण बैंक करेंगे ।

- (ग) एक-एक निर्यात बिल जैसे-जैसे बेचान /संग्रह के लिए प्राप्त हों बैंको को चाहिए कि पहले ऋण का पहले समापन के आधार पर सबसे पहले के बकाया पोतलदानपूर्व ऋण का समापन करें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऊपर बताए गए तरीके से पोतलदानपूर्व ऋण का समापन करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी पोतलदानपूर्व ऋण के संबंध में उपलब्ध निर्यात ऋण, ऋण दिए जाने की तारीख से मंजूरी अवधि या 360 दिन, दोनों में से जो भी पहले हो,से अधिक न होने पाए ।
- (घ) पैकिंग ऋण का समापन ऐसे निर्यात दस्तावेज की आय से भी किया जा सकता है जिसके आधार पर निर्यातक ने कोई पैकिंग ऋण नहीं लिया है ।
- (ii) यदि यह पाया जाए कि निर्यातक इस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं तो यह सुविधा तुरंत वापस ले ली जाए ।
- (iii) जिन मामलों में निर्यातक ने शर्तों का पालन नहीं किया है उनमें अग्रिमों पर प्रारंभ से ही वाणिज्यिक दर पर ब्याज लगाया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित पोतलदानपूर्व ऋणों के मामलों में बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिए गए पुनर्वित्त पर उच्चतर दर पर ब्याज का भुगतान किया जाना होगा । ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट मौद्रिक नीति विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई - 400 001 को भेजी जानी चाहिए, जो पुनर्वित्त राशि पर लगाए जाने वाली ब्याज दर की दर निश्चित करेगा।
- (iv) **उप-आपूर्तिकर्ताओं को चालू खाता सुविधा नहीं प्रदान की जानी चाहिए ।**

1.1.6 पैकिंग ऋण पर ब्याज

ब्याज दर का विवरण तथा उससे संबंधित अनुदेश पैराग्राफ 4 में दिए गए हैं ।

1.1.7 निर्यात संबंधी अग्रिम भुगतान वाले चेकों, बैंक ड्राफ्टों इत्यादि की आय के आधार पर निर्यात ऋण

- (i) जिन मामलों में निर्यातकों को निर्यात के लिए भुगतान के रूप में विदेश से चेकों, ड्राफ्टों इत्यादि के रूप में सीधे प्रेषण प्राप्त हों, उनमें अच्छे ट्रेक रिकार्ड वाले निर्यातकों को बैंक विदेश से प्राप्त चेकों, ड्राफ्टों इत्यादि की आय की वसूली तक की अवधि के लिए निर्यात ऋण मंजूर कर सकते हैं परंतु ऐसा, इस बात से संतुष्ट होने के बाद किया जाना चाहिए कि यह किसी निर्यात आदेश पर आधारित है, संबंधित वस्तुओं के मामले में व्यापारिक प्रथाओं के अनुरूप है और प्रचलित नियमों के अनुसार निर्यात संबंधी आय की वसूली का यह अनुमोदित तरीका है ।

- (ii) यदि उपर्युक्त शर्तें पूरी न किए जाने तक किसी निर्यातक को सामान्य वाणिज्यिक ब्याज दर पर सहायता मंजूर की गयी है तो उपर्युक्त शर्तें बाद में पूरी कर लिए जाने पर बैंक पीछे की तारीख से निर्धारित दर पर ब्याज लगा सकते हैं और निर्यातक को ब्याज दरों में अंतर की राशि वापस कर सकते हैं।

1.2 खास क्षेत्रों/खंडों को रुपया पोतलदानपूर्व ऋण

1.2.1 राज्य व्यापार निगमों/खनिज और धातु व्यापार निगम या अन्य निर्यात गृहों, एजेन्सियों इत्यादि के माध्यम से किए गए निर्यातों के लिए निर्माता आपूर्तिकर्ताओं को रुपया निर्यात पैकिंग ऋण

- (i) बैंक ऐसे निर्माता आपूर्तिकर्ताओं को निर्यात पैकिंग ऋण मंजूर कर सकते हैं जिनके पास खुद के नाम में निर्यात आदेश/ साखपत्र नहीं हैं और माल का निर्यात राज्य व्यापार निगमों/खनिज और धातु व्यापार निगम या अन्य निर्यात गृहों, एजेन्सियों इत्यादि के माध्यम से किया जाता है।
- (ii) ऐसे अग्रिम पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे, बशर्ते, सामान्य शर्तों के अलावा निम्नलिखित शर्तों का भी पालन किया गया हो:

क) बैंक को निर्यात गृह से एक पत्र प्राप्त करना चाहिए जिसमें निर्यात आदेश तथा उसके उस भाग का विवरण दिया गया हो जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा पूरा किया जाना है तथा जिसमें यह प्रमाण पत्र दिया गया हो कि निर्यात गृह ने आदेश के उस भाग के लिए, जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा पूरा किया जाना है, कोई पैकिंग ऋण सुविधा न तो ली है और न ही बाद में ऐसी सुविधा लेगा।

ख) बैंक को चाहिए कि वह आपसी विचार-विमर्श करके तथा निर्यात गृह और आपूर्तिकर्ता (यानि दोनों पक्षों) की निर्यात संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन दोनों - अर्थात् निर्यात गृह और आपूर्तिकर्ता के बीच पैकिंग ऋण की इस अवधि को विभाजित कर देगा जिसके लिए रियायती दर पर ब्याज लगाया जाना है। पोतलदानपूर्व ऋण पर निर्धारित अवधि तक रियायती दर पर लगाया जाने वाला ब्याज निर्यात गृह/एजेन्सी और आपूर्तिकर्ता दोनों को मिलाकर ही लिया जाएगा।

ग) निर्यात साखपत्रों या आदेशों का अपेक्षित विवरण देते हुए निर्यात गृह को आपूर्तिकर्ता के पक्ष में देशी साखपत्र खोल देना चाहिए तथा पैकिंग ऋण खाते से संबंधित बकायों को, ऐसे देशी साखपत्रों के अंतर्गत बिलों का बेचान करके, समाप्त किया जाना चाहिए। यदि निर्यात गृह के लिए आपूर्तिकर्ता के पक्ष में देशी साखपत्र खोलना असुविधाजनक हो तो आपूर्तिकर्ता को चाहिए कि वह निर्यात के लिए आपूर्ति किए गए माल के संबंध में निर्यात

गृह पर बिलों का आहरण करे और ऐसे बिलों से प्राप्त आय से पैकिंग ऋण संबंधी अग्रिमों का समायोजन करे। यदि ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत आहरित बिलों के साथ लदान-पत्र या निर्यात संबंधी अन्य दस्तावेज न हों तो बैंक को हर तिमाही के अंत में आपूर्तिकर्ता के माध्यम से निर्यात गृह से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए कि इस व्यवस्था के अंतर्गत आपूर्ति की गयी वस्तुओं का वस्तुतः निर्यात किया गया है। प्रमाण-पत्र में संबंधित बिल की तारीख, राशि और बैंक का नाम दिया जाना चाहिए जिसके माध्यम से बिलों का बेचान किया गया है।

- घ) बैंकों को आपूर्तिकर्ता से इस आशय का वचन पत्र प्राप्त करना चाहिए कि संबंधित निर्यात आदेश के लिए निर्यात गृह से यदि कोई अग्रिम भुगतान प्राप्त होगा तो उसे पैकिंग ऋण खाते में जमा कर दिया जाएगा।

1.2.2 उप-आपूर्तिकर्ताओं को रुपया निर्यात पैकिंग ऋण

जैसा कि निर्यात आदेश धारक तथा निर्माता आपूर्तिकर्ता के बीच होता है, उसी प्रकार निर्यात आदेश धारक तथा निर्यातित माल के कच्चे माल, घटकों इत्यादि के उप-आपूर्तिकर्ता के बीच भी पैकिंग ऋण विभाजित किया जा सकता है परन्तु इस मामले में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :

- (क) योजना के अंतर्गत चालू खाता सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। योजना के अंतर्गत, निर्यात गृहों/व्यापार गृहों/स्टार व्यापार गृहों इत्यादि या निर्माता निर्यातकों के पक्ष में प्राप्त निर्यात आदेश या इनसे संबंधित साखपत्र ही शामिल होंगे। निर्यातक के अच्छे ट्रैक रिकार्ड के आधार पर ही इस योजना का लाभ उसे दिया जाना चाहिए।
- (ख) निर्यात आदेशधारक के बैंकर देशी साखपत्र खोलेंगे। साखपत्र में उस माल का विवरण दिया जाएगा जिसकी आपूर्ति उप-आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्यात संबंधी लेनदेन के अंग के रूप में, आदेश धारक को प्राप्त निर्यात आदेश या साख-पत्र के आधार पर निर्यात की जानेवाली है। ऐसे साखपत्र के आधार पर उप-आपूर्तिकर्ता का बैंकर कार्यशील पूँजी के रूप में निर्यात पैकिंग ऋण मंजूर करेगा ताकि उप-आपूर्तिकर्ता ऐसी वस्तुओं का निर्माण कर सके जिनकी आवश्यकता निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए होती है। माल की आपूर्ति के बाद, साखपत्र खोलनेवाला बैंक खोले गए देशी साखपत्र के आधार पर प्राप्त देशी दस्तावेजों को आधार मानकर उप-आपूर्तिकर्ता के बैंक को भुगतान कर देगा। इसके बाद ऐसे भुगतान निर्यात आदेश धारक का निर्यात पैकिंग ऋण हो जाएँगे।
- (ग) यह निर्यात आदेश धारक पर निर्भर करता है कि वह प्राप्त आदेश या साखपत्र की समग्र सीमा के भीतर, अपने बैंकर / बैंकों के सहायता संघ के नेता के अनुमोदन से, अपेक्षित वस्तुओं के लिए कितने साखपत्र खोले। परिचालनगत सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए यह साखपत्र खोलने वाले बैंक पर निर्भर करता है कि वह साखपत्र खोले जाने के लिए न्यूनतम राशि कितनी निर्धारित करे। आपूर्तिकर्ता(ओं) द्वारा व्यक्तिगत या पृथक रूप से तथा निर्यात आदेशधारक द्वारा लिए गए पैकिंग ऋण की कुल अवधि निर्यात की गयी वस्तुओं के लिए

अपेक्षित सामान्य उत्पादन चक्र के भीतर होनी चाहिए। सामान्यतः, कुल अवधि की गणना उप-आपूर्तिकर्ताओं में से किसी एक द्वारा पैकिंग ऋण के प्रथम आहरण की तारीख से निर्यात आदेश धारक द्वारा निर्यात दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की तारीख तक की जाएगी।

- (घ) निर्यात आदेश धारक निर्यात आदेश या विदेश में खोले गए साखपत्र के अनुसार माल के निर्यात के लिए उत्तरदायी होगा तथा इस प्रक्रिया में किसी प्रकार के विलम्ब के लिए वह समय-समय पर लागू किए जा रहे दांडिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई का पात्र होगा। उप-आपूर्तिकर्ता द्वारा देशी साखपत्र की शर्तों के अनुसार निर्यात आदेश धारक को माल उपलब्ध करा दिए जाने के बाद, इस योजना के अंतर्गत उसका दायित्व सम्पादित मान लिया जाएगा तथा निर्यात आदेशधारक यदि किसी प्रकार से विलम्ब करेगा तो ऐसे विलम्ब के लिए उप-आपूर्तिकर्ता पर कोई दांडिक प्रावधान लागू नहीं होगा।
- (ङ) यह योजना निर्यातित माल के मामले में, निर्यात आदेश धारक तथा निर्माता के बीच पैकिंग ऋण की हिस्सेदारी की वर्तमान व्यवस्था के अलावा एक अतिरिक्त सुविधा है, जैसा कि उक्त पैरा 1.2.1 में बताया गया है। इस योजना के अंतर्गत उत्पादन चक्र का केवल प्रथम चरण ही शामिल होगा। उदाहरण के लिए, किसी निर्माता निर्यातक को ऐसे सामानों के अपने निकटतम आपूर्तिकर्ता के पक्ष में देशी साखपत्र खोलने की अनुमति दी जाएगी जो निर्यातयोग्य वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक हों। इस योजना का लाभ ऐसे निकटतम आपूर्तिकर्ताओं को कच्चे माल/सामानों की आपूर्ति करने वालों को नहीं दिया जाएगा। यदि निर्यात आदेशधारक मात्र व्यापार गृह है तो यह सुविधा निर्माता को उपलब्ध करायी जाएगी जिसे व्यापार-गृह ने निर्यात आदेश हस्तांतरित किया है।
- (च) निर्यात के प्रयोजन हेतु किसी दूसरी निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र को माल की आपूर्ति करने वाली निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र भी इस योजना के अंतर्गत रुपया पोतलदानपूर्व निर्यात ऋण प्राप्त करने का पात्र होंगे। तथापि निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र /विशेष आर्थिक क्षेत्र की आपूर्तिकर्ता इकाई किसी पोतलदानोत्तर सुविधा के लिए पात्र नहीं होगी क्योंकि इस योजना के अंतर्गत वस्तुओं की उधार बिक्री शामिल नहीं है।
- (छ) इस योजना के अंतर्गत अग्रिम की कुल राशि या अवधि में कोई परिवर्तन करने का विचार समाहित नहीं है। तदनुसार, देशी निर्यात साखपत्र प्रणाली के अंतर्गत उप-आपूर्तिकर्ता को अग्रिम दिए जाने की तारीख से निर्यात आदेश धारक द्वारा उसे समाप्त किए जाने की तारीख तक और निर्यात आदेशधारक द्वारा वस्तुओं के पोतलदान के माध्यम से पैकिंग ऋण का परिसमापन किए जाने की तारीख तक इस व्यवस्था के अंतर्गत दिया गया ऋण निर्यात ऋण माना जाएगा और इसके लिए संबंधित बैंक उपयुक्त अवधि के लिए रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त करने का पात्र होगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक ही चरण के किसी लेनदेन के लिए दो बार वित्तपोषण न किया जाए।

(ज) बैंक ऐसे अग्रिमों के लिए उपयुक्त बीमा सुविधा प्राप्त करने के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम से संपर्क कर सकते हैं ।

(झ) इस योजना के अंतर्गत उप-आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्यात आदेश धारक /निर्माता को ऋण दिए जाने के संबंध में कोई बात नहीं कही गयी है। अतः साखपत्र खोलने वाले बैंक द्वारा, भुगतान को निर्यात आदेशधारक का निर्यात पैकिंग ऋण मानकर ही, दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के आधार पर उप-आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया जाना है ।

1.2.3. निर्माण ठेकेदारों को रुपया पोतलदानपूर्व ऋण

- (i) निर्माण ठेकेदारों को विदेशों में प्राप्त ठेकों को पूरा करने के लिए उनकी प्रारंभिक कार्यशील पूँजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैकिंग ऋण अग्रिम, विदेश से प्राप्त सुनिश्चित संविदा के आधार पर, एक अलग खाते में दिए जाने चाहिए। लेकिन ऐसे अग्रिम ठेकेदारों से इस आशय का वचनपत्र प्राप्त करने के बाद ही दिए जाने चाहिए कि उन्हें संविदा संबंधी कार्य पूरा करने के लिए प्रारंभिक व्यय के रूप में, अर्थात् विदेश में संविदा पूरी करने के प्रयोजन हेतु उपभोग्य वस्तुएँ खरीदने और आवश्यक तकनीकी स्टाफ के आवागमन पर खर्च इत्यादि हेतु, उक्त वित्त की आवश्यकता है ।
- (ii) अग्रिमों का समायोजन, संविदा संबंधी बिलों का बेचान करके या विदेश में पूरी की गयी संविदा के संबंध में विदेश से प्राप्त प्रेषणों द्वारा, अग्रिम की तारीख से 365 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। खाते में बकाया जितनी राशि का समायोजन निर्धारित तरीके से नहीं हो पाता है, उतनी राशि के लिए बैंक सामान्य दर पर ब्याज लगा सकते हैं ।
- (iii) सेवाओं के निर्यात सहित परियोजना निर्यात संविदाओं का काम करने वाले निर्यातकों को भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों/अनुदेशों का पालन करना होगा ।

1.2.4 सेवाओं का निर्यात

व्यापार के सामान्य करार (गेटस) के अधीन आनेवाली व्यापार योग्य उन सभी 161 सेवाओं के निर्यातकों को पोतलदानपूर्व तथा पोतलदानोत्तर वित्त प्रदान किया जाए जहां ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान 2009-14 की विदेश व्यापार नीति के अध्याय3 में बताये अनुसार मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है। इस परिपत्र के सभी प्रावधान जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए तब तक यथोचित परिवर्तनों सहित निर्यात सेवाओं के निर्यात पर उसी तरह लागू होंगे जैसे कि वस्तुओं के निर्यात पर लागू होंगे। सेवाओं की सूची एचबीपीवी1 के परिशिष्ट 10 में दी गयी है । वित्तपोषक बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई दुहरा वित्तपोषण न हो तथा निर्यात ऋण विदेश से प्राप्त होनेवाले प्रेषणों से चुकाया जाता है । निर्यात ऋण मंजूर करते समय बैंक निर्यातक/विदेश स्थित काउंटर पार्टी के ट्रेकरिकार्ड को ध्यान में रखें । ऐसे सेवा प्रदाताओं से निर्यात से प्राप्य राशियों के विवरण का विदेश स्थित

पार्टी से प्राप्त देय राशि के विवरण के साथ मिलान किया जाए।

कारोबार के भिन्न-भिन्न स्वरूप और निर्यात की जानेवाली सेवाओं की श्रेणियों की बड़ी संख्या तथा प्रगामी अविनियमन के वातावरण को देखते हुए, जहां व्यक्ति प्रबंधन संबंधी मामलों को अलग-अलग वित्तपोषक बैंकों द्वारा निर्णय करने के लिए छोड़ दिया गया है, बैंक सेवाओं के निर्यातकों को ऋण देने हेतु अपने स्वयं के मानदंड बना सकते हैं।

सेवाओं के निर्यातक उपभोज्य वस्तुओं, वेतन, आपूर्तियों आदि के लिए कार्यशील पूंजीगत निर्यात ऋण (पोतलदान पूर्व और पोतलदानोत्तर) हेतु पात्र हैं।

बैंक यह सुनिश्चित करें कि -

- प्रस्ताव सेवाओं के निर्यात का वास्तविक मामला है।
- सेवा निर्यात की मद एचबीपीवी1 के परिशिष्ट 10 के अंतर्गत आती है।
- निर्यातक यथालागू इलेक्ट्रॉनिक एण्ड सॉफ्टवेयर ईपीसी अथवा सेवाएं ईपीसी अथवा भारतीय निर्यात संगठन मंडल में पंजीकृत है।
- सेवा के निर्यात हेतु निर्यात संविदा है।
- कार्यशील पूंजीगत व्यय के परिव्यय और सेवा उपभोक्ता या विदेश में उसकी मूल संस्था से भुगतान की वास्तविक प्राप्ति के बीच अंतराल है।
- कार्यशील पूंजी संबंधी वैध अंतराल है अर्थात् पहले सेवा प्रदान की जाती है जबकि इन्वाइस तैयार करने के कुछ समय बाद भुगतान प्राप्त किया जाता है।
- बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई दोहरा/अतिरिक्त वित्तपोषण न हो।
- दिया जानेवाला निर्यात ऋण यदि कोई मार्जिन अपेक्षित हो तो उसे घटाकर अर्जित विदेशी मुद्रा, प्राप्त अग्रिम भुगतान/ऋण से अधिक न हो।
- इन्वाइस तैयार की जाती हैं।
- आवक प्रेषण विदेशी मुद्रा में प्राप्त होते हैं।
- कंपनी वहां संविदा के अनुसार इन्वाइस तैयार करेगी जहां भुगतान विदेश स्थित पार्टी से प्राप्त होता है, सेवा निर्यातक बैंक से लिये गये निर्यात ऋण की चुकौती के लिए निधियों का इस्तेमाल करेगा।

1.2.5 पुष्पोत्पादन, अंगूर और कृषि-आधारित अन्य उत्पादों के लिए पोतलदानपूर्व ऋण

- (i) पुष्पोत्पादन के मामले में, फूलों इत्यादि की खरीद तथा फूल तोड़े जाने के बाद पोतलदान के लिए किए गए सभी खर्चों को पूरा करने के लिए पोतलदानपूर्व ऋण दिया जाता है ।
- (ii) तथापि फूलों से संबंधित उत्पादों, अंगूरों और कृषि-आधारित अन्य उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए फूलों, अंगूरों की खेती, इत्यादि के लिए उर्वरकों, कीटनाशकों व अन्य सामानों के क्रय सहित सभी कृषि-आधारित उत्पादों के निर्यात से संबंधित गतिविधियों के लिए कार्यशील पूँजी के प्रयोजन हेतु बैंक रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करा सकते हैं परन्तु शर्त यह होगी कि बैंक इस स्थिति में हों कि वे ऐसी गतिविधियों की पहचान निर्यात से संबंधित गतिविधि के रूप में कर सकें तथा इनकी निर्यात संबंधी संभाव्यताओं के बारे में स्वयं संतुष्ट हो सकें, और साथ ही ये गतिविधियाँ नाबाई या किसी अन्य एजेंसी की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वित्तपोषण योजना के अंतर्गत शामिल न हों । यह ऋण बैंकिंग ऋण से संबंधित अवधि, मात्रा, परिसमापन इत्यादि से संबंधी सामान्य शर्तों पर दिया जा सकता है ।
- (iii) निवेशों के लिए, जैसे विदेशी प्रौद्योगिकी, उपकरणों का आयात, भूमि विकास इत्यादि, या किसी ऐसी मद के लिए जिसे कार्यशील पूँजी न माना जा सके, निर्यात ऋण नहीं दिया जाना चाहिए ।

1.2.6 प्रसंस्करणकर्ताओं / निर्यातकों को निर्यात ऋण-कृषि निर्यात क्षेत्र

- (i) देश में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कृषि निर्यात जोन बनाए हैं। कृषि निर्यातोन्मुख इकाइयाँ (प्रसंस्करण) कृषि निर्यात जोन के भीतर तथा बाहर भी स्थापित की जाती हैं तथा ऐसी इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन एवं प्रसंस्करण को एकीकृत करना होगा । उत्पादक को किसानों के साथ कृषि का अनुबंध करना होगा तथा किसानों के उस समूह को गुणवत्ता के बीज, कीटनाशक सूक्ष्म पोषक तत्व तथा अन्य सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित करवानी होगी जिससे उत्पादक, निर्यात के लिए उत्पाद तैयार करने वाले कच्चे माल के तौर पर किसानों के उत्पाद खरीदेंगे। इसलिए सरकार ने सुझाव दिया है कि किसानों को संबंधित सामानों की खरीद तथा आपूर्ति के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत ऐसी निर्यात प्रसंस्करणकर्ता इकाइयों को बैंकिंग ऋण दिया जाये ताकि किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले सामान उपलब्ध हो सकें जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली फसलों को उगाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। निर्यातकर्ता ऐसे सामान थोक में खरीद/आयात कर सकेंगे जिसके चलते बड़े पैमाने की किफायतों का लाभ मिल सकेगा।
- (ii) निर्यातकों द्वारा किसानों को आपूर्ति किये गये सामानों को बैंक निर्यात की जाने वाली वस्तुओं से संबंधित कच्चा माल समझें और किसानों द्वारा ऐसी फसलें उगाये जाने के लिये उन्हें अपेक्षित सामानों की लागत को पूरा करने के लिये प्रसंस्करणकर्ताओं / निर्यातकों को ऋण / निर्यात ऋण मंजूर करने पर विचार करें ताकि कृषि संबंधी उत्पादों के निर्यात को

बढ़ावा मिल सके। इससे प्रसंस्करणकर्ता इकाइयाँ अपेक्षित सामान थोक में खरीद सकेंगी और पूर्व-निश्चित व्यवस्था के अनुसार किसानों को उनकी आपूर्ति कर सकेंगी।

- (iii) बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्यातकों ने खरीदी जाने वाली फसलों के लिए किसानों से और निर्यात किये जाने वाले उत्पादों के लिए विदेशी खरीदारों से अपेक्षित समझौता कर रखा है। वित्तीय सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों को कृषि निर्यात क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं का मूल्यांकन करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रय/विक्रय संबंधी व्यवस्थाएं संभव हैं तथा परियोजनाएँ उपयुक्त अवधि के भीतर कार्यान्वित की जा सकेंगी।
- (iv) निधियों के उद्दिष्ट उपयोग पर अर्थात् निर्यातक / मुख्य प्रसंस्करणकर्ता इकाई द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार, फसलें उगाने के लिये निर्यातकों द्वारा किसानों को सामानों के वितरण पर, बैंकों को नजर रखनी होगी।
- (v) बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रचलित अनुदेशों के अनुसार पोतलदानपूर्व ऋण के समापन के लिये मंजूरी की शर्तों के अनुसार प्रसंस्करणकर्ता / निर्यातकर्ता इकाइयाँ अंतिम उत्पादों का निर्यात कर रहीं हैं।

2. पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण

2.1 परिभाषा

‘पोतलदानोत्तर ऋण’ किसी संस्था द्वारा, भारत से वस्तुओं/सेवाओं का निर्यात करने वाले को, मंजूर किया गया ऋण या अग्रिम या कोई अन्य ऋण है जो विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट वसूली की अवधि के अनुसार वस्तुओं के पोतलदान/सेवाएं प्रदान करने के बाद ऋण उपलब्ध कराए जाने की तारीख से आरंभ करके निर्यात संबंधी आय की वसूली की तारीख तक, के लिए होता है तथा इसके अंतर्गत सरकार से समय समय पर अनुमत शुल्क वापसी को ध्यान में रखते हुए या उसकी प्रतिभूति के आधार पर किसी निर्यातक को मंजूर किया गया कोई ऋण या अग्रिम शामिल है। विदेशी मुद्रा विभाग के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार निर्यात आगम की वसूली के लिए विनिर्दिष्ट अवधि पोतलदान की तारीख से 12 महीने तक है।

2.2 पोतलदानोत्तर ऋणों के प्रकार:

पोतलदानोत्तर अग्रिम मुख्यतः निम्नलिखित रूपों में हो सकते हैं :

- (i) खरीदे गए/बट्टाकृत/बेचे गए निर्यात बिल।
- (ii) वसूली के लिए बिलों के आधार पर अग्रिम।
- (iii) सरकार से प्राप्य शुल्क वापसी की प्रतिभूति पर अग्रिम।

2.3 पोतलदानोत्तर ऋण का समापन:

पोतलदानोत्तर ऋण का समापन निर्यात की गयी वस्तुओं/ सेवाओं के लिए विदेश से प्राप्त निर्यात बिलों की आय से किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, निर्यातक और बैंकर के बीच आपसी सहमति के अधीन इसे, विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी खाते) के शेष तथा कोई अन्य वित्तपोषण न किये गये (वसूली) बिलों से प्राप्त आय से भी चुकता/समय से पूर्व अदा किया जा सकता है। परंतु इस प्रकार से समायोजित निर्यात बिलों को निर्यातों से प्राप्त आय की वसूली के लिए ध्यान में लिया जाना जारी रहना चाहिए तथा इन्हें एक्सओएस विवरण में रिपोर्ट किया जाना जारी रहेगा।

निर्यातकों की लागत (अर्थात् अतिदेय निर्यात बिलों पर ब्याज लागत) को कम करने के लिए अतिदेय निर्यात बिल वाले निर्यातक अपने अतिदेय पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण की चुकौती अपने रुपया संसाधनों से भी कर सकते हैं। तथापि, संबंधित जीआर फार्म बकाया बना रहेगा और एक्सओएस विवरण में राशि बकाया दर्शायी जाएगी। वसूली के लिए निर्यातक का दायित्व तब तक जारी रहेगा जब तक निर्यात बिल की वसूली नहीं हो जाती है।

2.4 रुपया पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण

2.4.1 अवधि

- (i) माँग बिलों के मामले में अग्रिम की अवधि फेडाई द्वारा निश्चित सामान्य पारगमन अवधि (एनटीपी) होगी।
- (ii) मीयादी बिलों के मामले में पोतलदान की तारीख से 365 दिन की अधिकतम अवधि के लिए ऋण दिया जा सकता है। इस अवधि में सामान्य पारगमन अवधि (एनटीपी) तथा छूट की अवधि, यदि हो, तो वह भी शामिल होगी। तथापि बैंकों को चाहिए कि वे पोतलदान ऋण अधिकतम 365 दिन की अवधि के लिए दिए जाने की आवश्यकता पर भली-भाँति गौर करें और निर्यातकों पर इस बात के लिए दबाव डालें कि वे निर्यात से संबंधित आय कम से कम अवधि में वसूल कर लें।
- (iii) 'सामान्य पारगमन अवधि' का आशय वह औसत अवधि है जो सामान्यतः बिल के बेचान / क्रय / डिस्काउंट की तारीख से संबंधित बैंक के नोस्रो खाते में बिल से संबंधित आय प्राप्त होने तक (जैसा फेडाई द्वारा समय-समय पर निश्चित किया जाता है) लगती है। इस अवधि को विदेश स्थित गंतव्य पर माल के पहुँचने में लगने वाला समय नहीं समझना चाहिए।
- (iv) **अतिदेय बिल**
 - (क) माँग बिल के मामले में वह बिल है जिसका भुगतान सामान्य पारगमन अवधि, छूट की अवधि सहित, समाप्त होने से पहले नहीं किया गया होता है, और
 - (ख) मीयादी बिल के मामले में वह बिल है जिसका भुगतान नियत तारीख को नहीं किया गया होता है।

2.4.2 ब्याज दर ढाँचा

पोतलदानोत्तर ऋण का ब्याज दर ढाँचा और उससे संबंधित अनुदेश पैरा 4 में दिए गए हैं।

2.4.3 निर्यात बिलों पर आहरित न की गयी शेष राशियों के बदले अग्रिम

कुछ वस्तुओं के निर्यात में निर्यातकों को संविदा के पोतपर्यंत निःशुल्क मूल्य के 90 से 98 प्रतिशत भाग तक के लिए विदेशी क्रेता पर बिल आहरित करने की आवश्यकता पड़ती है तथा 'आहरित न किये गये शेष' की बकाया राशि का भुगतान विदेशी क्रेता वस्तुओं की गुणवत्ता/मात्रा के बारे में संतुष्ट होने के बाद करता है।

आहरित न किए गए शेष का भुगतान आकस्मिक प्रकृति का होता है। बैंक अपने वाणिज्यिक विवेक और क्रेता के ट्रेक रिकार्ड के आधार पर, आहरित न किए गए शेषों के बदले रियायती ब्याज दर पर अग्रिम मंजूर करने पर विचार कर सकते हैं। तथापि ऐसे अग्रिम अधिकतम केवल 90 दिनों की अवधि के लिए रियायती ब्याज दर के पात्र उस सीमा तक के लिए तब होंगे जब संबंधित अग्रिम की चुकौती विदेश से प्राप्त वास्तविक प्रेषणों द्वारा की जाए और ऐसे प्रेषण माँग बिलों के मामले में सामान्य पारगमन अवधि समाप्त हो जाने के बाद 180 दिनों के भीतर तथा मीयादी बिलों के मामले में निर्धारित तारीख को प्राप्त हो गए हों। 90 दिन के बाद की अवधि के लिए पोतलदानोत्तर स्तर पर 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण' (ईसीएनओएस) श्रेणी हेतु निर्दिष्ट ब्याज लगाया जाना चाहिए।

2.4.4 प्रतिधारण धन के बदले अग्रिम

(i) टर्न-की परियोजनाओं / निर्माण संविदाओं के मामले में विदेशी नियोक्ता संविदा के सेवा संबंधी कार्यों के लिए क्रमिक भुगतान करता रहता है तथा क्रमिक भुगतानों का थोड़ा प्रतिशत प्रतिधारण धन के रूप में अपने पास रख लेता है जिसका भुगतान वह, संविदा के पूरा होने की तारीख के बाद निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने पर निर्धारित प्राधिकारियों से अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद करता है।

(ii) कभी-कभी टर्न-की परियोजनाओं के मामले में भी आपूर्ति भाग के बदले प्रतिधारण धन निर्धारित किया जा सकता है। उसी तरह उप-संविदाओं के मामले में भी ऐसा किया जा सकता है। प्रतिधारण धन का भुगतान आकस्मिक प्रकृति का है क्योंकि यह आस्थगित देयता है।

(iii) प्रतिधारण धन के बदले अग्रिम की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए :

(क) संविदा के सेवा भाग से संबंधित प्रतिधारण धन के बदले कोई अग्रिम मंजूर नहीं किया जाना चाहिए।

- (ख) निर्यातकों से कहा जाना चाहिए कि वे प्रतिधारण धन के बजाय यथासंभव उपयुक्त गारंटी प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें ।
- (ग) बैंक कुछ गिने-चुने मामलों में संविदा के आपूर्ति भाग से संबंधित प्रतिधारण धन के बदले अग्रिम मंजूर करने पर विचार कर सकते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ संचित प्रतिधारण धन के आकार, निर्यातक की नकदी-निधि संबंधी स्थिति पर उसके प्रभाव और प्रतिधारण धन के समय से प्राप्त होने के मामले में पिछले कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- (घ) प्रतिधारण धन का भुगतान, जहाँ संभव हो, साखपत्र द्वारा या बैंक गारंटी द्वारा प्रतिभूत कर लिया जाना चाहिए ।
- (ङ) संविदा की शर्तों के अनुसार जहाँ प्रतिधारण धन का भुगतान पोतलदान की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना होता है, वहाँ बैंकों को अधिकतम 90 दिनों के लिए निर्धारित दर पर ब्याज लगाना चाहिए। 90 दिन से अधिक अवधि के लिए पोतलदानोत्तर स्तर पर 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण' श्रेणी के लिए निर्धारित दर पर ब्याज लिया जाना चाहिए ।
- (च) संविदा की शर्तों के अनुसार जहाँ प्रतिधारण धन का भुगतान पोतलदान की तारीख से एक वर्ष के बाद किया जाना होता है और समरूपी अग्रिम की अवधि एक वर्ष से अधिक के लिए बढ़ा दी जाती है, वहाँ उसे आस्थगित भुगतान की शर्तों पर एक वर्ष से अधिक समय के लिए दिया गया पोतलदानोत्तर ऋण माना जाएगा और बैंक के पास ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता है।
- (छ) प्रतिधारण धन के बदले दिए गए अग्रिम केवल उस सीमा तक रियायती ब्याज दर के पात्र होंगे जिस सीमा तक प्रतिधारण धन से संबंधित ऐसे अग्रिमों की चुकौती विदेशों से प्राप्त प्रेषणों से की जाती है तथा संविदा की शर्तों के अनुसार ऐसे भुगतान प्रतिधारण धन के भुगतान के लिए नियत तारीख से 180 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाएँ ।

2.4.5 परेषण आधार पर निर्यात

(i) सामान्य

- (क) परेषण आधार पर निर्यात किए जाने पर निर्यात संबंधी आय के प्रत्यावर्तन के मामले में कई तरह के दुरुपयोग की गुंजाइश रहती है।
- (ख) इसलिए परेषण आधार पर निर्यात, पोतलदानोत्तर ऋण पर बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले

ब्याज की दरों के मामले में, एकमुश्त नकद बिक्री के आधार पर किए जाने वाले निर्यात के समरूप होना चाहिए। इस प्रकार परेषण आधार पर किए जाने वाले निर्यातों के मामले में निर्यात संबंधी आय के प्रत्यावर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा 365 दिन से अधिक की अवधि के लिए मंजूरी दिए जाने के बावजूद बैंक (बिलों की अवधि के आधार पर) केवल आनुमानिक नियत तारीख तक ही उपयुक्त निर्धारित ब्याज दर लगाएँगे तथा यह अवधि भी 365 दिनों से अधिक नहीं हो सकती।

(ii) बहुमूल्य और अल्पमूल्य रत्नों का निर्यात

बहुमूल्य और अल्पमूल्य रत्नों का निर्यात अधिकांशतः परेषण आधार पर किया जाता है तथा निर्यातक विदेशों से प्राप्त प्रेषणों से अग्रिम की तारीख से 365 दिनों की अवधि के भीतर पोतलदानपूर्व ऋण खाते का समापन नहीं कर पाते हैं। इसलिए परेषण निर्यातों के मामले में निर्यात होते ही एक विशेष (पोतलदानोत्तर) खाते में बकाया शेषों को अंतरित करके बैंक पैकिंग ऋण संबंधी अग्रिमों का समायोजन कर लें। परंतु इस विशेष खाते का समायोजन भी विदेश से संबंधित आय प्राप्त होते ही यथाशीघ्र कर लिया जाना चाहिए तथा ऐसा समायोजन निर्यात की तारीख से अधिकतम 365 दिनों की अवधि या रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त अवधि के भीतर कर लिया जाना चाहिए। विशेष (पोतलदानोत्तर) खाते में शेषराशियों के संबंध में रिज़र्व बैंक से कोई पुनर्वित्त प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

(iii) निर्यात आगमों की वसूली को 12/15 माह तक की अवधि के लिए बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) अलग-अलग निर्यातकों, जिनका ट्रैक रिकार्ड संतोषजनक है, द्वारा आवेदन किए जाने पर, उपयुक्त मामलों में, निर्यातकों को निर्यात आगमों की वसूली हेतु पोतलदान की तारीख से लम्बी अवधि की अनुमति देता है। विनिर्दिष्ट श्रेणी के निर्यातकों को निर्यात आगमों की वसूली हेतु लंबी अवधि की सामान्य अनुमति भी दी गई है। निर्यात आगम वसूली की मौजूदा अवधि के लिए बैंक माल और सेवाओं का निर्यात पर जारी मास्टर परिपत्र से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं।

बैंक ऐसे निर्यातकों को प्रारंभ से ही अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए पोतलदानोत्तर ऋण मंजूर कर सकते हैं। तदनुसार, अग्रिम की तारीख से 180 दिनों तक ब्याज की दर मीयादी बिलों के लिए 180 दिनों तक की अवधि हेतु लागू दर होगी। पोतलदान की तारीख से 180 दिन बाद बैंक ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि स्वीकृत अवधि के भीतर बिक्री से संबंधित आय की वसूली नहीं हो पाती है तो पोतलदान की तारीख से 180 दिनों से अधिक की संपूर्ण अवधि पर 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण' - पोतलदानोत्तर पर लागू उच्चतर ब्याज दर लागू होगी।

तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक (मौद्रिक नीति विभाग) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार

बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की निर्यात ऋण के बदले पुनर्वित्त की सुविधा पोत-लदान स्तर पर 180 दिनों तक की अवधि हेतु उपलब्ध होगी।

2.4.6. प्रदर्शनी और बिक्री के लिए वस्तुओं का निर्यात

बैंक विदेश में प्रदर्शनी और बिक्री के लिए भेजे गए माल के बदले निर्यातकों को पहले वित्त उपलब्ध करा सकते हैं और बिक्री पूरी हो जाने के बाद ऐसे अग्रिमों पर पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर - दोनों स्तरों पर निर्धारित अवधि तक छूट के रूप में निर्धारित ब्याज दर का लाभ दे सकते हैं। ऐसे अग्रिम अलग खातों में दिए जाने चाहिए।

2.4.7 आस्थगित भुगतान की शर्तों पर पोतलदानोत्तर ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार पूँजीगत माल और उत्पादक वस्तुओं के निर्यात के मामले में बैंक आस्थगित भुगतान की शर्तों पर एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पोतलदानोत्तर ऋण मंजूर कर सकते हैं।

2.5 शुल्क वापसी की पात्रता के बदले पोतलदानोत्तर अग्रिम

2.5.1 बैंक निर्यातकों को निर्यात ऋण गारंटी निगम की गारंटी के कवर के अंतर्गत तथा शुल्क वापसी संबंधी उनकी पात्रता के बदले पोतलदान अग्रिम, अंतिम मंजूरी और भुगतान न होने तक, सीमा शुल्क प्राधिकारियों के अनंतिम प्रमाण-पत्र के आधार पर, मंजूर कर सकते हैं।

2.5.2 नौवहन बिल की निर्यात संवर्धन प्रति के आधार पर, जिसमें सीमाशुल्क विभाग द्वारा जारी किया गया ई जी एम नम्बर दिया होता है, निर्यातकों को प्राप्य शुल्क की वापसी के बदले, अग्रिम उपलब्ध कराया जा सकता है। जहाँ आवश्यक हो, वित्तपोषण करने वाला बैंक नामित बैंक के पास अपना लिएन नोट करा सकता है तथा इस प्रकार की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए ताकि सीमा शुल्क विभाग जब भी शुल्क वापसी की राशि खाते में जमा करे तब नामित बैंक संबंधित राशि वित्तपोषण करने वाले बैंक को अंतरित कर दे।

2.5.3 शुल्क वापसी पात्रता के बदले मंजूर किए गए इन अग्रिमों पर रियायती दर पर ब्याज लगाया जाएगा और इसके लिए रिज़र्व बैंक से, अग्रिम की तारीख से अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए पुनर्वित्त भी उपलब्ध होंगे।

2.6 ईसीजीसी समग्र टर्नओवर पोतलदानोत्तर ऋण गारंटी योजना

2.6.1 निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. द्वारा शुरू की गयी समग्र टर्न ओवर पोतलदानोत्तर ऋण गारंटी योजना में इस बात की व्यवस्था है कि निर्यातकों द्वारा पोतलदानोत्तर ऋण की चुकौती न किए जाने की स्थिति में बैंकों को सुरक्षा मिल सके। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बैंक समग्र टर्न

ओवर पोतलदानोत्तर पॉलिसी लेने पर विचार करें । इस योजना की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी निर्यात ऋण गारंटी निगम से प्राप्त कर ली जाए ।

2.6.2 चूँकि पोतलदानोत्तर गारंटी का मुख्य उद्देश्य बैंकों को लाभ प्रदान करना है, अतः बैंकों द्वारा ली गयी समग्र टर्नओवर पोतलदानोत्तर ऋण गारंटी से संबंधित प्रीमियम का खर्च बैंक स्वयं उठाएँ और इसका दायित्व निर्यातकों पर न डाला जाए ।

2.6.3. जिन मामलों में कोई जोखिम निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा कवर किया जाने वाला है, उनमें भी लम्बे समय से बकाया निर्यात बिलों की वसूली के मामले में बैंकों को अपने प्रयास कम नहीं करने चाहिए ।

3. मानित निर्यात - निर्धारित दरों पर रुपया निर्यात ऋण

3.1 बैंकों को इस बात की अनुमति है कि वे द्विपक्षीय या बहुपक्षीय एजेंसियों/फंडों (विश्व बैंक, आईबीआरडी, आईडीए सहित) द्वारा सहायता प्राप्त/वित्तपोषित परियोजनाओं के संबंध में आपूर्ति के लिए आदेशों के आधार पर उन पार्टियों को निर्धारित ब्याज दर पर रुपया पोतलदानपूर्व और आपूर्ति के बाद रुपया निर्यात ऋण उपलब्ध कराएँ जो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विदेश व्यापार नीति में मानित निर्यात अध्याय के अंतर्गत समय-समय पर जारी की गयी अधिसूचनाओं के अनुसार भारत सरकार द्वारा सामान्य निर्यात सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

3.2 पैकिंग ऋणों का समायोजन, इन एजेंसियों को की गयी माल की आपूर्ति के लिए किए जाने वाले भुगतानों से संबंधित मुक्त विदेशी मुद्रा से किया जाना चाहिए । इसकी चुकौती /समय से पूर्व चुकौती विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (ईईएफसी खाते) के शेष से की जा सकती है, तथा निर्यातकों द्वारा वास्तविक रूप से की गई आपूर्ति के अनुपात में उनके रुपये संसाधनों से भी की जा सकती है ।

3.3 बैंक निम्नलिखित ऋण भी दे सकते हैं :

(i) रुपया पोतलदानपूर्व ऋण, और

(ii) आपूर्ति के बाद रुपया ऋण (अधिकतम 30 दिनों के लिए या माल प्राप्त करने वाले द्वारा भुगतान किए जाने की वास्तविक तारीख तक, दोनों में से जो भी पहले हो)

समय-समय पर विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत उसी अध्याय के अंतर्गत मानित निर्यात के रूप में निर्दिष्ट अन्य वर्गीकृत वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ।

3.4 आपूर्ति के बाद दिए गए अग्रिमों को 30 दिनों के बाद अतिदेय माना जाएगा। जिन मामलों में

ऐसे अतिदेय ऋणों का समापन आनुमानिक नियत तारीख से 180 दिनों के भीतर (अर्थात् अग्रिम की तारीख से 210 दिनों की अवधि बीतने से पूर्व) कर दिया जाता है उनमें बैंकों को ऐसी वर्धित अवधि के लिए, पोतलदानोत्तर स्तर पर ‘अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण’ श्रेणी के लिए निर्धारित ब्याज लगाना चाहिए। यदि बिलों का भुगतान उपर्युक्त 210 दिनों के भीतर नहीं हो पाता है तो बैंकों को चाहिए कि वे अग्रिम की तारीख से ‘अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण’-पोतलदानोत्तर श्रेणी के लिए निर्धारित ब्याज लें।

3.5 बैंक पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर - दोनों स्तरों पर दिए गए ऐसे रुपया निर्यात ऋणों के लिए रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने के पात्र होंगे।

4. रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज

4.1 सामान्य

30 जून 2010 तक रुपया निर्यात ऋण के लिए अधिकतम ब्याजदर निश्चित की गयी थी जो प्रत्येक बैंक द्वारा देशी उधारकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई बैंचमार्क मूल उधार दर से संबद्ध थी। अतः बैंक अधिकतम ब्याज दर के अंतर्गत कोई भी ब्याज लगाने के लिए स्वतंत्र थे। इसके अलावा किसी भी श्रेणी के निर्यात ऋण के अंतर्गत भिन्न-भिन्न अवधि के लिए अधिकतम ब्याज दर निर्यात ऋण की संपूर्ण अवधि के लिए संगत आधारभूत मूल उधार दर पर आधारित होनी चाहिए।

आधार दर प्रणाली 1 जुलाई 2010 से लागू है। तदनुसार रुपया निर्यात ऋण अग्रिमों की सभी अवधियों पर लागू ब्याज दरें आधार दर के बराबर अथवा उससे अधिक हैं।

एकनोस

एकनोस (ईसीएनओएस) का आशय ब्याज दर संरचना में अन्यथा निर्दिष्ट न किये गये निर्यात ऋण से है, जिसके लिए बैंक आधार दर/ आधारभूत मूल उधार दर (बीपीएलआर) संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। एकनोस के संबंध में बैंकों को दंडस्वरूप ब्याज नहीं लगाना चाहिए।

4.2 रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर

4.2.1 ब्याज दर ढाँचा

आधार दर प्रणाली 1 जुलाई 2010 से लागू है। तदनुसार, 1 जुलाई 2010 और उसके बाद मंजूर किए गए समस्त अवधि के रुपया निर्यात ऋण अग्रिमों पर लागू ब्याज दरें आधार दर के बराबर या अधिक हैं।

4.2.2 पोतलदानपूर्व ऋण पर ब्याज

i) आधार दर प्रणाली 1 जुलाई 2010 से लागू है और तदनुसार 1 जुलाई 2010 को अथवा उसके बाद

मंजूर किए गए रुपया निर्यात ऋण अग्रिमों की सभी अवधियों पर लागू ब्याज दरें आधार दर के बराबर अथवा उससे अधिक हैं।

ii) यदि पोतलदानपूर्व अग्रिमों का समापन निर्यात दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर क्रय, डिस्काउंट आदि के बाद बिलों से प्राप्त राशि से अग्रिम की तारीख से 360 दिनों के भीतर अथवा पैरा 1.1.4(i) में दर्शाए गए अनुसार नहीं हो पाता है तो संबंधित अग्रिम आरंभ की तारीख से ही निर्यात ऋण के लिए निर्धारित ब्याज दर के लिए पात्र नहीं रह पाएगा।

iii) जिन मामलों में पैकिंग ऋण की अवधि मंजूरी की मूल अवधि के बाद नहीं बढ़ायी जाती और निर्यात मंजूरी की अवधि समाप्त हो जाने के बाद लेकिन अग्रिम की तारीख से 360 दिनों के भीतर संपादित हो पाता है, उनमें निर्यातक केवल मंजूरी की अवधि तक के लिए रियायती ऋण के लिए पात्र होगा। शेष अवधि के लिए 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण' श्रेणी के लिए नियत दर पर ब्याज लिया जाएगा। इसके अलावा बैंकों को अवधि न बढ़ाए जाने के कारणों की सूचना निर्यातकों को देनी होगी।

iv) जिन मामलों में पोतलदानपूर्व अग्रिम की तारीख से 360 दिनों के भीतर निर्यात नहीं हो पाता है उनमें संबंधित ऋण 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण' माना जाएगा और बैंक ऐसे ऋणों पर अग्रिम के आरंभ की तारीख से ही 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण' पोतलदानपूर्व श्रेणी के लिए निर्धारित ब्याज लेंगे।

v) यदि निर्यात बिल्कुल हो ही नहीं पाता तो बैंकों को संबंधित पैकिंग ऋण पर, अपने बैंक के निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित पारदर्शी नीति के आधार पर निश्चित किया गया देशी उधार दर पर ब्याज तथा दंडात्मक ब्याज, यदि कोई हो, लेना चाहिए।

4.2.3 पोतलदानोत्तर ऋण पर ब्याज

निर्यात बिलों का शीघ्र भुगतान

(i) माँग बिलों के आधार पर दिए गए अग्रिमों के मामले में यदि बिलों की वसूली सामान्य पारगमन अवधि की समाप्ति से पहले ही हो जाती है तो अग्रिम की तारीख से आरंभ करके ऐसे बिलों की वसूली की तारीख तक के लिए निर्धारित दर पर ब्याज लिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए माँग बिलों की वसूली की तारीख वह मानी जाएगी जिस तारीख को बिल की राशि बैंक के नोस्ट्रो खाते में जमा हो जाएगी।

(ii) मीयादी निर्यात बिलों के आधार पर दिए गए अग्रिम/ऋण के मामले में निर्धारित दर पर ब्याज केवल आनुमानिक/वास्तविक नियत तारीख तक या उस तारीख तक के लिए लगाया जाएगा जिस तारीख को निर्यात संबंधी आय बैंक के विदेश स्थित नोस्ट्रो खाते में जमा हो जाएगी (इन दोनों तारीखों में से जो भी पहले हो), भारत में उधारकर्ता/निर्यातक के खाते में

संबंधित राशि चाहे जिस तारीख को जमा हुई हो। जिन मामलों में सही नियत तारीख की पुष्टि, विदेश स्थित क्रेता द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण या अन्यथा, ऋण लिए जाने के पहले ही/तत्काल बाद हो जाती है, उनमें निर्धारित दर पर ब्याज केवल वास्तविक नियत तारीख तक के लिए ही लगाया जाएगा, आनुमानिक नियत तारीख चाहे कुछ भी निश्चित की गयी हो, बशर्ते वास्तविक नियत तारीख आनुमानिक नियत तारीख से पहले पड़ती हो।

- (iii) यदि माँग बिलों के मामले में संपूर्ण सामान्य पारगमन अवधि के लिए या ऊपर (ख) पर उल्लेख किये अनुसार मीयादी बिलों के मामले में आनुमानिक/वास्तविक नियत तारीख तक के लिए ब्याज बिलों के बेचान/क्रय/डिस्काउंट के समय ही ले लिया गया है तो वसूली की तारीख से आरंभ करके सामान्य पारगमन अवधि की अंतिम तारीख/आनुमानिक नियत तारीख/ वास्तविक नियत तारीख तक के लिए लिया गया अधिक ब्याज वापस कर दिया जाना चाहिए।

4.2.5 बीपीएलआर प्रणाली के अंतर्गत अतिदेय निर्यात बिल

- (i) निर्यात बिलों के मामले में रिजर्व बैंक द्वारा निश्चित की गयी अधिकतम दर के अंदर बैंक द्वारा निश्चित किए गए ब्याज की दर, बिल की नियत तारीख तक (माँग बिल के मामले में सामान्य पारगमन अवधि तक और मीयादी बिल के मामले में निर्दिष्ट अवधि तक) के लिए लागू होगी।
- (ii) नियत तारीख से बाद की अवधि अर्थात् अतिदेय अवधि के लिए अग्रिम की तारीख से 180 दिन तक अगली सूचना तक पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण के लिए यथालागू निर्धारित ब्याज दर (बेंचमार्क मूल उधार दर से 2.5 प्रतिशतता बिंदु घटाकर आनेवाली दर से अनधिक) लागू होगी।

4.2.6 रुपया संसाधनों में से समायोजित पोतलदानोत्तर ऋण पर ब्याज

जिन पोतलदानोत्तर अग्रिमों का समायोजन विदेशी मुद्रा उपस्थित न हो पाने के कारण अनुमोदित तरीके से नहीं हो पाता है, तथा उनका समायोजन निर्यात-परेषण के चलते निर्यात ऋण गारंटी निगम के पास प्रस्तुत किए गए दावों के निपटान से प्राप्त निधियों में से किया जाता है, उन पर ब्याज लगाए जाने के मामले में, एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए:

- (क) कुछ देशों को किए गए निर्यातों के मामले में, क्रेताओं द्वारा स्थानीय स्तर पर भुगतान कर दिए जाने के बावजूद, सरकारों/केन्द्रीय बैंक प्राधिकारियों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के कारण उनके द्वारा विदेशी मुद्रा न भेजे जाने के चलते निर्यातक निर्यात संबंधी आय वसूल नहीं कर पाते हैं। ऐसे मामलों में अन्तरण में होने वाले विलम्ब के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम

निर्यातकों को कवर प्रदान करता है। जिन मामलों में निर्यात ऋण गारंटी निगम ने दावों को स्वीकार कर लिया है और अंतरण में होने वाले विलम्ब के लिए राशि का भुगतान कर दिया है, उनमें पोतलदानोत्तर अग्रिम के पोतलदान की तारीख से छः माह के बाद तक बकाया रहने के बावजूद बैंक 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण -पोतलदानोत्तर' श्रेणी के लिए लागू दर पर ब्याज ले सकते हैं। ऐसा ब्याज अग्रिम की पूरी राशि पर लगाया जाएगा तथा इसका संबंध इस बात से बिल्कुल नहीं होगा कि निर्यात ऋण गारंटी निगम 90 प्रतिशत /75 प्रतिशत भाग तक ही दावों को स्वीकार करता है तथा निर्यातकों को शेष 10 प्रतिशत /25 प्रतिशत भाग अपने स्वयं के रुपया संसाधनों से ले आना पड़ता है।

- (ख) जिन मामलों में घरेलू वाणिज्यिक दर पर या अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण श्रेणी के लिए लागू दर पर अनुमत ब्याज लिया गया है, उनमें यदि निर्यात संबंधी आय की वसूली अनुमोदित तरीके से बाद में हो जाती है तो, पहले ही लिए जा चुके ब्याज और उक्त तरीके से लिए जाने योग्य ब्याज के अंतर की राशि बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को वापस कर दी जानी चाहिए परन्तु ऐसा करने से पहले ऐसी वसूली की वस्तुस्थिति सन्तोषजनक साक्ष्यों के माध्यम से सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए। खातों का समायोजन करते समय, अधिक ब्याज की वापसी की संभावना की जानकारी उधारकर्ता को दे देना बेहतर होगा।

4.2.7 बिल की अवधि में परिवर्तन

- (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) ने निर्यातकों के अनुरोध पर बैंकों को इस बात की अनुमति दी है कि वे मूल क्रेता/परेषिती पर आहरित बिलों के मामले में बिलों की अवधि में परिवर्तन की अनुमति दें परंतु शर्त यह होगी कि भुगतान की संशोधित नियत तारीख निर्यात आय की वसूली के लिए विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम अवधि से आगे की न हो।
- (ii) ऐसे मामलों में तथा जिन मामलों में पोतलदान की तारीख से बारह महीने तक अवधि परिवर्तन की अनुमति दी गई है, उनमें बैंक संशोधित आनुमानिक नियत तारीख तक निर्धारित दर पर ब्याज लगा सकते हैं, परंतु यह रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दरों के संबंध में जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।

4.3 रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर सहायता

भारत सरकार ने निर्यातकों की परेशानियों को कम करने के लिए रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर सहायता योजना बनायी है, जिसके परिचालन संबंधी अनुदेश वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की सलाह के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं। ब्याज सहायता सुविधा के अन्तर्गत शामिल किये जानेवाले क्षेत्रों / उप-क्षेत्रों के संबंध में निर्णय भारत सरकार द्वारा लिये जाते हैं।

वर्ष 2007 में सरकार ने 1 अप्रैल 2007 से 30 सितंबर 2008 तक की अवधि के लिए निर्यातकों की नौ विनिर्दिष्ट श्रेणियों, अर्थात् वस्त्र (हथकरघा सहित), तैयार कपड़े, चमड़े की वस्तुएं, हस्तशिल्प, इंजिनियरिंग उत्पाद, प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद, खेल सामग्री और खिलौनों को तथा लघुतम उद्यमों, लघु उद्यमों और मध्यम उद्यमों के रूप में परिभाषित एसएमई क्षेत्र के सभी निर्यातकों द्वारा लिए गए रुपया निर्यात ऋणों पर प्रति वर्ष 2 प्रतिशत अंकों की ब्याज दर सहायता प्रदान करने के उपायों का एक पैकेज घोषित किया है। इसमें जूट और कालीन, प्रसंस्कृत काजू, कॉफी और चाय, सॉल्वेंट एक्स्ट्रैटेड डीऑइलड केक, प्लास्टिक और लिनोनियम का भी समावेश किया गया। साथ ही, उक्त योजना के अंतर्गत शामिल चमड़ा और चमड़ा विनिर्माता, समुद्री उत्पाद, सभी वस्त्रोद्योग श्रेणियों जिनमें रेडीमेड गार्मेंट और कालीनों का समावेश है पर हस्तनिर्मित धागा और हस्तशिल्प शामिल नहीं हैं, के मामले में सरकार ने 180 दिवसीय पोतलदानपूर्व ऋणों और 90 दिवसीय पोतलदानोत्तर ऋणों में 2 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता (इसके पहले प्रस्तावित 2 प्रतिशत के अलावा) का प्रावधान किया है (कालीन क्षेत्र के लिए पोतलदानपूर्व ऋण 270 दिन के लिए उपलब्ध होंगे)। तदनुसार, बैंक 1 अप्रैल 2007 से 30 सितंबर 2008 तक की अवधि के लिए 180 दिन तक के पोतलदानपूर्व ऋण और 90 दिन तक के पोतलदानोत्तर ऋण की बकाया राशि पर बीपीएलआर से यथालागू 4.5/6.5 प्रतिशत घटाकर आनेवाली दर से अनधिक ब्याज दर लगाएंगे। तथापि, कुल ब्याज सहायता इस शर्त के अधीन होगी कि ब्याज सहायता के बाद की ब्याज दर 7 प्रतिशत, अर्थात् प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधारों के अधीन कृषि क्षेत्र पर लागू दर, से कम न हो।

दिसंबर 2008 में भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2008 से 30 सितंबर 2009 तक की अवधि के लिए कुछ रोजगार उन्मुख निर्यात क्षेत्रों जैसे वस्त्र (हथकरघा सहित), हस्तशिल्प, कालीन, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद तथा लघु और मध्यम उद्यमों, के लिए दूसरी 2 प्रतिशत ब्याज दर सहायता योजना घोषित की है। तदनुसार, बैंक 1 दिसंबर 2008 से 30 सितंबर 2009 तक की अवधि के लिए 270 दिन तक के पोतलदानपूर्व ऋण और 180 दिन तक के पोतलदानोत्तर ऋण की बकाया राशि पर बीपीएलआर से 4.5 प्रतिशत घटाकर आनेवाली दर से अनधिक ब्याज दर प्रभारित करेंगे। इस योजना को बाद में 31 मार्च 2010 तक बढ़ाया गया।

अप्रैल 2010 में सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक की अवधि के लिए कुछ रोजगार उन्मुख निर्यात क्षेत्रों जैसे हस्तशिल्प, कालीन, हथकरघा तथा लघु और मध्यम उद्यमों, के लिए तीसरी 2 प्रतिशत ब्याज दर सहायता योजना घोषित की है। यह योजना इस शर्त के अधीन होगी कि बैंक उपर्युक्त अवधि के लिए इन क्षेत्रों की 270 दिन तक के पोतलदानपूर्व ऋण और 180 दिन तक के पोतलदानोत्तर ऋण की बकाया राशि पर बीपीएलआर से 4.5 प्रतिशत घटाकर आनेवाली दर से अनधिक ब्याज दर प्रभारित करेंगे। तथापि, कुल ब्याज सहायता इस शर्त के अधीन होगी कि ब्याज सहायता के बाद की ब्याज दर 7 प्रतिशत, अर्थात् प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधारों के अधीन अल्पावधि फसल ऋण पर लागू दर, से कम न हो।

अगस्त 2010 में भारत सरकार ने रुपया निर्यात ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज दर

सहायता योजना 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक उन्हीं नियम और शर्तों पर कुछ नए क्षेत्रों के लिए भी लागू की। ये क्षेत्र हैं-चमड़ा और चमड़े से बने सामान, फ्लोर कवरिंग सहित जूट विनिर्माण, इंजीनियरिंग माल और कपड़ा उद्योग।

अक्टूबर 2011 में भारत सरकार ने कतिपय रोजगार उन्मुख निर्यात क्षेत्रों के लिए अर्थात् हस्तशिल्प, हथकरघा, कालीन और एसएमई क्षेत्र के लिए 2 प्रतिशत अंक की ब्याज दर सहायता की चौथी योजना की घोषणा की।

जून 2012 में भारत सरकार ने कतिपय रोजगार उन्मुख निर्यात क्षेत्रों के लिए अर्थात् हस्तशिल्प, हथकरघा, कालीन, एसएमई, रेडीमेड वस्त्र, प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद, खेलकूद के सामान और खिलौनों के लिए 2 प्रतिशत अंक की ब्याज दर सहायता की पाँचवीं योजना की घोषणा की।

जनवरी 2013 में भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिए हस्तशिल्प, कालीन, हथकरघा, छोटे और मध्यम उद्यमों, रेडीमेड वस्त्र, संसाधित कृषि माल, खेल के सामान और खिलौने के लिए उन्हीं नियम और शर्तों पर 2 प्रतिशत ब्याज दर की आर्थिक सहायता की छठी योजना की घोषणा की। 1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिए इस योजना में इंजीनियरिंग उत्पादों (अनुलग्नक 4) की 134 टैरिफ लाइनों को भी उन्हीं नियम और शर्तों पर शामिल किया गया।

मई 2013 में सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिए 2 प्रतिशत ब्याज दर आर्थिक सहायता योजना में इंजीनियरिंग माल क्षेत्र की 101 टैरिफ लाइनों की एक अन्य सूची (अनुलग्नक 5) (उपर्युक्त मौजूदा 134 टैरिफ लाइनों के अतिरिक्त) और कपड़ा माल क्षेत्र की 6 टैरिफ लाइनों (अनुलग्नक 6) को भी उन्हीं नियम और शर्तों पर शामिल किया गया।

अगस्त 2013 में, मौजूदा क्षेत्रों के लिए ब्याज दर सहायता को 1 अगस्त 2013 से हाल के 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 3 % ब्याज दर सहायता का पूरा लाभ पात्र निर्यातकों तक पहुंचाएं।

आधार दर प्रणाली में परिवर्तित होने के परिणामस्वरूप 1 जुलाई 2010 से सभी नए/नवीनीकृत अग्रिमों के संबंध में रुपया निर्यात ऋण अग्रिमों की सभी अवधियों पर लागू ब्याज की दरें 6 मई 2010 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी).बीसी.सं.102/04.02.001/2009-10 में सूचित किए गए अनुसार आधार दर के बराबर अथवा उससे अधिक हैं। तदनुसार बैंकों को 7 प्रतिशत आधार दर के अधीन उपर्युक्त क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए आधार दर प्रणाली के अनुसार प्रभार्य ब्याज की दर में से ब्याज दर सहायता के रूप में उपलब्ध राशि घटानी चाहिए। यदि इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों को प्रभारित ब्याज दर आधार दर से कम हो जाती है तो इस तरह

के उधार को आधार दर दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

[क1] बैंकों को चाहिए कि वे यथालागू ब्याज दर सहायता का लाभ पूर्णतः और सीधे पात्र निर्यातकों को दें और स्वतंत्र लेखा-परीक्षक द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित दावों को प्रतिपूर्ति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दर सहायता की प्रतिपूर्ति बैंकों द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में प्रस्तुत तिमाही दावों के आधार पर की जाएगी।

विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण

5.1 विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व निर्यात ऋण (पीसीएफसी)

5.1.1 सामान्य

निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्राधिकृत व्यापारियों को इस बात की अनुमति दी गयी है कि वे निर्यातकों को निर्यातित वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होने वाली देशी या आयातित सामग्री के लिए लिबॉर/यूरो लिबॉर/यूरीबॉर से संबद्ध निम्नानुसार दरों पर विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण दें :

5.1.2 योजना

(i) यह योजना भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा ब्याज दरों पर पोतलदानपूर्व ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक अतिरिक्त सुविधा है। यह केवल नकदी निर्यातों के मामले में लागू होगी। रुपया निर्यात ऋण संबंधी अनुदेश विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व निर्यात ऋण पर भी उसी तरह लागू होंगे, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।

(ii) निर्यात वित्त प्राप्त करने के लिए निर्यातकों के पास निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे:

(क) वह पोतलदानपूर्व ऋण रुपये में ले और बाद में पोतलदानोत्तर ऋण या तो रुपये में ले या निर्यात बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत, जिसका विवरण पैरा 6.1 में दिया गया है, निर्यात बिलों की बट्टे पर भुनाई /पुनर्भुनाई कराए।

(ख) पोतलदानपूर्व ऋण विदेशी मुद्रा में ले और निर्यात बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत निर्यात बिलों की विदेशी मुद्रा में बट्टे पर भुनाई /पुनर्भुनाई कराए।

(ग) पोतलदानपूर्व ऋण रुपये में ले और बैंक के विवेकानुसार आहरणों को विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण में परिवर्तित करे।

(iii) मुद्रा का विकल्प

(क) यह सुविधा परिवर्तनीय मुद्राओं जैसे अमेरिकी डालर, पौंड स्टर्लिंग, जापानी येन, यूरो इत्यादि में से किसी एक मुद्रा में उपलब्ध करायी जाए।

(ख) यह उचित होगा कि बैंक किसी दूसरी परिवर्तनीय मुद्रा में इनवॉयस किए हुए निर्यात आदेश के मामले में किसी भी एक परिवर्तनीय मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण दें ताकि निर्यातकों को परिचालनगत लचीलापन उपलब्ध रहे। उदाहरणार्थ

यदि किसी निर्यात आदेश का इनवॉयस यूरो में तैयार किया गया है तो निर्यातक अमेरिकी डालर में पोतलदानपूर्व ऋण ले सकता है। किसी अन्य मुद्रा में लेनदेन करने से संबंधित जोखिम और लागत निर्यातक को वहन करना पड़ेगा।

- (ग) बैंकों को इस बात की अनुमति दी गयी है कि वे एशियाई समाशोधन संगठन के सदस्य देशों को किए जानेवाले निर्यातों के लिए विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण दें।
- (घ) निर्यात बिलों की वसूली के बाद या परिणामी निर्यात बिलों की 'दायित्व रहित' आधार पर पुनर्भुनाई के बाद ही निर्यातकों को देय सुविधा का लाभ मिल सकेगा।

5.1.3 बैंकों के लिए निधि का स्रोत

- (i) विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण के वित्तपोषण के लिए, बैंकों के पास विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खातों, निवासी विदेशी मुद्रा खातों और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत उपलब्ध विदेशी मुद्रा शेषों का उपयोग किया जा सकता है।
- (ii) बैंकों को इस बात की भी अनुमति दी गयी है कि वे इस प्रयोजन के लिए एस्करो खातों और निर्यातक विदेशी मुद्रा खातों में उपलब्ध विदेशी मुद्रा शेषों का भी उपयोग करें परन्तु ऐसा करते समय उन्हें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अनुमत लेनदेनों के लिए खाताधारकों द्वारा माँगी गयी राशि उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें दी जा रही है और व्यापक सुविधा के अंतर्गत खाते में अधिकतम राशि रखने संबंधी अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है।
- (iii) विदेशी मुद्रा में ऋण
- (क) इसके अलावा बैंक विदेशों से भी उधार की व्यवस्था कर सकते हैं। बैंक निर्यातकों को विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण देने के प्रयोजनार्थ, रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना भी, विदेशी बैंकों से ऋण संबंधी व्यवस्था के लिए समझौता कर सकते हैं बशर्ते ऐसे उधार के लिए ब्याज की दर छः माह की अवधि के लिए लाइबोर/यूरो लाइबोर/यूरीबोर से 15 नवंबर 2011 से 250 आधार अंक से अधिक न हो।
- (ख) यदि बैंक स्वयं विदेश से ऋण प्राप्त कर पाने की स्थिति में नहीं हों तो वे भारत में ही अन्य बैंकों से ऋण व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन इस शर्त के अधीन कि बैंक की विदेश में शाखा नहीं हो। उधार लेने वाले और उधार देने

वाले बैंक के बीच का स्प्रेड संबंधित बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

(ग) 4 मई 2012 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.डीआईआर.सं.100/04.02.001/2011-12 द्वारा बैंकों को विदेशी मुद्रा में दिए जाने वाले निर्यात ऋण पर 5 मई 2012 से ब्याज दरों के निर्धारण की स्वतंत्रता है।

(घ) बैंकों को चाहिए कि वे ऋण के संबंध में की गई व्यवस्था से केवल उस सीमा तक ही आहरण करें जितना कि उनके द्वारा पीसीएफसी के अंतर्गत निर्यातकों को ऋण प्रदान करने में किया गया है। तथापि, जहां विदेशी बैंक द्वारा ऋण सुविधा प्रदान करते समय आहरित की जाने वाली राशि की न्यूनतम सीमा लगाई गई है, जो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, वहां छोटे अप्रयुक्त भाग का प्रबंधन बैंक द्वारा उसकी विदेशी मुद्रा स्थिति और समग्र गैप सीमा (एजीएल) के अंतर्गत किया जा सकता है। इसी तरह निर्यातक द्वारा किए गए किसी भी पूर्व भुगतान को विदेशी मुद्रा स्थिति और एजीएल के अंतर्गत शामिल किया जाए।

(iv) यदि निर्यातकों ने आयातित सामानों को प्राप्त करने के लिए 'आपूर्तिकर्ता के ऋण' की व्यवस्था कर ली है तो बैंक विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण सुविधा निर्यात से संबंधित देशी वस्तुओं के वित्तपोषण के प्रयोजन हेतु ही उपलब्ध कराएँ।

(v) विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण (पीसीएफसी) प्रदान करने के लिए बैंकों को अधिसूचना सं. एफईएमए. 3/2000 आरबी दिनांक 3 मई 2000 के पैरा 4.2 (i) के अनुसार उधार ली गई विदेशी मुद्रा निधि तथा घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में खरीदी-बिक्री स्वैप के माध्यम से प्राप्त विदेशी मुद्रा निधि के उपयोग करने की अनुमति दी गयी है जोकि रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) द्वारा अनुमोदित सकल अंतर सीमा (एजीएल) के अनुरूप होनी चाहिए।

5.1.4 स्प्रेड

(i) 5 मई 2012 से बैंकों को विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दरों के निर्धारण की स्वतंत्रता है।

(ii) लाइबोर/यूरो लाइबोर/यूरीबोर दरें सामान्यतः 1,2,3,6 और 12 महीनों की मानक अवधि के लिए उपलब्ध हैं। यदि विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण छः माह से कम अवधि के लिए चाहिए तो बैंक मानक अवधि के आधार पर दरें कोट कर सकते हैं। तथापि, मानक अवधि से भिन्न अवधि के लिए दरें कोट करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोट की गयी दर अगली उच्चतर मानक अवधि दर से नीचे हो।

- (iii) बैंक विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण पर, मासिक अंतराल पर ब्याज की वसूली विदेशी मुद्रा की बिक्री या विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफ सी) खाते के शेष में से या यदि विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण (पीसीएफ सी) का समापन हो गया हो तो निर्यात बिलों के बट्टागत मूल्य पर कर सकते हैं।

5.1.5 ऋण की अवधि

- (i) विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण अधिकतम 360 दिन की अवधि के लिए दिया जाएगा। ऋण की अवधि में कोई भी वृद्धि उन्हीं शर्तों पर की जाएगी जो शर्तें रुपया पैकिंग ऋण की अवधि बढ़ाए जाने के मामले में लागू होती हैं।
- (ii) ऋण की अवधि में और अधिक वृद्धि संबंधित बैंक द्वारा निश्चित की गयी शर्तों पर होगी तथा यदि 360 दिनों के भीतर निर्यात नहीं हो पाता है तो विदेशी मुद्रा में दिए गए पोतलदानपूर्व ऋण का समायोजन संबंधित मुद्रा की टी.टी. बिक्री दर पर कर लिया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित बैंक विदेश में लिए गए ऋण/की गयी ऋण व्यवस्था की चुकौती/देय ब्याज की चुकौती के लिए विदेशी मुद्रा का प्रेषण कर सकते हैं तथा इसके लिए उन्हें रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- (iii) विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण की अवधि 180 दिनों तक बढ़ाए जाने के लिए, बैंक 5 मई 2012 से विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दरों के निर्धारण के लिए स्वतंत्र हैं।

5.1.6 रुपए के मूल्य में उतार-चढ़ाव से निर्यातकों के बचाव हेतु विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समग्र विनियामक संरचना के अंतर्गत बैंक अपनी स्वयं की आंतरिक उधार नीतियों के अनुसार भारतीय रुपये और विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण देते हैं, जैसे विदेशी मुद्रा में पोतलदान-पूर्व ऋण (पीसीएफसी) तथा विदेशी मुद्रा में पोतलदानोत्तर ऋण (पीएससीएफसी)।

2. निर्यात ऋण सीमाओं की गणना भारतीय रुपये में की जाती है तथा उसे रुपये तथा विदेशी मुद्रा घटकों में विभाजित किया जाता है, जो उधारकर्ता की आवश्यकता पर निर्भर करता है। समग्र निर्यात ऋण सीमाएं भारतीय रुपये में नियत की जाती हैं, जबकि निर्यात ऋण के विदेशी मुद्रा घटक में विद्यमान विनिमय दरों के आधार पर

घट-बढ़ होती रहती है।

3. यह देखा गया है कि जब भी भारतीय रुपये में मूल्यहास होता है:

- (i) निर्यात ऋण का न लिया गया विदेशी मुद्रा घटक कम हो जाता है;
- (ii) निर्यात ऋण के पहले से लिए गए विदेशी मुद्रा घटक का भारतीय रुपये के रूप में उच्चतर मूल्य में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप निर्यातक से आंशिक भुगतान करके एक्सपोजर कम करने के लिए कहा जाता है, अथवा जहां निर्यात ऋण सीमा का पूर्ण संवितरण नहीं किया गया है, वहाँ उधारकर्ता को उपलब्ध सीमा घट जाती है, जिससे निर्यातक को निधियों से वंचित होना पड़ता है।

4. उपर्युक्त के संदर्भ में आपका ध्यान निर्यातकों को सेवा/सुविधा पर गठित तकनीकी समिति (अध्यक्ष: श्री जी पद्मनाभन) की रिपोर्ट के पैरा 2.28 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार निर्यात वित्त सीमा भारतीय बैंकों द्वारा मंजूर की जाती है, जो पीसीएफसी तथा पीएससीएफसी जैसे विदेशी मुद्रा उधार का आवधिक (दैनिक से मासिक तक) रूप से पुनः मूल्यांकन करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप रुपया कमजोर होने की स्थिति में मंजूर सीमा से अधिक कल्पित अतिरिक्त उपयोग हो जाता है। समिति के विचार में उक्त सुविधा को विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित (डिनॉमिनेट) करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि निर्यातक रुपये के मूल्य में उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रहें।

5. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे चालू आस्तियों, चालू देयताओं और विनिमय दरों की विद्यमान स्थिति के आधार पर उधारकर्ता की समग्र निर्यात ऋण सीमा की निरंतर, जैसे मासिक आधार पर गणना करें, तथा बैंक की अपनी नीति के अनुसार विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण की सीमा पुनर्निधारित करें। इसके परिणामस्वरूप निर्यात ऋण के विदेशी मुद्रा घटक की भारतीय रुपये में समतुल्य राशि में घट-बढ़ हो सकती है।

6. इसके विकल्प के रूप में बैंक रुपए के मूल्य में उतार-चढ़ाव से निर्यातकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से निर्यात ऋण के विदेशी मुद्रा घटक को विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित (डिनॉमिनेट) कर सकते हैं। निर्यात ऋण के विदेशी मुद्रा घटक की मंजूरी, संवितरण और बकाया स्थिति विदेशी मुद्रा में रखी और निगरानी की जाएगी। तथापि, बैंक की बहियों में विदेशी मुद्रा आस्तियों के रूपांतरण के लिए प्रचलित

विनिमय/फेडाई दरों का उपयोग किया जाए।

5.1.7 विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का संवितरण

- (i) यदि विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण की पूरी राशि या उसके किसी भाग का उपयोग देशी सामानों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है तो बैंक संबंधित लेन देन के लिए उपयुक्त स्पॉट दर लगाएँ।
- (ii) जहाँ तक लेनदेन की न्यूनतम मात्रा का संबंध है, यह बैंकों पर निर्भर करेगा कि वे अपने पास संसाधनों की उपलब्धता का ध्यान रखते हुए अपनी परिचालनगत सुविधा के अनुसार ऐसी न्यूनतम मात्रा स्वयं निश्चित करें। तथापि न्यूनतम मात्रा निश्चित करते समय बैंकों को चाहिए कि वे अपने छोटे ग्राहकों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखें।
- (iii) बैंकों को अपनी कार्यविधि सरल और कारगर बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि पैकिंग ऋण सीमा प्राधिकृत कर दिए जाने के बाद विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण के लिए अलग से मंजूरी की आवश्यकता न पड़े तथा शाखाओं के स्तर पर संवितरण में विलम्ब न हो।

5.1.8 विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण खाते का समापन

(i) सामान्य

विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का समापन पैरा 6.1 में दी गयी निर्यात बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत डिस्काउंटिंग/रीडिस्काउंटिंग के लिए निर्यात दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद प्राप्त आय से अथवा विदेशी मुद्रा कर्ज (डीपीबिल) प्रदान करके किया जा सकता है। बैंकर और निर्यातक के आपसी समझौते से इसकी चुकौती / पूर्व भुगतान विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी खाते) के शेष तथा जिस सीमा तक निर्यात हुआ है उस सीमा तक निर्यातक के रुपये कोष से भी किया जा सकता है।

(ii) पोतपर्यंत निःशुल्क मूल्य से अधिक पैकिंग ऋण

कुछ मामलों में (जैसे एच पी एस ग्राउंडनट, डीफैटेड और डीआयल्ड केक, तंबाकू, कालीमिर्च, बादाम, काजू इत्यादि कृषि आधारित उत्पाद) जिनमें पोतपर्यंत निःशुल्क मूल्य से अधिक राशि के पैकिंग ऋण की आवश्यकता पड़ती है, उनमें विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण, उत्पाद के केवल निर्यात योग्य भाग के लिए ही प्राप्त होगा।

(iii) आदेश / वस्तु का प्रतिस्थापन

विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण की चुकौती / समापन ईईएफसी खाते की शेष राशि

बैंकविधि- रुपया / विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण

तथा निर्यातकों को ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र-2014

अथवा किसी अन्य ऐसे आदेश से संबंधित निर्यात दस्तावेजों से भी किया जा सकता है जिसके अंतर्गत निर्यातक द्वारा निर्यात की गई वही वस्तु या कोई अन्य वस्तु शामिल हो। संविदा के इस प्रकार प्रतिस्थापन की अनुमति देते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा करना वाणिज्यिक दृष्टि से आवश्यक और अपरिहार्य है। बैंकों को उन वास्तविक कारणों के बारे में भी संतुष्ट हो लेना चाहिए जिनके चलते किसी खास वस्तु के पोतलदान के लिए दिया गया विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण सामान्य तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता। जहाँ तक संभव हो, संविदा के प्रतिस्थापन की अनुमति तभी दी जानी चाहिए जब निर्यातक का खाता उसी बैंक में हो या यदि ऋण के लिए सहायता संघ बनाया गया है तो ऐसे संघ ने संविदा के प्रतिस्थापन के लिए अनुमोदन दिया हो।

5.1.9 निर्यात आदेश निरसन होना / पूरा न कर पाना

(i) जिस निर्यात आदेश के लिए निर्यातक ने बैंक से विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण लिया था, उस आदेश के निरसन हो जाने पर या किसी कारण से यदि निर्यातक निर्यात आदेश को कार्यान्वित नहीं कर पाता तो यह उचित होगा कि निर्यातक बैंक के माध्यम से देशी बाजार से विदेशी मुद्रा (मूलधन + ब्याज) का क्रय करके ऋण और उसपर देय ब्याज चुका दे। ऐसे मामलों में, मूलधन के बराबर रुपये पर पोतलदानपूर्व स्तर पर इसीएनओएस के लिए लागू दर पर ब्याज लगाया जाएगा, साथ ही विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण पर पहले ही वसूले जा चुके ब्याज का समायोजन करने के बाद, अग्रिम दिए जाने की तारीख से दंडात्मक ब्याज भी लगाया जाएगा।

(ii) बैंकों के लिए यह भी उचित होगा कि वे संबंधित राशि विदेश स्थित बैंक को प्रेषित कर दें बशर्ते विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण उस बैंक से ली गई ऋण राशि से निर्यातक को उपलब्ध कराया गया था।

(iii) बैंक बाद में यह सुनिश्चित करने के बाद कि ऐसे विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का पहले उचित कारणों के आधार पर निरसन किया गया था, ऐसे निर्यातकों को विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण दे सकते हैं।

5.1.10 सभी वस्तुओं के लिए चालू खाता सुविधा

(i) बैंक विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण योजना के अंतर्गत निर्यातकों को सभी वस्तुओं के लिए, रुपया ऋण के अंतर्गत उपलब्ध सुविधा के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन ‘‘चालू खाता’’ सुविधा दे सकते हैं :

क. यह सुविधा तभी दी जानी चाहिए जब निर्यातक ने बैंक की संतुष्टि के अनुसार यह साबित कर दिया हो कि ‘चालू खाता’ की सुविधा दिया जाना आवश्यक है।

- ख. बैंक यह सुविधा केवल उन्हीं निर्यातकों को दें जिनका ट्रैक रिकार्ड अच्छा हो।
- ग. उन सभी मामलों में, जिनमें पोतलदानपूर्व 'चालू खाता' सुविधा प्रदान की गयी है, साखपत्र या पुष्ट आदेश उपयुक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिये जाने चाहिए।
- घ. विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण के मामले में 'पहले ऋण का पहले समापन' आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
- ङ. विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का समापन उन निर्यात दस्तावेजों की आय से भी किया जा सकता है जिनके आधार पर निर्यातक ने कोई विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण नहीं लिया है।
- (ii) बैंकों को निर्यातक द्वारा बाद में पुष्ट आदेश या साखपत्र प्रस्तुत करने तथा निधियों के उद्दिष्ट उपयोग पर निगरानी रखनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संबंधित निधि का उपयोग किसी अन्य घरेलू काम के लिए नहीं किया जा रहा है। विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण के अंतर्गत किए गए आहरणों का निर्यात के लिए उपयोग न हो सकने की स्थिति में ऊपर बताए गए दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाने चाहिए और संबंधित निर्यातक से 'चालू खाता' सुविधा वापस ले ली जानी चाहिए।
- (iii) बैंकों को विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण योजना के अंतर्गत निर्यातक से कोई भी पूर्व भुगतान उपर्युक्त पैराग्राफ 5.1.3 (iii) (ख) में दिये गये अनुसार अपनी विदेशी मुद्रा स्थिति तथा समग्र अंतर सीमा (एजीएल) के भीतर प्राप्त करना चाहिए। 'चालू खाता' सुविधा उपलब्ध कराए जाने के परिणामस्वरूप अंतर की स्थिति अपेक्षाकृत लंबे समय तक बनी रह सकती है जिसके लिए बैंकों का खर्च भी बढ़ सकता है। बैंक एक महीने की अवधि के बाद के पूर्व भुगतान संबंधी अंतरों को समायोजित करने की निधीयन लागत, यदि कोई हो, निर्यातकों से वसूल कर सकते हैं।

5.1.11 फॉर्वर्ड संविदाएँ

- (i) ऊपर निर्दिष्ट पैरा 5.1.2 (iii) के अनुसार, किसी एक मुद्रा में इनवायस किए गए किसी निर्यात आदेश से संबंधित विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण को किसी अन्य परिवर्तनीय मुद्रा में रूपांतरित करके उपलब्ध कराया जा सकता है। बैंक किसी निर्यातक को इस बात की अनुमति दे सकते हैं कि वे, विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण लेने से पहले भी, पुष्ट निर्यात आदेश के आधार पर वायदा संविदाएँ बुक कर सकते हैं तथा विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण लेने के बाद प्रचलित बाजार दर पर

संविदा (आयातित निविष्टियों के लिए प्रयुक्त आहरण के अंश के लिए) निरस्त भी कर सकते हैं।

- (ii) बाजार में जिन मुद्राओं में अच्छी तरह लेन देन किया जा रहा है उनमें से ग्राहक की पसंद की किसी अनुमत मुद्रा में कवर प्राप्त करने की अनुमति ग्राहक को बैंक दे सकते हैं परन्तु ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राहक को अनुमत मुद्रा में विनिमय जोखिम है।
- (iii) योजना के अंतर्गत वायदा संविदाओं की अनुमति देते समय बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन संबंधी इस मूलभूत अपेक्षा का अनुपालन सुनिश्चित करें कि ग्राहक को निर्यात वित्त के विभिन्न स्तरों पर संबंधित लेनदेन के मामले में विनिमय संबंधी जोखिम है।

5.1.12 विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण के अंतर्गत निर्यात पैकिंग ऋण में हिस्सेदारी

- (i) निर्यात आदेश धारक तथा निर्यात की जानेवाली वस्तु के विनिर्माता रुपया निर्यात पैकिंग ऋण में हिस्सेदार हो सकते हैं। उसी प्रकार, निर्यात आदेश धारक द्वारा अपने बैंक के माध्यम से दावे का त्याग किए जाने के आधार पर बैंक विनिर्माता को विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण दे सकते हैं।
- (ii) विनिर्माता को मंजूर किए गए विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण की चुकौती निर्यात आदेश धारक द्वारा विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण लिए जाने या बिलों की डिस्काउंटिंग कराये जाने के बाद उसके खाते से विदेशी मुद्रा अंतरित करके की जा सकती है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेनदेन में दो-दो बार वित्तपोषण न होने पाए और पैकिंग ऋण की कुल अवधि निर्यातित माल के वास्तविक उत्पादन चक्र तक सीमित हो।
- (iii) यह सुविधा उन मामलों में दी जानी चाहिए जिनमें निर्यात आदेश धारक और निर्माता - दोनों के लिए बैंकर या बैंकों के सहायतासंघ का नेता एक ही हो या जिन मामलों में निर्यात आदेश धारक और निर्माता के बैंकर अलग-अलग हैं, उनमें संबंधित बैंक ऐसी व्यवस्था किए जाने के लिए सहमत हों। निर्यात आदेश धारक तथा निर्माता के बीच आपसी करार के अनुसार निर्यात लाभों को बांटा जाएगा।

5.1.13 किसी एक निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र /विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाई द्वारा किसी दूसरी निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र /विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाई को आपूर्ति

- (i) आपूर्ति करने वाली निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र /विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई और आपूर्ति प्राप्त करने वाली निर्यातोन्मुख इकाई/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई - दोनों को विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण प्रदान

किया जा सकता है ।

- (ii) आपूर्तिकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को दिया जाने वाला विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण उस कच्चे माल / उन सामानों की आपूर्ति के प्रयोजन के लिए होगा जिनका और अधिक प्रसंस्करण करके अन्त में प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई/ निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र / विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई द्वारा निर्यात किया जा सके ।
- (iii) आपूर्तिकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को दिए गए विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का समापन प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई से विदेशी मुद्रा प्राप्त करके किया जाना होगा जिसके लिए प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र /विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण प्राप्त कर सकती है ।
- (iv) ऐसे मामलों में विदेशी मुद्रा में भुगतान करके विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण के समापन की शर्त निर्यात दस्तावेजों का बेचान करके नहीं बल्कि प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र / विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई के बैंकर से आपूर्तिकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र /विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई के पास विदेशी मुद्रा अंतरित करके पूरी की जाएगी। इस प्रकार ऐसे लेनदेन में सामान्यतः आपूर्तिकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/ विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई के लिए कोई पोतलदानोत्तर ऋण नहीं होगा ।
- (v) ऐसे सभी मामलों में बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि एक ही लेनदेन के लिए दो बार वित्तपोषण न होने पाए । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को दिए गए विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का समापन निर्यात बिलों की डिस्काउंटिंग द्वारा किया जाएगा ।

5.1.14 मानित निर्यात

‘मानित निर्यातों’ हेतु विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों / फंडों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को केवल आपूर्ति के लिए ही दिया जा सकता है। मानित निर्यातों’ के लिए दिए गए विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का समापन, आपूर्ति के बाद अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए या परियोजना के प्राधिकारियों द्वारा भुगतान की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो के लिए विदेशी मुद्रा ऋण मंजूर करके किया जाना चाहिए । विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण की चुकौती / पूर्व भुगतान विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी) के शेष तथा निर्यातक के रुपया संसाधनों से वास्तव में की गयी आपूर्ति की सीमा तक किया जा सकता है ।

5.1.15 पुनर्वित्त

विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा दिए गए निर्यात ऋणों के लिए वे रिजर्व बैंक से कोई पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। इसलिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त प्राप्त करने के प्रयोजन से निर्यात ऋण संबंधी जो ऑकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, उनसे विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण की मात्रा को अलग दिखाया जाना चाहिए।

5.1.16 अन्य पहलू

- (i) निर्यातकों को लागू होनेवाली सुविधाएँ जैसे निर्यात संबंधी आय की पात्र प्रतिशत राशि विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता में जमा किया जाना इत्यादि निर्यात बिलों की वसूली के बाद ही उन्हें उपचित होंगी, न कि पोतलदानपूर्व ऋण के पोतलदानोत्तर ऋण में रूपान्तरण के स्तर पर (उन परिस्थितियों को छोड़कर जब कि बिलों की डिस्काउंटिंग/रीडिस्काउंटिंग 'दायित्व रहित' आधार पर होती है)।
- (ii) संबंधित निर्यात वित्त के समायोजन और विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा किए जाने के बाद निर्यात संबंधी शेष बची आय का उपयोग आयात बिलों के समायोजन हेतु करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- (iii) विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण विदेशी मुद्रा में दिया जाता है, और निर्यात ऋण गारंटी निगम की सुरक्षा केवल रुपये में ही प्राप्त होगी।
- (iv) निर्यात ऋण देने के मामले में बैंकों के कार्यनिष्पादन की गणना करने के प्रयोजन हेतु विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण के समरूप रुपये को ही हिसाब में लिया जाना चाहिए।

5.2 डायमंड डालर खाता (डीडीए) योजना

विदेश व्यापार नीति 2009-14 के अंतर्गत जो फर्म /कंपनियाँ अपरिष्कृत या कटाई किए हुए और पॉलिश किए हुए हीरों की खरीद /बिक्री करती हैं और हीरों के आयात या निर्यात में कम से कम दो वर्षों का जिनका ट्रैक रिकार्ड अच्छा है तथा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों (अप्रैल से मार्च तक) में जिनका वार्षिक टर्नओवर तीन करोड़ रुपये या अधिक रहा है, वे निर्दिष्ट डायमंड डालर खातों के माध्यम से अपना कारोबार कर सकती हैं।

योजना के अंतर्गत बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे डायमंड डालर खाता धारक को प्रदान किए गए विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का समापन अपरिष्कृत या कटाई

किए गए और पॉलिश किए गए हीरों की दूसरे डायमंड डालर खाता धारक को की गई बिक्री से प्राप्त डालर आय से करें। (डायमंड डालर खातों से संबंधित ब्योरों के लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा जारी किया गया 29 अक्टूबर 2009 का एपी (डीआइआर श्रृंखला)परिपत्र सं.13 देखें)

6. विदेशी मुद्रा में पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण

6.1 विदेश में निर्यात बिलों की पुनर्भुनाई योजना (ईबीआर)

6.1.1 सामान्य

बैंक विदेशी मुद्रा अर्जक खाते (ईईएफसी), निवासी विदेशी मुद्रा खाते (आरएफसी), विदेशी मुद्रा (अनिवासी) बैंक खातों में उपलब्ध विदेशी मुद्रा संसाधनों का उपयोग मीयादी बिल की भुनाई करने में कर सकते हैं तथा बिना उन बिलों की पुनर्भुनाई किये उन्हें अपने संविभाग में रख सकते हैं। बैंकों को इस बात की भी अनुमति दी गयी है कि वे विदेश में निर्यात बिलों की पुनर्भुनाई, पोतलदानोत्तर स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों से जुड़ी दरों पर करें।

योजना

- (i) प्रत्येक बिल के लिए विदेश में रीडिस्काउंटिंग की सुविधा लेने की अपेक्षा ज्यादा सुविधाजनक यह होगा कि बिल संविभाग के आधार पर (जिसके अंतर्गत सभी पात्र बिल शामिल होंगे) सुविधा ली जाय। किसी खास निर्यातक के मामले में, खासकर बड़े मूल्य के लेनदेन के मामले में, यदि प्रत्येक बिल के आधार पर रीडिस्काउंटिंग सुविधा की व्यवस्था बैंक द्वारा की जाती है तो यह आपत्तिजनक नहीं होगा।
- (ii) निर्यात बिलों की रीडिस्काउंटिंग के लिए बैंक बिना मार्जिन के और संपार्श्विकीकृत दस्तावेजों के द्वारा विधिवत सुरक्षित 'बैंकर स्वीकरण सुविधा' की व्यवस्था कर सकते हैं।
- (iii) प्रत्येक बैंक किसी विदेश स्थित बैंक या रीडिस्काउंटिंग एजेंसी के साथ या फैक्ट्रिंग एजेंसी जैसी किसी अन्य संस्था के साथ अपनी खुद की बैंकर स्वीकरण सुविधा (फैक्ट्रिंग व्यवस्था के मामले में यह "दायित्व रहित" आधार पर होनी चाहिए) सीमा निर्धारित कर सकता है।
- (iv) निर्यातक स्वयं भी किसी विदेशस्थित बैंक या किसी अन्य एजेंसी से (फैक्ट्रिंग एजेंसी सहित), अपने निर्यात बिलों की सीधी डिस्काउंटिंग के लिए ऋण की व्यवस्था कर सकते हैं परन्तु इस मामले में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :-
 - (क) निर्यातक द्वारा किसी विदेश स्थित बैंक और /या किसी अन्य एजेंसी से निर्यात

बिलों की सीधी डिस्काउंटिंग उसके द्वारा इस प्रयोजन हेतु नामित किसी प्राधिकृत व्यापारी की शाखा के माध्यम से ही की जाएगी।

- (ख) जिस नामित बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी से पैकिंग ऋण सुविधा ली गयी है उसी के माध्यम से ही निर्यात बिलों की डिस्काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि, इसकी प्रक्रिया किसी अन्य बैंक के माध्यम से आरंभ की जाती है तो वह बैंक रीडिस्काउंट किए गए बिल की आय से सबसे पहले संबंधित बैंक में पैकिंग ऋण के अंतर्गत बकाया राशि का समायोजन करेगा।
- (v) बैंकर स्वीकरण सुविधा के अंतर्गत विदेश स्थित बैंकों/ डिस्काउंटिंग एजेंसियों द्वारा बैंकों को मंजूर की गई ऋण सीमाओं की गणना रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा उनके लिए निश्चित की गयी उधार लेने की सीमा के प्रयोजन से नहीं की जाएगी।

6.1.3 पात्रता मानदंड

- (i) योजना के अंतर्गत मुख्यतः ऐसे निर्यात बिल शामिल होंगे जिनकी मीयाद पोतलदान की तारीख से 180 दिन होती है (सामान्य पारगमन अवधि और यदि कोई छूट की अवधि हो तो उसे शामिल करके)। तथापि, यदि विदेश स्थित संस्था को कोई आपत्ति न हो तो माँग बिलों को शामिल करने पर कोई रोक नहीं होगी।
- (ii) विदेशी मुद्रा विभाग के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार यदि उधारकर्ता 180 दिन से अधिक अवधि के लिए मीयादी बिल का आहरण करने के लिए पात्र है तो निर्यात बिल रीडिस्काउंटिंग के अंतर्गत पोतलदानोत्तर ऋण 180 दिन से अधिक अवधि के लिए प्रदान किया जा सकता है।
- (iii) रीडिस्काउंटिंग योजना के अंतर्गत सुविधा किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में प्रदान की जा सकती है।
- (iv) बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे एशियाई समाशोधन संगठन के सदस्य देशों को किए जाने वाले निर्यात के लिए निर्यात बिल रीडिस्काउंटिंग सुविधा दें।
- (v) परिचालनगत सुविधा के लिए बैंकर स्वीकरण सुविधा बैंक द्वारा नामित किसी एक शाखा में केन्द्रीकृत की जा सकती है। लेकिन बैंकों के आंतरिक दिशानिर्देशों/ अनुदेशों के अनुसार बैंक की दूसरी शाखाएँ भी यह सुविधा उपलब्ध करा सकती हैं।

6.1.4 समुद्रतटीय (ऑन शोर) निधियों के स्रोत

- (i) माँग बिलों के मामले में (उपर्युक्त पैरा 6.1.3 (i) में निर्दिष्ट बातों के अधीन) वर्तमान पोतलदानोत्तर ऋण सुविधा के माध्यम से या उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत बैंकों के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा शेषों में से निर्यातकों को दिए गए

विदेशी मुद्रा ऋणों के रूप में इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए ।

- (ii) निर्यात बिलों की रीडिस्काउंटिंग के लिए स्थानीय बाजार विकसित करने के लिए एक सक्रिय अंतर-बैंक बाजार की स्थापना और इसका विकास अपेक्षित है । यह संभव है कि बैंक बिलों की रीडिस्काउंटिंग के बिना ही उन्हें अपने संविभाग में रख लें । तथापि आवश्यकता पड़ने पर बैंक की स्थानीय बाजार में भी पहुंच होनी चाहिए जिससे देश को उतनी विदेशी मुद्रा बच सकेगी जितनी रीडिस्काउंटिंग पर खर्च करनी पड़ती है। इसके अलावा, चूँकि अलग-अलग बैंकों के पास अलग-अलग राशियों के लिए बैंकर स्वीकरण सुविधा होगी, अतः जिस बैंक के पास शेष उपलब्ध होगा वह किसी ऐसे बैंक को रीडिस्काउंटिंग की सुविधा उपलब्ध करा सकेगा जिसके अपने संसाधन समाप्त हो चुके हों या जो ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति में न हो ।
- (iii) यदि बैंक स्वयं विदेश से ऋण प्राप्त कर सकने की स्थिति में न हो या उनकी विदेश में शाखाएँ न हों तो वे भारत में ही अन्य बैंकों से ऋण व्यवस्था कर सकते हैं ।
- (iv) बैंकों को विदेश में निर्यात बिलों की रीडिस्काउंटिंग के लिए अधिसूचना सं. एफईएमए 3/2000 आरबी दिनांक 3 मई 2000 के पैरा 4.2(i) के अनुसार उधार ली गयी विदेशी मुद्रा निधियों तथा घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में खरीद-बिक्री के स्वैप प्राप्त विदेशी मुद्रा निधि का उपयोग करने की अनुमति दी गई है जो कि रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) द्वारा अनुमोदित सकल अंतर सीमा (एजीएल) के अनुरूप होनी चाहिए ।

6.1.5 ‘दायित्व सहित’ और ‘दायित्व रहित’ आधार पर रीडिस्काउंटिंग सुविधा

यह मानी हुई बात है कि बैंकर स्वीकरण सुविधा या किसी अन्य सुविधा के अंतर्गत विदेश से ‘दायित्व रहित’ सुविधा प्राप्त करना मुश्किल होगा । इसलिए बिल की रीडिस्काउंटिंग ‘दायित्व सहित’ की जा सकती है । तथापि यदि कोई प्राधिकृत व्यापारी प्रतिस्पर्धी दरों पर ‘दायित्व रहित’ सुविधा की व्यवस्था करने की स्थिति में है तो उसे ऐसी सुविधा की व्यवस्था करने की अनुमति है ।

6.1.6 लेखांकन संबंधी पहलू

- (i) निर्यात बिलों के बट्टाकृत मूल्य के बराबर रुपया राशि निर्यातक को भुगतान की जाएगी और उसी का इस्तेमाल बकाया निर्यात पैकिंग ऋण का समापन करने के लिए किया जाएगा ।

- (ii) चूँकि बिलों की डिस्काउंटिंग /विदेशी मुद्रा ऋण(डीपी बिल) दिए जाने का काम वास्तविक विदेशी मुद्रा में किया जाएगा, इसलिए बैंक लेन-देन के लिए उपर्युक्त स्पाँट दर लागू कर सकते हैं ।
- (iii) बट्टाकृत राशियों /विदेशी मुद्रा ऋण के बराबर रुपया राशि बैंक की बहियों में, वर्तमान पोतलदानोत्तर ऋण खातो से अलग रखी जानी चाहिए ।
- (iv) अतिदेय बिलों के मामले में बैंक देय तिथि से क्रिस्टलाइजेशन की तारीख तक बैंक की ब्याज दर नीति के अनुसार ब्याज लगा सकते हैं ।
- (v) रिज़र्व बैंक के ब्याज दर संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार रुपये में पोतलदानोत्तर ऋण के लिए लगने वाला ब्याज, क्रिस्टलाइजेशन की तारीख से ही लागू किया जाएगा।
- (vi) निर्यात बिल का भुगतान न हो पाने की स्थिति में यह उचित होगा कि बैंक पहले बट्टाकृत बिल के मूल्य के बराबर राशि डिस्काउंट करने वाले विदेश स्थित बैंक / एजेंसी के पास प्रेषित कर दे तथा ऐसा करने के लिए उसे रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति भी नहीं लेनी पड़ेगी ।

6.1.7 ऋण सीमा की पुनः उपलब्धता और निर्यात सुविधाओं (जैसे विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता) की उपलब्धता

जैसा कि पैरा 6.1.5 में बताया गया है, 'दायित्व रहित' सुविधा सामान्यतः उपलब्ध नहीं हो पाती है । इसलिए 'दायित्व रहित' सुविधा के मामले में निर्यातक की ऋण - सीमा की पुनः उपलब्धता और निर्यात सुविधाओं की उपलब्धता जैसे विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खातों में ऋण, निर्यात संबंधी आय प्राप्त होने के बाद हो सकेगी, न कि बिलों की डिस्काउंटिंग/ रीडिस्काउंटिंग की तारीख को। तथापि यदि बिलों की रीडिस्काउंटिंग 'दायित्व रहित' आधार पर की जाएगी तो निर्यातक की सीमाओं और निर्यात सुविधाओं की उपलब्धता रीडिस्काउंटिंग के तुरंत बाद प्रभावी कर दी जानी चाहिए ।

6.1.8 निर्यात ऋण गारंटी निगम का कवर

'दायित्व सहित' आधार पर बट्टाकृत निर्यात बिलों के मामले में निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा प्रदान किए गए कवर की वर्तमान प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि निर्यातक का दायित्व तब तक जारी रहता है जब तक संबंधित बिल का भुगतान नहीं हो जाता। अन्य मामलों में, जहाँ बिलों की रीडिस्काउंटिंग 'दायित्व रहित' आधार पर की जाती है, संबंधित बिल की रीडिस्काउंटिंग होते ही निर्यात ऋण गारंटी निगम की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है ।

6.1.9 पुनर्वित्त

बैंक इस योजना के अंतर्गत डिस्काउंट /रीडिस्काउंट किए गए निर्यात बिलों के बदले रिज़र्व बैंक से

पुनर्वित्त प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। अतः विदेशी मुद्रा में डिस्काउंट /रीडिस्काउंट किए गए बिल निर्यात ऋण पुनर्वित्त प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ सूचित किए गए निर्यात ऋण संबंधी आँकड़ों से अलग दिखाए जाने चाहिए ।

6.1.10 निर्यात ऋण संबंधी कार्यनिष्पादन

- (i) केवल विदेश में 'दायित्व सहित' आधार पर रीडिस्काउंट किये गए तथा बकाया बिल निर्यात ऋण संबंधी कार्यनिष्पादन के प्रयोजन से हिसाब में लिए जाएंगे । विदेश में 'दायित्व रहित' आधार पर रीडिस्काउंट किए गए बिल निर्यात ऋण कार्यनिष्पादन के लिए गिने नहीं जाएंगे ।
- (ii) देशी बाजार में 'आश्रय सहित' आधार पर रीडिस्काउंट किये गए बिल डिस्काउंट करने वाले पहले बैंक के मामले में ही दर्शाए जा सकेंगे क्योंकि केवल उसी बैंक के पास निर्यातक का आश्रय है तथा रीडिस्काउंटिंग करने वाला बैंक संबंधित राशि की गणना निर्यात ऋण के रूप में नहीं करेगा।

7. विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज

7.1 विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दर ढाँचा

'विदेशी मुद्रा में पोतलदान पूर्व ऋण' और 'विदेश में निर्यात बिलों की रीडिस्काउंटिंग' योजनाओं के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी दरों पर निर्यातकों को निर्यात ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंक 5 मई 2012 से विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

8. ग्राहक सेवा तथा कार्यविधि का सरलीकरण

8.1 ग्राहक सेवा

8.1.1 सामान्य

(i) बैंक अपने निर्यातक ग्राहकों को समय से तथा पर्याप्त ऋण दें तथा कार्यविधि संबंधी औपचारिकताओं और निर्यात के अवसरों के बारे में अवश्यक ग्राहक सेवाएँ /मार्गदर्शन प्रदान करें।

(ii) मुख्यतः छोटे निर्यातकों और गैर-परंपरागत निर्यात करनेवालों को मार्गदर्शन देने के लिए बैंकों को निर्यात परामर्श कार्यालय खोलने चाहिये।

8.1.2 निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल

निर्यातकों को ग्राहक सेवा देने से संबंधित विभिन्न मामलों का समाधान करने के निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने मई 2005 में निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए एक कार्यदल गठित किया था जिसमें चुने हुए बैंक और निर्यातकों के संगठन शामिल थे। उक्त कार्यदल ने व्यापक सिफारिशों की हैं जिनमें से अधिकांश को स्वीकार किया गया है और बैंकों को सूचित किया गया है। (देखें अनुबंध 1)।

8.1.3 निर्यातकों के लिए गोल्ड कार्ड योजना

भारत सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करके वर्ष 2003-04 की निर्यात-आयात नीति में निर्दिष्ट किया था कि ऋण पाने की योग्यता रखने के साथ अच्छा ट्रैक रिकार्ड रखने वाले निर्यातकों को सर्वोत्तम शर्तों पर निर्यात ऋण सुलभ कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गोल्ड कार्ड योजना बनायी जाएगी। तदनुसार, चुनिंदा बैंकों और निर्यातकों के परामर्श से गोल्ड कार्ड योजना बनाई गई। इस योजना में निर्यातकों के कार्यनिष्पादन के रिकार्ड के आधार पर उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ देने पर ध्यान दिया गया है। अपने अच्छे ट्रैक रिकार्ड के आधार पर गोल्ड कार्ड धारक को आसान और अधिक सक्षम ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(i) प्रत्येक बैंक द्वारा तय किये गये अपने मानदंडों के अनुसार छोटे और मध्यम निर्यातकों सहित ऋण पाने की योग्यता रखनेवाले अच्छा ट्रैक रिकार्ड रखने वाले सभी निर्यातक गोल्ड कार्ड पाने के लिए पात्र होंगे।

(ii) इस योजना के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करनेवाले छोटे और मध्यम क्षेत्रों सहित

पात्रता रखनेवाले सभी निर्यातकों को गोल्ड कार्ड जारी किए जा सकते हैं।

(iii) यह योजना उन निर्यातकों पर लागू नहीं होगी जिन्हें निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया है अथवा जिनके पिछले वर्ष के टर्नओवर के 10 प्रतिशत से अधिक के बिल अतिदेय हैं।

(iv) अपने ट्रेक रिकार्ड और ऋण पात्रता के अनुरूप गोल्ड कार्ड धारक निर्यातकों को अन्य निर्यातकों की तुलना में बैंकों से ब्याज दर सहित बेहतर शर्तों पर ऋण प्राप्त होगा।

(v) ऋण के आवेदनों पर अन्य निर्यातकों की तुलना में आसान मानदंडों पर तथा तीव्र प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

(vi) गोल्ड कार्ड धारकों को दिए जाने वाले हितलाभों को बैंक स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेंगे।

(vii) बैंकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं की प्रभार अनुसूची तथा फीस अन्य निर्यातकों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होगी।

(viii) इस योजना के अंतर्गत मंजूरी और नवीनीकरण एक आसान प्रक्रिया पर आधारित होगा जिसे बैंक निश्चित करेंगे। निर्यातक के अनुमानित निर्यात-टर्नओवर और ट्रेक रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए बैंक उदार रुख अपनाते हुए आवश्यकता पर आधारित वित्त निर्धारित करेंगे।

(ix) मंजूरी की शर्तों को पूरा करने के अधीन स्वतः नवीनीकरण के प्रावधान सहित 3 वर्ष की अवधि के लिए "सैद्धांतिक रूप में" सीमाएँ मंजूर की जाएंगी।

(x) अचानक प्राप्त हुए आदेशों का निष्पादन के लिए त्वरित ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनुमानित सीमा का कम से कम 20 प्रतिशत की तत्काल सीमा अतिरिक्त रूप से उपलब्ध करायी जा सकती है। मौसमी पण्यों के निर्यातकों के मामले में अधिकतम स्तर चरण स्तर और अन्य स्तरों को उचित रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(xi) अप्रत्याशित निर्यात आदेशों के मामले में, निर्यात आदेश के आकार और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, स्टॉक के मानदंडों को शिथिल कर दिया जाएगा।

(xii) बैंकों द्वारा कार्ड धारकों के नये आवेदनों के लिए 25 दिनों में, सीमाओं का नवीनीकरण 15 दिनों में तथा तदर्थ सीमाओं का निपटान 7 दिनों के भीतर शीघ्रतापूर्वक किया जाएगा।

(xiii) गोल्ड कार्ड धारकों को विदेशी मुद्रा में पैकिंग ऋण देने के मामलों में वरीयता दी जाएगी।

(xiv) कार्ड धारक की ऋण पात्रता और ट्रेक रिकार्ड के आधार पर बैंक ईसीजीसी गारंटी योजना से तथा संपार्श्विकता से छूट देने पर विचार कर सकते हैं।

(xv) कार्ड के माध्यम से अन्य मूल्यवर्द्धक सेवाएँ जैसे - एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग अंतराष्ट्रीय डेबिट /क्रेडिट कार्ड अतिरिक्त रूप से देने पर जारीकर्ता बैंकों द्वारा विचार किया जा सकता है।

(xvi) गोल्ड कार्ड योजना के अंतर्गत लगायी जानेवाली ब्याज दर प्रत्येक बैंक में निर्यात ऋण

पर लिए जाने वाले ब्याज की सामान्य दर से अधिक न हो और भारतीय रिज़र्व बैंक की निर्धारित सीमा के भीतर हो। इस योजना के अभिप्राय के मद्देनजर बैंक, गोल्ड कार्ड धारकों को उनकी रेटिंग और पिछले कार्यनिष्पादन के आधार पर सबसे अच्छी संभावित दर देने का प्रयास करेंगे।

(xvii) गोल्ड कार्ड धारकों के संबंध में, पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण के लिए निर्धारित ब्याज की दरें अधिकतम 365 दिनों की अवधि के लिए लगाई जा सकती हैं।

(xviii) निर्यात बिलों की नियत समय पर वसूली के संबंध में गोल्ड कार्ड धारकों के पिछले रिकार्ड के आधार पर उन्हें तुरंत भुगतान वाले दायित्व आदि की पूर्ति के लिए विदेशी मुद्रा क्रेडिट कार्ड जारी करने के संबंध में विचार किया जाएगा।

(xix) बैंक यह सुनिश्चित करें कि विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते की निधि आदि में से ऋण देने के संबंध में गैर-निर्यात उधारकर्ताओं की अपेक्षा गोल्ड कार्ड धारकों को प्राथमिकता दी जाए ताकि उनकी पीसीएफसी की अपेक्षाएं पूरी की जा सकें।

(xx) बैंक योग्य मामलों में अपने विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते, निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफ सी) आदि की निधि से विदेशी मुद्रा में मीयादी ऋण देने पर विचार करेंगे। (बैंक विदेशी उधार के 25 प्रतिशत पटल के तहत अपने विदेशी उधार से ऐसे ऋण प्रदान न करें)

8.1.4 विदेशी मुद्रा में आहरित निर्यात बिलों की आय जमा करने में विलंब

बैंकों के नोस्त्रो खातों में विदेशी मुद्रा संबंधित राशि जमा हो जाने के बाद भी विदेशी मुद्रा में आहरित निर्यात बिलों से संबंधित आय निर्यातकों को दिये जाने में विलम्ब होते देखा गया है।

यद्यपि इस आशय के अनुदेश पहले से ही हैं कि नोस्त्रो खातों में राशि जमा होने की तारीख से ही निर्धारित पोतलदानोत्तर ब्याजदर समाप्त हो जाएगी, तथापि निर्यातकों द्वारा ली गयी ऋण सीमाओं पर ग्राहक के खाते में रुपया समरूप राशि जमा किये जाने की वास्तविक तारीख तक रोक लगाकर रखी जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बिलों की वसूली के बाद निर्यातक को ऋण सीमाएँ तत्काल पुनः उपलब्ध करा दी जाएँ और ग्राहक को रुपया ऋण उपलब्ध करा दिया जाए।

8.1.5 निर्यात बिलों की आय विलंब से जमा किए जाने के कारण निर्यातकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान

(i) हर तरह से पूर्ण जमा सूचनाओं से संबंधित राशि जमा किये जाने में हुए विलंब के लिए, फेडाई द्वारा निर्दिष्ट क्षतिपूर्ति कि राशि, निर्यातक द्वारा माँग किये जाने का इंतजार किये बिना, निर्यातक ग्राहक को अदा कर दी जानी चाहिए।

(ii) निर्यातकों के खाते में निर्यात संबंधी आय समय से जमा किये जाने तथा फेडाई के नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति के भुगतान पर नजर रखने के लिये बैंकों को एक प्रणाली

विकसित करनी चाहिए।

(iii) बैंकों के आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण दलों को अपनी रिपोर्टों में इन पहलुओं पर खास नजर रखनी चाहिए।

8.2 निर्यात ऋण प्रस्तावों की मंजूरी

8.2.1 मंजूरी के लिए समय सीमा

ऋण सीमा संबंधित आवेदन पत्र अपेक्षित वित्तीय/परिचालन संबंधी विवरणों तथा अन्य ब्यौरों के साथ प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर निर्यात ऋण की नयी/ वर्धित सीमा की मंजूरी दे दी जानी चाहिए। गोल्ड कार्ड धारकों के अलावा, ऋण सीमा के नवीकरण और तदर्थ ऋण सीमाओं की मंजूरी के मामले में बैंकों को क्रमशः **30 दिन और 15 दिन** से अधिक समय नहीं लगाना चाहिए।

8.2.2 तदर्थ सीमा

कई बार बड़े निर्यात आदेशों के मामलों में निर्यातकों को ऐसे खर्च पूरे करने के लिये तदर्थ ऋण सीमाओं की जरूरत पड़ती है जिनका अंदाजा उन्हें पहले से नहीं होता। बैंकों को ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा बैंकों को ऐसे निर्यातकों के मामले में लचीला रुख अपनाना चाहिए जो कुछ वास्तविक कठिनाइयों के कारण कुछ खास निर्यात आदेशों के लिए उच्चतर ऋण सीमा से संबंधित समरूप अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था नहीं कर पाते। पोतलदानपूर्व/ पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण के रूप में मंजूर की गयी तदर्थ सीमाओं के मामले में कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाया जाए।

जिन मामलों में निर्यात ऋण सीमाओं का उपयोग पूरी तरह कर लिया जाता है, उनमें साखपत्रों के आधार पर आहरित बिलों के बेचान के मामले में बैंकों को ऐसे निर्यातकों के मामले में लचीला रुख अपनाना चाहिए और निर्यातकों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये शाखा प्रबंधकों को विवेकाधीन / उच्चतर मंजूरी संबंधी अधिकार देने पर भी विचार होना चाहिए। उसी तरह जिन प्राधिकारियों/बोर्डों/समितियों ने मूल ऋण मंजूर किया था, उन के द्वारा मंजूरी न दे दिए जाने तक, शाखाओं को भी बड़े हुए / तदर्थ ऋण के कुछ प्रतिशत भाग के संवितरण का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि निर्यातक अत्यावश्यक निर्यात आदेशों को समय से पूरा कर सके।

8.2.3 अन्य अपेक्षाएँ

- (i) निर्यात ऋण संबंधी प्रस्तावों की अस्वीकृति से संबंधित सभी मामलों की जानकारी, अस्वीकृति के कारण स्पष्ट करते हुए, बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को दी जानी चाहिए।
- (ii) बैंकों के आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण दलों को इस बात पर खास तौर से टिप्पणी देनी चाहिए कि निर्यात ऋणों की मंजूरी के मामले में रिजर्व बैंक द्वारा निश्चित की गयी समय-

सीमा का पालन किया गया या नहीं।

- (iii) कार्यशील पूँजी सीमा को ऋण और नकदी ऋण भाग में विभाजित करने के लिए निर्यात ऋण सीमाओं को अलग रखना चाहिए।
- (iv) निर्यातकों से संबंधित मामलों का समय से और तुरन्त निपटान सुनिश्चित करने के लिये बैंकों को अपने विदेशी विभागों/विशेष शाखाओं में उपयुक्त अधिकारियों को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित करना चाहिए।
- (v) निर्यातकों को ऋण सीमाओं की मंजूरी की स्थिति के संबंध में हर तिमाही में एक समीक्षा - नोट बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसे नोट में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताना चाहिए कि कितने आवेदनपत्रों पर (ऋण की मात्रा सहित) निर्धारित समय सीमा के अंदर मंजूरी दी गयी, कितने मामलों में विलंब से मंजूरी दी गयी और कितने मामले मंजूरी के लिए बकाया हैं तथा इसके कारण क्या हैं।

8.3 विदेशी मुद्रा और रुपये में निर्यात ऋण दिये जाने से संबंधित क्रियाविधि का सरलीकरण

8.3.1 सामान्य

निर्यातकों को समय से निर्यात ऋण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने तथा क्रियाविधि संबंधी असुविधाओं को दूर करने के लिये निम्नलिखित दिशानिर्देशों को लागू किया जाए। ये दिशानिर्देश रुपया निर्यात ऋण के साथ ही विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण के मामले में भी लागू होंगे।

8.3.2 दशानिर्देश

(i) क्रियाविधि का सरलीकरण

(क) बैंक आवेदन पत्र का प्रारूप और सरल बनाएँ तथा निर्यातकों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए उनसे कम आंकड़े माँगा करें ताकि निर्यातकों को आवेदन -पत्र भरने या बैंकों द्वारा माँगे गये आंकड़े देने के लिए बाहर से व्यावसायिकों की मदद न लेनी पड़े।

(ख) बैंक निर्यातकों की कार्यशील पूँजी संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए प्रोजेक्टेड बैलन्स शीट प्रणाली, टर्न-ओवर प्रणाली या नकदी बजट प्रणाली में से निर्यातकों के लिए जो भी सबसे उपयुक्त और अच्छी हो, वही प्रणाली अपनाएँ।

(ग) सहायता संघ द्वारा वित्त उपलब्ध कराये जाने के मामले में सहायता संघ द्वारा आकलन का अनुमोदन कर दिये जाने के बाद सदस्य बैंकों को चाहिए कि वे मंजूरी संबंधी प्रक्रिया साथ-साथ शुरू कर दें।

(ii) निर्यातकों को अनवरत ऋण

(क) बैंक सामान्यतः एक साल के लिए ऋण कि सुविधा उपलब्ध कराते हैं तथा हर साल उस की समीक्षा करते हैं। ऋण के नवीकरण में विलंब होने पर मंजूर की गयी ऋण

सीमा अनवरत जारी रखनी चाहिए और निर्यातकों की अनिवार्य आवश्यकताओं को तदर्थ आधार पर पूरा किया जाना चाहिए ।

- (ख) जिन प्रतिष्ठित निर्यातकों का पिछला रिकार्ड संतोषजनक है उन्हें बैंक लंबे समय के लिए ,जैसे तीन वर्ष के लिए ऋण व्यवस्था मंजूर करने पर विचार करें जिसमें समग्र तथा अधिकतम आकलित सीमा के भीतर ऋण की सीमा को घटा देने या बढ़ा देने का लचीलापन शामिल हो। जब निर्यातक कार्यनिष्पादन के लिये पहले से निर्धारित मानदंडों को पूरा कर ले तो सीमा बढ़ा दी जानी चाहिए। बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे बड़े हुए समय के लिए निर्यातकों को मंजूर की गयी अधिकतम सीमाओं के लिए प्रतिभूति संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर लें।
- (ग) मौसमी वस्तुओं, कृषि पर आधारित उत्पादों इत्यादि के निर्यात के मामले में बैंक निर्यातकों को पीक /नॉन पीक ऋण सुविधा मंजूर करें ।
- (घ) बैंक पोतलदानपूर्व ऋण और पोतलदानोत्तर ऋण को आपस में अदला-बदली करने की अनुमति दें ।
- (ङ) क्षमता विस्तार, मशीनरी के आधुनिकीकरण और तकनीक के विकास के लिये मियादी ऋण संबंधी जरूरतों की पूर्ति भी बैंकों द्वारा उनकी सामान्य ब्याज दर पर की जाए।
- (च) निर्यात ऋण सीमा का आकलन आवश्यकता पर आधारित होना चाहिये, न कि संपार्श्विक प्रतिभूति की उपलब्धता से प्रत्यक्षतः संबद्ध। निर्यातक के कार्यनिष्पादन और उसके पिछले रिकार्ड के आधार पर ऋण की आवश्यकता जिस सीमा तक उचित हो उस सीमा तक का ऋण, केवल संपार्श्विक प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
- (iii) पोतलदानपूर्व ऋण लेने के लिये निर्यात आदेश या साख-पत्र प्रस्तुत करने से छूट प्रदान करना
- (क) बैंकों को, जिन निर्यातकों का पिछला रिकार्ड लगातार अच्छा हो उन्हें पोतलदानपूर्व ऋण वितरित करते समय हर बार निर्यात आदेश या साख-पत्र प्रस्तुत करने के लिये उन पर जोर नहीं डालना चाहिए, बल्कि प्राप्त हुए निर्यात आदेशों या साखपत्रों का विवरण आवधिक आधार पर प्रस्तुत करने की एक प्रणाली लागू कर दी जानी चाहिए ।
- (ख) बैंक अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले निर्यातकों के मामले में प्रारंभ में ही निर्यात आदेश / साखपत्र प्रस्तुत किए जाने की शर्त से छूट प्रदान कर सकते हैं और उसके बजाय उन के पास बकाया आदेशों / साखपत्रों का आवधिक विवरण प्राप्त करने की प्रणाली लागू कर सकते हैं। तथापि इस का उल्लेख मंजूरी संबंधी प्रस्ताव में और निर्यातकों को जारी किए जाने वाले मंजूरी संबंधी पत्र में कर दिया जाना चाहिए तथा इस की जानकारी निर्यात ऋण गारंटी निगम को भी दे दी जानी चाहिए। इस

के अलावा यदि इस तरह की छूट की अनुमति निर्यात ऋण- सीमा की मंजूरी के बाद उपयुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन से दी जाती है, तो उसे मंजूरी की शर्तों में संशोधन के रूप में शामिल कर दिया जाना चाहिए और इस की जानकारी निर्यात ऋण गारंटी निगम को दी जानी चाहिए ।

(iv) निर्यात संबंधी दस्तावेजों पर कार्रवाई आरंभ करना

बैंकों के लिए ये अपेक्षित है कि वे, विदेशी मुद्रा प्रबंधन संबंधी विनियमों के अनुसार, निर्यात संबंधी दस्तावेजों पर कार्रवाई आरंभ करने के लिए मूल विक्रय संविदा/पक्का आदेश/विदेश स्थित क्रेता प्रतिहस्ताक्षरित प्रोफार्मा इनवायस/ विदेश स्थित क्रेता के प्राधिकृत अभिकर्ता से इंडेंट प्राप्त करें। निर्यात संबंधी दस्तावेजों पर कार्रवाई करते समय ऐसे दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर जोर नहीं देना चाहिए क्योंकि सीमा शुल्क प्राधिकारी ऐसे मामलों में माल का मूल्यांकन कर के अपेक्षित अनुमति प्रदान कर चुके होते हैं। इनमें अपवाद तभी होता है जब कोई लेनदेन साख-पत्र के आधार पर किया जाता है तथा ऐसी स्थिति में साख-पत्र की शर्तों के अनुसार विक्रय संविदा/अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण आवश्यक होता है।

(v) निर्यात ऋण की शीघ्रतापूर्वक मंजूरी

(क) निर्यातकों की सहायता करने के लिए विशेष शाखाओं में तथा निर्यात संबंधी बड़ा कारोबार करने वाली शाखाओं में एक ऐसी व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए जिस से ऋण संबंधी आवेदन पत्रों की तेजी से प्रारंभिक जांच की जा सके और अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए विचार- विमर्श किया जा सके।

(ख) निर्यात ऋण संबंधी प्रस्तावों के निपटान में निर्धारित समय सीमा का पालन किया जा सके इसके लिए बैंकों को अपनी आंतरिक प्रणाली और क्रियाविधि में सुधार लाना चाहिए और निर्यात ऋण संबंधी प्रस्तावों का निपटान निर्धारित समय सीमा से पहले भी करने के प्रयास करने चाहिए। निर्यात ऋण संबंधी प्रस्तावों के साथ एक ऐसा फ्लो चार्ट भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें ऋण संबंधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तारीख से लेकर उस पर प्रत्येक स्तर पर कार्रवाई करने के समय का उल्लेख किया जाए ।

(ग) बैंकों को निर्यात ऋण की मंजूरी के मामले में अपनी शाखाओं को और अधिकार प्रदान करने चाहिए ।

(घ) बैंकों को चाहिए कि वे निर्यात ऋण संबंधी प्रक्रिया के जितने स्तर हैं उनमें से कुछ मध्यवर्ती स्तरों को कम कर दें। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि निर्यात वित्त के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में तीन से अधिक स्तर न हों।

(ङ) बैंकों को चाहिए कि वे निर्यात ऋण संबंधी प्रस्तावों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए

शाखा के स्तर और प्रशासनिक कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त मूल्यांकन की प्रणाली लागू करें।

(च) निर्यातकों को कार्यशील पूँजी संबंधी सुविधाएं मंजूर करने के लिए बैंकों को चाहिए कि, जहाँ भी संभव हो, विशेष शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में ऋण समिति स्थापित हो। ऋण समिति के पास मंजूरी हेतु पर्याप्त उच्चतर शक्ति होनी चाहिए।

(vi) प्रचार और प्रशिक्षण

(क) सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी दरों पर विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण बैंकों की केवल कुछ शाखाओं में प्रदान किया जाता है। इस योजना को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए तथा विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्रतियोगी ब्याज दरों को दृष्टिगत रखते हुए और किसी भी संभावित विनिमय जोखिम को कम करने के लिए निर्यातकों को निर्यात ऋण का विदेशी मुद्रा में अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसलिए जिस क्षेत्र में निर्यातकों की संख्या अधिक हो उन क्षेत्रों में स्थित बैंकों को इस महत्वपूर्ण सुविधा का व्यापक प्रचार करना चाहिए और छोटे निर्यातकों सहित सभी निर्यातकों को यह सुविधा आसानी से उपलब्ध करानी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान करने के लिए और अधिक शाखाओं को नामित किया जा रहा है।

(ख) बैंकों को चाहिए कि वे मानित निर्यातों के लिए उपलब्ध निर्धारित ब्याजदर सुविधा का व्यापक प्रचार भी करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इस काम को देखने वाला स्टाफ इस बात से भलीभाँति अवगत है।

(ग) विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान करने के काम से जो अधिकारी जुड़े हों उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। निर्यात ऋण संबंधी कारोबार करने वाली विशिष्ट शाखाओं से कर्मचारियों का स्थानांतरण किए जाने के मामले में बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी जगह तैनात किये जाने वाले नये व्यक्तियों के पास विदेशी मुद्रा और निर्यात ऋण से संबंधित विषयों की पर्याप्त जानकारी हो ताकि निर्यात ऋण संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने/उनमें मंजूरी प्रदान करने में विलंब न हो तथा निर्यातकों को निर्यात आदेशों के रद्द होने का जोखिम न हो।

(vii) ग्राहकों को जानकारी देना

(क) बैंकों को एक हैंडबुक तैयार करनी चाहिए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी दरों पर विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण तथा रुपये में निर्यात ऋण मंजूर करने संबंधी सरलीकृत प्रक्रिया की विशेष बातों की जानकारी दी गई हो ताकि निर्यातक इसका लाभ उठा सकें।

- (ख) बैंकों और निर्यातकों के बीच विचारों के आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए बैंकों को ऐसे केन्द्रों पर निर्यातकों की बैठकें आयोजित करनी चाहिए जहाँ निर्यातकों की संख्या अधिक हों।

8.3.2 दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर नजर रखना

- (i) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्यातकों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर पूरी तरह और शीघ्र पूरा किया जा रहा है। उपर्युक्त दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन, इस मास्टर परिपत्र की मूल भावना को दृष्टिगत रखते हुए सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि निर्यात क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने और संबद्ध बैंकिंग सेवाएं प्रदान किए जाने के मामले में पर्याप्त सुधार परिलक्षित हों। बैंकों को अपने संगठन के अंतर्गत स्टाफ की तैनाती की प्रणाली की कमियां, यदि कोई हो तो, को भी दूर करना चाहे ताकि निर्यात क्षेत्र में ऋण के प्रवाह के मार्ग की बाधाएं को दूर किया जा सके।
- (ii) संबंधित दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन किस सीमा तक किया जा रहा है, इस बात का पता लगाने के लिए बैंकों को एक आंतरिक कार्यदल गठित करना चाहिए जो समय समय पर, जैसे हर दो महीने में शाखाओं का दौरा करे।

8.4 राज्य स्तरीय बैंकर समिति के अंतर्गत अलग उप-समिति का गठन

राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति (एसएलईपीसी) के समापन के परिणामस्वरूप राज्य स्तर पर निर्यात वित्त तथा बैंक से संबंधित अन्य विषयों से संबंधित मामलों पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की उप-समिति द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस उप-समिति में जिसे 'निर्यात संवर्धन के लिए एसएलबीसी की उप-समिति' नाम से जाना जाता है, क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) के अलावा स्थानीय निर्यातकों के संघ, भारतीय स्टेट बैंक, पर्याप्त निर्यात व्यापार करने वाले दो/तीन अग्रणी बैंक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीमा शुल्क, राज्य सरकार (वाणिज्य तथा उद्योग विभाग तथा वित्त विभाग), भारतीय निर्यात-आयात बैंक, निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ, समिति के सदस्यों के रूप में शामिल होंगे।

उप-समिति की बैठकें छमाही अंतरालों पर होंगी अथवा आवश्यकता होने पर उससे पहले भी हो सकती हैं। एसएलबीसी का संयोजक बैंक ही संबंधित राज्य में उप-समिति की बैठक का संयोजक होगा और संयोजक बैंक के कार्यपालक निदेशक बैठकों के अध्यक्ष रहेंगे। सभी संबंधितों को भावी बैठकों के आयोजन की तिथियों के बारे में अग्रिम रूप से सूचना दी जाती है ताकि निर्यात क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों पर समुचित ध्यान दिया जा सके।

9. रिपोर्ट भेजने संबंधी अपेक्षाएँ

9.1 बैंकों के निर्यात ऋण कार्यनिष्पादन का सूचक

9.1.1 प्रत्येक बैंक के लिए अपेक्षित है कि वह अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी)¹ के 12 प्रतिशत के बराबर बकाया निर्यात ऋण का स्तर प्राप्त करे। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, निदेश प्रभाग (निर्यात ऋण) हर **छह महीने के** अंतराल पर इस मामले में बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है। निर्यात ऋण देने के मामले में बैंकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, ऑसमॉस प्रभाग, मुंबई को बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले तिमाही आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।

9.1.2 बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण के 12 प्रतिशत के बराबर निर्यात ऋण के स्तर तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। जहां बैंकों ने पहले ही 12 प्रतिशत तक निर्यात ऋण प्रदान कर दिया है वहां उसे उच्चतर स्तर तक बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अनुपात में कमी न आने पाए। अच्छे निर्यात आदेशों के मामले में बैंकों को निर्यात ऋण देने से मना नहीं करना चाहिए।

9.1.3 निर्यात ऋण का निर्धारित स्तर प्राप्त न कर पाने पर या निर्यात ऋण संबंधी कार्यनिष्पादन में स्पष्ट सुधार न दिखाई देने पर संबंधित बैंक के संबंध में कुछ नीतिगत कदम उठाए जा सकते हैं जिनके अंतर्गत प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं में वृद्धि तथा पुनर्वित्त सुविधाएँ वापस ले लेना शामिल होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग का निदेश प्रभाग (निर्यात ऋण) निर्यात ऋण के संबंध में बैंकों के कार्यनिष्पादन पर कड़ी नजर रखेगा।

9.2 निर्यात ऋण संवितरण संबंधी तिमाही आँकड़े

बैंकों को निर्यात ऋण संवितरण संबंधी आँकड़े हर तीन महीने पर **अनुबंध 2** में दिए गए फॉर्मेट में भेजने चाहिए। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, ऑसमॉस प्रभाग, सेंटर -1, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई - 400 005 को संबंधित तिमाही के परवर्ती माह के अंत तक प्राप्त हो जाए।

10. हीरा निर्यातकों को लदान पूर्व ऋण - विवादग्रस्त हीरे (कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स) -किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (केपीसीएस) को लागू करना

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव सं. 1173 एवं 1176 के द्वारा विवादग्रस्त हीरों के व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि सियारा लोन के गृहयुद्ध प्रभावित क्षेत्रों में विद्रोहियों को धन देने में विवादग्रस्त हीरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव सं. 1306 (2000) तथा क्रमशः 1343(2001) के अनुसार सियारा लोन तथा लाइबेरिया से सभी किस्म के कच्चे हीरों के

¹ (एएनबीसी निवल बैंक ऋण (एनबीसी) तथा परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में रखे गए गैर-एसएलआर बांडों में बैंकों द्वारा किए गए निवेश हैं। बैंकों की उपलब्धि का मूल्यांकन एएनबीसी अथवा तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि, इनमें से, जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाएगा। कई बैंकों का (उनमें से अधिकतम विदेशी बैंक हैं) तुलनपत्रेतर एक्सपोजर उच्चतर स्तर पर था। साथ ही, विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियां और अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय जमाराशियां निवल बैंक ऋण में से घटाई नहीं गई हैं।)

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आयात को निषेध कर दिया गया है। अन्य देशों के साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र की नयी किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम को स्वीकार किया है जिससे खुदाई या अवैध व्यापार से देश में कच्चे हीरों का आयात रोकना सुनिश्चित किया जा सके। अतः भारत में हीरों का आयात करते समय किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेट (केपीसी) का होना जरूरी है। उसी प्रकार भारत से निर्यात करते समय केपीसी साथ में होना चाहिए जिसमें ज्ञात हो कि प्रक्रिया में कांफिलक्ट/कच्चे हीरे उपयोग में नहीं लाए गए हैं। आयात/निर्यात के मामलों में रत्न और आभूषण संवर्धन परिषद द्वारा के.पी.सी. (प्रमाणपत्र) की जाँच/वैधता की जाएगी। किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम लागू करना सुनिश्चित करने के लिए, किसी भी प्रकार के हीरों से जुड़े व्यापार करने के लिए बैंक से ऋण पाने वाले ग्राहकों से बैंक, **अनुबंध 3** में दिए गए प्रपत्र में एक घोषणा पत्र प्राप्त करें।

निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल की सिफारिशें

निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल ने ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की है जो सिफारिशें स्वीकार की गयी हैं और बैंकों को सूचित की गयी हैं, वे नीचे प्रस्तुत हैं:

(क) निर्यात ऋण की वर्तमान क्रियाविधि की समीक्षा

- i) छोटे और मझौले निर्यातकों के साथ कार्रवाई करते समय बैंकों के अधिकारियों के दृष्टिकोण के रुख में परिवर्तन की जरूरत है। बैंक इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाएं।
- ii) बैंकों को ऐसा नियंत्रण और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि विशेष रूप से छोटे और मझौले निर्यातकों के निर्यात ऋण के लिए आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटान किया जाता है।
- iii) निर्यात ऋण के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करते समय बैंकों को एक ही बार में सभी प्रश्न उठाने चाहिए जिससे ऋण मंजूर करने में विलंब से बच सकें।
- iv) फार्मों को सही ढंग से भरने के संबंध में बैंकों से तकनीकी सहायता लेते हुए लघु उद्योग/निर्यात संगठनों द्वारा विशेष रूप से दूर-दराज के केंद्रों में स्थित छोटे और मझौले निर्यातकों को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- v) जहां तक हो सके, संपार्श्विक जमानत पर जोर न दिया जाए।
- vi) राज्य स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी) की उप-समितियों के रूप में पुनर्गठित राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समितियों (एसएलईपीसी) को बैंकों और निर्यातकों के बीच समन्वय बढ़ाने में अधिक भूमिका निभानी चाहिए।

(ख) गोल्ड कार्ड योजना की समीक्षा

- i) चूंकि बैंकों द्वारा जारी गोल्ड कार्डों की संख्या कम है, अतः बैंकों को सूचित किया गया कि वे सभी पात्र निर्यातकों, खास तौर से लघु और मध्यम उद्यम निर्यातकों को कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं और यह सुनिश्चित करें कि यह प्रक्रिया तीन महीनों की अवधि के भीतर पूरी की जाती है।
- ii) सभी बैंकों द्वारा इस योजना के अधीन परिकल्पित रूप में गोल्ड कार्ड जारी करने की सरल क्रियाविधि लागू की जानी चाहिए।
- iii) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम की पैकिंग ऋण गारंटी क्षेत्रीय योजनाओं से सभी

पात्र गोल्ड कार्ड धारक निर्यातकों को छूट देने के संबंध में बैंक उनके पिछले (ट्रेक) रिकार्ड के आधार पर विचार करें ।

(ग) गैर-स्टार निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण की समीक्षा

बैंकों को छोटे और मझौले उद्यम निर्यातकों की ऋण समस्याओं को हल करने के लिए क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों और प्रमुख शाखाओं में नोडल अधिकारी नियोजित करने चाहिए

(घ) अन्य मुद्दों की समीक्षा

- i) रिज़र्व बैंक द्वारा 30 जून 2010 तक निर्धारित ब्याज दरें उच्चतम दरें हैं । चूंकि बैंकों को कम ब्याज दरें लगाने की स्वतंत्रता है, अतः बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उच्चतम दरों से कम दरों पर निर्यात ऋण प्रदान करने पर विचार करें ।
- ii) बैंकों को चाहिए कि वे निर्यातकेतर उधारकर्ताओं को विदेशी मुद्रा ऋणों की तुलना में निर्यातकों की विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें ।

निर्यात ऋण डेटा (संवितरण /बकाया)

प्राधिकृत व्यापारी बैंक का नाम :

| | | |
|------|-------|-------------------|
| वर्ष | महीना | बैंक/एफ आई कोड |
| | | |

सभी निर्यातकों के लिए दिनांक. (मार्च/जून/सितंबर/दिसंबर को समाप्त तिमाही के अंतिम शुक्रवार)
को कुल संवितरण और बकाया शेष दर्शाने वाला विवरण :

(राशि करोड़ रुपये में)

| तिमाही के दौरान संवितरण | | | | | | तिमाही के अंतिम शुक्रवार को बकाया शेष | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|
| पोतलदानपूर्व ऋण | | पोतलदानोत्तर ऋण | | | | पोतलदानपूर्व ऋण | | पोतलदानोत्तर ऋण | | | |
| रुपया ऋण | विदेशी मुद्रा में पोतलदान-पूर्व ऋण | रुपया ऋण | निर्यात बिल रिडिस्काउंटिंग | आस्थगित भुगतान | अन्य (सरकार से प्राप्य) भुगतान | रुपया ऋण | विदेशी मुद्रा में पोतलदान-पूर्व ऋण | रुपया ऋण | निर्यात बिल रिडिस्काउंटिंग | आस्थगित भुगतान | अन्य (सरकार से प्राप्य) भुगतान |
| | | | | | | | | | | | |

उपर्युक्त में से गोल्ड कार्ड धारकों के संवितरण और बकाया शेष :

संदर्भाधीन तिमाही के अंत तक जारी किए गए गोल्ड कार्डों की कुल संख्या : -----

(राशि करोड़ रुपये में)

| तिमाही के दौरान संवितरण (गोल्ड कार्ड धारकों के लिए) | | | | | | तिमाही के अंतिम शुक्रवार को बकाया शेष (गोल्ड कार्ड धारकों के लिए) | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|
| पोतलदानपूर्व ऋण | | पोतलदानोत्तर ऋण | | | | पोतलदानपूर्व ऋण | | पोतलदानोत्तर ऋण | | | |
| रुपया ऋण | विदेशी मुद्रा में पोतलदान-पूर्व ऋण | रुपया ऋण | निर्यात बिल रिडिस्काउंटिंग | आस्थगित भुगतान | अन्य (सरकार से प्राप्य) भुगतान | रुपया ऋण | विदेशी मुद्रा में पोतलदान-पूर्व ऋण | रुपया ऋण | निर्यात बिल रिडिस्काउंटिंग | आस्थगित भुगतान | अन्य (सरकार से प्राप्य) भुगतान |
| | | | | | | | | | | | |

(क) निर्यात बिल रिडिस्काउंटिंग योजना के अंतर्गत 'विदाउट रिकोर्स' डिस्काउंटेड /रिडिस्काउंटेड बिलों की राशि बकाया शेष से बाहर रखी जानी चाहिए ।

(ख) यदि अंतिम शुक्रवार किन्हीं महीनों जैसे मार्च, जून आदि का अंतिम दिन नहीं होता तो बैंकों को शेष बची अवधि के संवितरण अगली तिमाही में शामिल करने चाहिए ।

उदाहरण के लिए: यदि मार्च तिमाही का अंतिम शुक्रवार 25 मार्च को पड़ता है तब 26 मार्च से 31 मार्च तक के संवितरण जून तिमाही में शामिल किए जाएँगे ।

औ.नि.ऋ.वि. के परिपत्र सं. 13/04.02.02/2002-03
दिनांक 3 फरवरी, 2003 का संलग्नक

हीरा ग्राहकों से प्राप्त किया जानेवाला वचन-पत्र

**हीरों से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यापार
करने के लिए ऋण पानेवाले ग्राहकों से
लिया जाने वाला वचन पत्र का फार्म**

"मैं एतद्वारा वचन देता हूँ :

- (i) मैं जानबूझकर विवादग्रस्त हीरों का ऐसा कोई व्यापार नहीं करूँगा, जिसे संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव सं. 1173, 1176 एवं 1343(2001) के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है अथवा जिसे लाइबेरिया सहित अफ्रीका क्षेत्र के संबंधित देश के विधिसम्मत एवं अंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त सरकार के विरुद्ध विद्रोह करनेवाली शक्तियों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों से प्राप्त किया गया है।
- (ii) मैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प सं. 1306(2000) जो कि सियारा लोन से सभी अपरिष्कृत हीरों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात का निषेध करता है तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प सं. 1343(2001) जो कि सियारा लोन से सभी प्रकार के अपरिष्कृत हीरों के ऐसे आयात को रोकता है तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प सं. 1343 (2001) जो लाइबेरिया से इनके ऐसे आयात पर प्रतिबंध लगाता है, के अनुसार सियारा लोन तथा/अथवा लाइबेरिया से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आनेवाले अपरिष्कृत हीरों का आयात नहीं करूँगा भले ही इन हीरों का उद्गम लाइबेरिया में हुआ हो या न हो।
- (iii) मैं हीरों के लेन-देन के लिए किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम का पालन करूँगा।

मैं अपनी सहमति भी देता हूँ कि यदि मैं जान बूझकर ऐसे हीरों का व्यापार करने का दोषी पाया जाता हूँ तो किसी भी समय, मेरी समस्त ऋण पात्रताएँ वापस ले ली जाएँगी"।

अनुबंध 4

दिनांक 14 जनवरी 2013 के परिपत्र डीबीओडी. डीआईआर (ईएक्सपी) .बीसी. सं. 69/
04.02.001/2012-13 का संलग्नक

| Tariff Lines of Engineering Products approved for Inclusion for Interest Subvention | | |
|---|----------|--|
| Sl. No. | ITC (HS) | Description |
| 1 | 7301 | SHEET PILING OF IRON OR STEEL, WHETHER OR NOT DRILLED, PUNCHED OR MADE FROM ASSEMBLED ELEMENTS; WELDED ANGLES, SHAPES |
| 2 | 7309 | RESERVRS & CONTAINRS FR ANY MATRL(OTHR THNCMPRSD / LIQD GAS)OF IRN / STL-CAPCTY>300 LTR NOT FITD WITH MECHNCL / THERMAL EQUIPMEN |
| 3 | 7310 | TANKS, DRUMS ETC & SMLR CONTNRS FOR MATERLS (OTHR THN CMPRSD / LQFD GAS)-CAPCTY<=300LTRNOT FITTED WTH MECHNCL OR THERML EQ |
| 4 | 7311 | CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS, OF IRON OR STEEL |
| 5 | 7314 | CLOTH (INCLUDING ENDLESS BANDS), GRILL, NETTING AND FENCING, OF IRON OR STEEL WIRE; EXPANDED METAL OF |
| 6 | 7315 | CHAIN AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL |
| 7 | 7316 | ANCHORS, GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL |
| 8 | 7317 | NAILS, TACKS, DRAWING PINS, CORRUGATED NAILS, |
| 9 | 7318 | SCRWES, BOLTS, NUTS, COACHSCREWS, SCREW HOOKS RIVETS, COTTERS, COTTER-PINS, WASHERS (INCL SPRING WASHERS) & SMLR ARTICLES OF IRN / STL |
| 10 | 7319 | SEWNG, KNITING NEEDLS,BODKINS,CROCHET BOOKSETC. & SMLR ARTCLS FOR USE IN HAND,OF IRN / STL;SAFETY PINS & OTHR PINS NES / INCLU |
| 11 | 7320 | SPRINGS AND LEAVES FOR SPRINGS, OF IRON OR STEEL |
| 12 | 7321 | STOVES, RANGS, GRATS, COOKRS, BARBECUS, BRAZIRS GAS-RINGS, PLATE WARMRS & SMLR NON- ELECTRICDOMESTC APPLIANCES & ITS PRTS OF I |
| 13 | 7322 | RADTRS FR CNTRL HTNG & ITS PRTS OF IRN / STL AIR HTRS & HT AIR DSTRBTRS NT ELCTRCLY HTD, INCORPRTNG MOTOR DRIVN FAN & ITS PR |
| 14 | 7323 | TABLE KITCHN OR OTHR DOMESTIC ARTCLS & ITSPARTS OF IRN / STL; IRN OR STL WOOL; SCOURERS OR POLISHNG PADS,GLOVS & LIKE OF |
| 15 | 7324 | SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL |
| 16 | 7408 | COPPER WIRE |
| 17 | 7409 | COPPER PLATES, SHEETS AND STRIP, OF A THICKNESS EXCEEDING 0.12.5 MM |
| 18 | 7410 | COPPER FOIL (W/N PRINTD OR BACKD WTH PAPR, PAPRBORD, PLSTCS OR SMLR BACKING MATERLS) OF A THICKNESS (EXCL BACKING)<=0.15 MM |
| 19 | 7411 | COPPER TUBES AND PIPES |

| | | |
|----|------|--|
| 20 | 7412 | COPR TUBE / PIPE FITNG (CUPLNGS, ELBOWS, SLEVS) |
| 21 | 7413 | STRANDED WIRE, CABLES, PLATED BANDS AND THE LIKE, OF COPPER, NOT ELECTRICALLY INSULATED |
| 22 | 7415 | NAILS, TACKS, DRAWING PINS, STAPLES (OTHER THAN THOSE OF HEADING 8305) AND SIMILAR ARTICLES, OF COPPER OR OF IRON OR STEEL |
| 23 | 7418 | TABLE, KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEREOF, OF COPPER; POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, G |
| 24 | 7419 | OTHER ARTICLES OF COPPER |
| 25 | 7607 | ALMNM FOIL(W/N PRNTD / BCKD WTH PAPR PAPRBOARD-PLSTCS ETC.) OF THCKNS (EXCL ANY BCKNG) NT EXCDNG 0.2 MM |
| 26 | 7611 | ALMNM RSVRS, TNKS, VATS ETC. FR ANY MATRL (EXCL CMPRSSD GAS) OF CPCTY>300L,W/N LND HT-INSLTD,BT NT FTD WTH MCHNL / THRML EQPMNT |
| 27 | 7612 | ALMNM CSKS, DRMS, CANS ETC(INCL CLPSBL TBLR CONTNRS) FR ANY MTRL(EXCL GAS), OF<=300L,W/ NW/N LIND BUT NT FTD WTH MHCHNCL / THRML EQU |
| 28 | 7613 | ALMNM CONTAINERS FOR COMPRESSED / LQFD GAS |
| 29 | 7614 | STRANDED WIRE, CABLES, PLAIED BANDS AND THE LIKE, OF ALUMINIUM, NOT ELECTRICALLY INSULATED |
| 30 | 7615 | TABL,KTCHN / OTHR HOUSLD ARTCLS & PRTS OF ALMNM, POT SCOURS & SCOURNG / POLSHNG PADS GLOVS & TH LIKE, SNTRY WRE & PRTS OF ALMNM |
| 31 | 8201 | HND TOOLS LIKE SPADES, SHOVELS, HOES, FORKS AXES & SIMLR SEWING TOOLS SECATRS-ANY KINDKNIVES, HEDGE SHEARS ETC USD IN AGR / FORSTRY |
| 32 | 8202 | HND SAWS; BLDES FOR SAWS OF ALL KINDS (INCLD SLITNG SLOTNG OR TOTHLSES SAW BLADES |
| 33 | 8203 | FILES, RASPS, PLIERS (INCLUDING CUTTING PLIERS), PINCERS, TWEEZERS, METAL CUTTING SHEARS, PIPE-CUTTERS, BOLT CROPPERS |
| 34 | 8204 | HND OPRTE SPANERS & WRENCHS (INCLD TORQUE METER WRENCHS BUT NT TAP WRENCHS); INTER CHANGBLE SPANER SOCKETS WTH HANDLE OR NOT |
| 35 | 8205 | HND TOOLS (INCLD GLAZIERS'DIAMONDS) N.E.S. BLOW LAMPS; VICES, CLAMPS, OTHR THN ACSORS & PRTS OF MCHN TLS; ANVILS; PRTBLE FORGES ETC |
| 36 | 8206 | TOOLS OF TWO OR MORE OF THE HEADINGS 8202 TO 8205, PUT UP IN SETS FOR RETAIL SALE |
| 37 | 8207 | INTRCHANGBL TOOLS FOR HND TOOLS W/N POWR OPERATD OR FOR MACHIN TOOL(E.G. FOR PRESNG STAMPING ETC.) DIES FR DRILNG / BORNG TOOLS |
| 38 | 8208 | KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR MACHINES OR FOR MECHANICAL APPLIANCES |
| 39 | 8209 | PLTES STIKS TIPS & LIKE FOR TLS, UNMOUNTD OF CERMETS |

| | | |
|----|------|---|
| 40 | 8210 | HND-OPRETD MCHNCL APPLNCS WEIGHNG <=10KG. USED IN PRPRNG,CONDITNG, SERVNG FOOD / DRINK |
| 41 | 8211 | KNIVS WTH CUTNG BLADES, SERATD OR NT (INCL PRUNING KNIVES) OTHER THAN KNIVES OF HDG NO.8208 & BLADES THEREFOR |
| 42 | 8212 | RAZORS AND RAZOR BLADES (INCLUDING RAZOR BLADE BLANKS IN STRIPS) |
| 43 | 8213 | SCISORS TAILR'S SHEARS & SIMLR SHEARS & BLADES THEREFOR |
| 44 | 8214 | OTHER ARTICLES OF CUTLERY (FOR EXAMPLE, HAIR CLIPPERS, BUTCHERS OR KITCHEN CLEAVERS, CHOPPERS AND MINCING KNIVES, PAP |
| 45 | 8215 | SPOONS, FORKS, LADLES, SKIMMERS, CAKE- SERVERS, FISHKNIVES, BUTTER-KNIVES, SUGAR TONGS AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE |
| 46 | 8402 | STM / OTHR VAPR GNRTNG BOILRS (EXCL CNTRL HTNG HOT WATER BOILRS CPBL ALSO OF PRDCNG LOW PRESSURE STEAM);SUPER-HEATD WTR BOILRS |
| 47 | 8403 | CNTRL HTNG BOILRS EXCL OF HDG NO.8402 |
| 48 | 8404 | AXLRY PLNT,USD WTH BOILRS OF HDG NO.8402 / 8403(E.G. ECNMSRS, SUPR-HTRS, SOOT-RMVR, GAS-RCVR); CNDNSR FR STM / OTHR VPR POWR UNIT |
| 49 | 8405 | PRDCR / WTR GAS GNRTRS, ACETLEN GAS GNRTRS & SMLR WTR PRCS GNRTRS, W/N WTH THEIR PURIFRS |
| 50 | 8406 | STEAM TURBINES AND OTHER VAPOUR TURBINES |
| 51 | 8410 | HYDRAULIC TURBINES, WATER WHEELS, ANDREGULATORS THEREFOR |
| 52 | 8411 | TURBO-JETS, TURBO-PROPELLERS AND OTHER GAS TURBINES |
| 53 | 8415 | AIRCONDITNG MCHNS, CMPRSNG MOTR-DRVN FAN & ELMNTS FR CHNG TMPRTR & HUMDTY, INCL THOSE MCHNS IN WHCH HUMDTY CANTT BE SPRTLY RGLT |
| 54 | 8416 | FURNC BURNRS FR LIQUID FUEL,FR PULVRSD SOLID FUEL / FR GAS; MCHNCL STOKRS, MCHNCL GRTS, MCHNCL ASH DISCHRGs & SMLR APPLNCS |
| 55 | 8417 | INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS, INCLUDING INCINERATORS, NON- ELECTRIC |
| 56 | 8418 | RFRGRTRS, FRZRS & OTHR RFRGRRTNG / FRZNG EQPMNT, ELCTRC / OTHR;HT PUMPS EXCL AIR CONDITNG MCHNS OF HDG NO.8415 |
| 57 | 8419 | MCHNRY, PLNT / LABORATORY EQPMNT, W/N ELCTRCLYHEATD, FR HEATNG, COOKNG, ETC,EXCL MCHNRY FR DOMSTC PURPS; STORG WTR HEATRS, NON-ELCTRC |
| 58 | 8420 | CALENDERING OR OTHER ROLLING MACHINES, OTHER THAN FOR METALS OR GLASS, AND CYLINDERS THEREFOR |
| 59 | 8421 | CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS; FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS, FOR LIQUIDS OR GASES |
| 60 | 8422 | DISH WASHING MACHINES; MACHINERY FOR CLEANING OR DRYING BOTTLES OR OTHER CONTAINERS; MACHINERY FOR FILLING, CLOSING |

| | | |
|----|------|---|
| 61 | 8423 | WEIGHING MACHINERY (EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CENTIGRAMS OR BETTER), INCLUDING WEIGHT OPERATED COUNTING OR CHEC |
| 62 | 8424 | MCHNCL APPLNCS (W/N HND-OPRTD) FR PRJCTNG, DSPRSNG LQDS / PWDR; FIRE EXTNGSHR, W/N CHRGD; SPRY GUNS & LIKE; STM / SND BLSTNG & SMLR MCHNS |
| 63 | 8425 | PULLEY TACKLE AND HOISTS OTHER THAN SKIP HOISTS; |
| 64 | 8432 | AGRCLTRL, HRTCLTRL / FRSTRY MCHNRY FR SOIL PRPRTION / CLTVTN; LAWN / SPRTS-GRND RLLRS |
| 65 | 8433 | HRVSTNG / THRSHNG MCHNRY INCL STRAW / FODR BLRS; GRASS MOWRS; MCHNS FR CLNG, SRTNG EGGS, FRUIT / OTHR SMLR PRDC EXCL MCHNRY OF 8437 |
| 66 | 8434 | MILKING MACHINES AND DAIRY MACHINERY |
| 67 | 8435 | PRSES, CRSHRS & SMLR, MCHNRY USD IN MNFCTR OF WINE, CIDER, FRUIT JUICES / SMLR BVRGS |
| 68 | 8436 | OTHR AGRCLTRL, HRTCLTRL, POLTRY / BEE-KEEPNG MCHNRY INCL GRMNTN PLNT FTTD WTH MCHNCL / THRML EQPMNT; POLTRY INCUBTRS & BROODRS |
| 69 | 8437 | MCHN FR CLNG, SRTNG SEED, GRAIN / LGMNS VGTBL; MCHNRY FOR MLNG INDSTRY / FR WRKNG OF CRL / DRIED LGMNS VEGTBLS, EXCL FARM-TYPE MCHNRY |
| 70 | 8438 | MCHNRY, N.E.S., FR INDSTRY PRPTN / MNFCTR OF FOOD / DRNK, EXCL MCHNRY FR EXTRCTN / PRPRTN OFANML / FXD VGTBL FATS / OILS |
| 71 | 8439 | MCHNRY FR MKNG PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MTRL / FR MKNG / FNSHNG PAPER / PAPERBOARD |
| 72 | 8440 | BOOK-BINDING MACHINERY, INCLUDING BOOK-SEWING MACHINES |
| 73 | 8441 | OTHER MACHINERY FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, INCLUDING CUTTING MACHINES OF ALL KINDS |
| 74 | 8442 | MCHNRY, APPRTS & EQPMNT (EXCL OF 8456 TO 8465), FR TYPE-FOUNDNG / TYPE-STTNG, FR PRPRNG PRNTNG BLKS, PLTS ETC; BLKS FR PRNTNG |
| 75 | 8443 | PRINTNG MACHNRY, INCL INK-JET PRINTNG MCHNSEXCL HDNG. NO 8471; MCHNS FR USES ANCILARY TO PRINTNG. |
| 76 | 8444 | MCHNS FR EXTRUDING, DRAWING, TEXTURING OR CUTTING MAN-MADE TEXTILE MATERIALS |
| 77 | 8445 | MCHNS FR PRPRNG TXTL FBRS; SPNG, TWSTNG ETC MCHNRY FR PRDCNG TXTL YRNS; MCHNS FR PRPRNGTXTL YRNS FR USE ON MCHNS OF 8446/8447 |
| 78 | 8446 | WEAVING MACHINES (LOOMS) |
| 79 | 8447 | KNTNG MCHNS, STCH-BNDNG MCHNS & MCHNS FR MKNG GMPD YRN, TULLE, LACE, EMBRDY, TRMMNG, BRAID / NET & MCHNS FR TFTNG |
| 80 | 8448 | AUXLRY MCHNRY USD WTH MCHNS OF HDG 8444, 8445, 8446 / 8447; PRTS & ACCSSRS USD WTH THIS HDG / OF HDG 8444, 8445, 8446 / 8447 |

| | | |
|----|------|--|
| 81 | 8449 | MCHNRY FR MNFCTR OF FINSHNG OF FELT OR NON-WOVNS IN PIECE / IN SHAPS, INCL MCHNRY FRMKNG FELT HATS, BLOCKS FR MKNG HATS |
| 82 | 8450 | HOUSEHOLD OR LAUNDRY-TYPE WASHING MACHINES, INCLUDING MACHINES WHICH BOTH WASH AND DRY |
| 83 | 8451 | OTHER PARTS OF HOUSEHOLD LAUNDRY TYPE MCHNETC & MCHNS FR APPLYNG PST TO BASE FBRC ETC; MCHNS FR RLNG, UNRLNG, FLDNG / CTTNG TXTL FBRC |
| 84 | 8452 | SEWNG MCHNS, EXCL BOOK-SEWNG MCHNS OF HDG NO 8440; FURNTR, BASES & COVRS SPCLY DSGND FOR SEWNG MCHNS; SEWNG MCHNS NEDLS |
| 85 | 8453 | MCHNRY FR PREPARING, TANG / WRKNG HIDES, SKINS / LTHR / FR MKNG / REPAIRNG FOOTWEAR / OTHR ARTCLS OF HIDES, SKINS ETC EXCL SEWNG MCHNS |
| 86 | 8454 | CNVRTRS, LADLS, INGOT MOULDS & CASTNG MCHNS USD IN METALLURGY / IN METAL FOUNDRIES |
| 87 | 8455 | METAL-ROLLING MILLS AND ROLLS THEREFOR |
| 88 | 8456 | MCHN-TOLLS FR WRKNG ANY MATRL BY RMVL OF MATRL, BY LASR / OTHR LIGHT / PHOTN BEAM, ULTRSONC ELCTRO-DSCHRG, ELCTRO-CHMCL, ETC |
| 89 | 8457 | MACHINING CENTRES, UNIT CONSTRUCTION MACHINES (SINGLE STATION) AND MULTI- STATION TRANSFER MACHINES FOR WORKING META |
| 90 | 8458 | LATHES (INCLUDING TURNING CENTRES) FOR REMOVING METAL |
| 91 | 8459 | MCHN-TOOLS (INCL WAY-TYPE UNIT HEAD MCHNS) FR DRLLNG, BORNG, MLLNG, THRDNG / TAPNG BY REMOVNG MTL, EXCL LATHS OF HDG NO. 8458 |
| 92 | 8460 | MCHN-TOOLS FR DBURNGS, SHRPNG, GRNDNG, HNING POLSHNG / OTHRWS FINSNG MTL ETC, CRMTS BY GRNDNG STONS, GEAR GRNDNG MCHNS OF HDG NO.8 |
| 93 | 8461 | MCHN-TOOLS FR PLNG, SHAPNG, SLOTNG, BROCHNG GEAR CUTNG / GRNDNG / FINSNG ETC WRKNG BY REMOVNG MTL, CERMETS N.E.S. / INCLUDED |
| 94 | 8462 | MCHN-TLS FR WRKNG MTL BY FORGN, HAMMRNG / DIE-STMPNG; FR WRKG MTL BY BENDNG, FOLDNG, ETC; PRSSES FR WRKNG MTL / MTL CRBDS, NES |
| 95 | 8463 | OTHER MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL, OR CERMETS, WITHOUT REMOVING MATERIAL |
| 96 | 8464 | MCHN-TOOLS FR WRKNG STONE, CERAMICS, CONCRETE, ASBESTOS-CEMENT / LIKE MNRL MTRLS OR FR COLD WRKNG GLASS |
| 97 | 8465 | MCHN-TOOLS (INCL MCHNS FR NAILNG, STAPLNG, GLUENG / OTHRWS ASSEMBLNG) FR WRKNG WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS ETC |
| 98 | 8466 | PRTS & ACCSSRS SUITBL FR USE WTH MCHNS OF HDG NOS 8456 TO 8465, INCL WRK / TOOL HOLDRS, SLF-OPENG DIEHEADS, ETC; TOOL HOLDRS |
| 99 | 8467 | TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMATIC, HYDRAULIC OR WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC OR NON-ELECTRIC MOTOR |

| | | |
|-----|------|---|
| 100 | 8468 | MCHNRY & APPRTS FR SOLDRNG, BRAZNG / WELDNG, W/N CPBL OF CUTNG, EXCL OF HDG NO. 8515; GAS-OPERTD SURFACE TAMPRN MCHNS & APPLNCS |
| 101 | 8474 | MCHNRY FR SORTNG, SCRENG, SEPARTNG, WASHNG, CRSHNG ETC OF MNRL SUBSTNCS, IN SOLID FORM MCHNS FR SHPNG MNRL FUEL & FRMNG MLDS OF |
| 102 | 8475 | MCHNS FR ASSMBLNC ELCTRC / ELCTRNC LAMPS, TUBES / VALVE / FLASH-BULBS, IN GLASS ENVELOPS, MCHNS FR MNFCTRNG / HT WRKNG GLASS / GLASSWAR |
| 103 | 8476 | AUTOMTC GOODS-VENDNG MCHNS (E.G. POSTAGE STAMP, CIGARETTE, FOOD / BEVERAGE MCHNS), INCL MONEY CHNGNG MCHNS |
| 104 | 8480 | MOULDING BOXES FOR METAL FOUNDRY; MOULD BASES; MOULDING PATTERNS; MOULDS FOR METAL (OTHER THAN INGOT MOULDS), METAL CARBIDES |
| 105 | 8504 | ELECTRICAL TRANSFORMERS, STATIC CONVERTERS (FOR EXAMPLE, RECTIFIERS) AND INDUCTORS |
| 106 | 8505 | ELCTRO-MGNT; PRMNENT MGNTS & ARTCLS TO MAKEPRMMENT MGNT; ELCTRO MGNTC / PRMNENT DEVICES ELCTRO MGNTC CLTCHS, BRKS & LFTNGH |
| 107 | 8507 | ELCTRC ACCUMLTRS, INCL SEPARATORS THEREFOR W/N RECTANGULAR (INCL SQ) |
| 108 | 8508 | VACUUM CLEANERS |
| 109 | 8509 | ELCTRO-MECHNCL DOMESTIC APPLIANCES WTH SELF-CONTAINED ELCTRC MOTOR |
| 110 | 8510 | SHAVERS, HAIR CLIPPERS AND HAIR-REMOVING APPLIANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR |
| 111 | 8514 | INDSTRL / LABORATORY ELCTRC (INCL INDUCTN / DIELCTRC) FURNACES ETC; OTHR INDSTRL / LABORATORY INDUCTN / DIELCTRC HTNG EQPMNTS |
| 112 | 8515 | ELCTR (INCL ELCTACLLY HTD GAS) LASER / OTHR LIGHT / PHOTON BEAM ETC, BRZNG / SLDRNG MCHNS ETC FR HOT SPRYNG OF MTL / CERMETS |
| 113 | 8516 | ELCTRC WTR & IMRSN HTR; ELCTRC SPACES & HTNG APRTS; ELCTRO THRMIC HAIR DRSSNG APRTS & HND DRYRS; SMLR ELCTRC APLNCS FR DMSTC USE |
| 114 | 8518 | MCROPHONES & STNDS THRFR; LOUDSPKR, W/N MNTD HEADPHONE, EARPHONE & COMBND MCROPHONE / SPKRSETS; AUDIO FRQNCY AMPLFYR; SND AMPLFYR SETS |
| 115 | 8519 | TURNTABLES (RECORDDECKS) RECORD-PLAYERS CASSETTE PLAYERS ETC NT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE |
| 116 | 8521 | VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WHETHER OR NOT INCORPORATING A VIDEO TUNER |
| 117 | 8522 | PRTS & ACSSRS OF APPRTS OF HDGS NOS. 8519 TO 8521 |
| 118 | 8525 | TRNSMISN APARATS FR RADIO, TELEPHNY ETC W/N INCRPRTNG RECEPTION APPRTS / SOUND RECORDING / REPRDCNG APPRTS; TV CAMERAS ETC |

| | | |
|-----|------|---|
| 119 | 8526 | RADAR APPARATUS, RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS AND RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS |
| 120 | 8527 | RECEPTION APPARATUS FOR RADIO-BROADCASTING WHETHER OR NOT COMBINED, IN THE SAME HOUSING, WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCI |
| 121 | 8528 | RECEPTION APARATUS,WH / NOT INCORPRTNG RADIOBRODCST RECIVRS / SOUND / VIDEO RCORDNG / REPRODUCING APARATUS, VIDEO MONITORS ETC |
| 122 | 8529 | PRTS SUITBL FR USE SOLELY / PRNCPLLY WTH APPRTS OF HDGS NOS 8525 TO 8528 |
| 123 | 8531 | ELCTRCL SOUND / VISUAL SIGNLLNG APPRTS (E.G. BELLS SIRENS ETC.) OTHR THN THOSE OF HDG NO.8512/8530 |
| 124 | 8532 | ELCTRCL CAPACITORS FIXD, VARIABLE / ADJUSTABLE (PRE-SET) |
| 125 | 8533 | ELCTRCL RESISTORS (INCL RHEOSTATS & POTENTIOMETERS) OTHR THN HTNG RESISTORS |
| 126 | 8535 | ELCTRCL APPRTS FR SWTCHNG / PROTCTNG ELCTRCLCIRCUITS ETC.(E.G. SWTCHS, FUSES, LIGHTNING ARRESTERS ETC) FR A VLTG EXCDG 1000 VOLTS |
| 127 | 8536 | ELCTRCLS APPRTS FR SWTCHNG / PRTCTNG ELCTRCLCIRCUITS ETC. (E.G. SWTCHS RELAYS ETC.) FOR A VOLTAGE NOT EXCDG 1000 VOLTS |
| 128 | 8537 | BORDS PANLS ETC EQUIPD WTH TWO OR MORE APPRTS OF HDG 8535 / 8536,INCL THOSE INCORPRTNG INSTRMNTS / APPRTS OF CH 90 |
| 129 | 8538 | PRTS SUITBL FR USE SOLELY / PRINCIPALLY WTH THE APPRTS OF HDG NO.8535,8536 / 8537 |
| 130 | 8539 | ELECTRIC FILAMENT OR DISCHARGE LAMPS, INCLUDING SEALED BEAM LAMP UNITS AND ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAMPS; ARC-LAMPS |
| 131 | 8540 | THERMIONIC COLD CATHODE / PHOTO-CATHODE VALVES & TUBES (E.G. VACUUM / VAPOUR / GAS FILLED VALVES TUBES ETC.) |
| 132 | 8541 | DIODES, TRANSISTORS AND SIMILAR SEMICONDUCTOR DEVICES; PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES, INCLUDING PHOTOVOLT |
| 133 | 8542 | ELCTRNC INTEGRTD CIRCUITS & MICRO-ASSMBLS |
| 134 | 8543 | ELCTRCL MCHNS & APPRTS, HVNG INDIVIDUAL FNCTNS N.E.S. IN THIS CHAPTER |

अनुबंध 5
(पैरा 4.3)

दिनांक 24 मई 2013 के परिपत्र डीबीओडी.डीआईआर.बीसी.सं.93/04.02.001/2012-13 का संलग्नक

| Export of Engineering items (4-digit ITCHS wise) for the year 2012-13 | | |
|--|-----------------|---|
| | ITC (HS) | Description of Items |
| 1 | 6601 | UMBRLS & SUN-UMBRLS (INCL WLKNG-STCK UMBRLS GRDN UMBRLS & SMLR UMBRLS) |
| 2 | 7216 | ANGLS, SHAPES & SCTNS OF IRON / NON-ALLOY STL |
| 3 | 7217 | WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL |
| 4 | 7218 | STAINLESS STEEL IN INGOTS OR OTHER PRIMARY FORMS; SEMI-FINISHED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL |
| 5 | 7219 | FLT-RLLD PRDCTS OF STAINLESS STL OF WDTHT>=600 MM |
| 6 | 7221 | BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF STAINLESS STEEL |
| 7 | 7223 | WIRE OF STAINLESS STEEL |
| 8 | 7225 | FLT-RLLD PRDCTS OF OTHR ALLOY STL OF WDTHT 600 MM OR MORE |
| 9 | 7226 | FLT-RLD PRDCTS OF A WDTHT OF <600 MM |
| 10 | 7228 | OTHR BARS, RODS, ANGLS, SHPS, SCTNS OF OTHR ALLOY STL, HOLLOW DRILL BARS & RODS OF ALLOY OR NON-ALLOY STL |
| 11 | 7302 | RLY & TRMY TRACK CONSTRCTN MATRL OF IRON OR STL, E. G.RALS, RACK RALS ETC SWTCH BLADS SLEEPERS, TIES & OTHR MATRL FOR FIXNG RAILS |
| 12 | 7407 | COPPER BARS, RODS AND PROFILES |
| 13 | 7604 | ALUMINIUM BARS, RODS AND PROFILES |
| 14 | 7605 | ALUMINIUM WIRE |
| 15 | 7606 | ALMNM PLTS, SHTS & STRP OF THCKNS>0.2 MM |
| 16 | 7608 | ALUMINIUM TUBES AND PIPES |
| 17 | 7609 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) |
| 18 | 7610 | ALMNM STRCTRS & PRTS OF STRCTRS (BRDGS TOWRS,ROOFS ETC.) ALMNM PLATES-RODS PROFILES ETC. PRPD FOR USE IN STRCTR |
| 19 | 7616 | OTHER ARTICLES OF ALUMINIUM |

| | | |
|----|------|--|
| 20 | 8301 | PDLCKS LOCKS (KEY ETC) OF BASE MTL; CLSPS & FRMS WTH CLSPS, INCRPRTNG LCKS, OF BASE MTL; KEYS FOR FRGNG ARTCLS OF BASE METAL |
| 21 | 8302 | BASE METAL MOUNTINGS, FITTINGS AND SIMILAR ARTICLES SUITABLE FOR FURNITURE, DOORS, STAIRCASES, WINDOWS, BLINDS, COACHWORK, SA |
| 22 | 8303 | ARMORD / REINFRCD SAFES STRONG BOXS & DOORS & SAFE DPOST LCKRS FR STRNG ROOMS CSH / DEEDBOXS ETC OF BASE METAL |
| 23 | 8304 | FILING, CABINETS, CARD-INDEX CABINETS, PAPER TRAYS, PAPER RESTS, PEN TRAYS, OFFICE-STAMP STANDS AND SIMILAR OFFICE OR |
| 24 | 8305 | FITNGS FR LOOSE LEAF BINDRS / FILS LETR CLPSLETR CRNRS PAPR CLPS INDXNG TGS & SMLR OFFCE ARTCLS STPLS IN STRIPS OF BS MTL |
| 25 | 8306 | BELS GONGS & THE LIKE NON ELCTRC OF BSE METL STATUETTES ETC OF BSE METL PHOTGRPH PICTR, FRMS, MIRRORS ETC OF BSE METL |
| 26 | 8307 | FLXBL TUBNG OF BSE METL WTH / WITHOUT FTNGS |
| 27 | 8308 | CLASPS, FRAMES WITH CLASPS, BUCKLES, BUCKLE-CLASPS, HOOKS, EYES, EYELETS AND THE LIKE, OF BASE METAL, OF A KIND USED FO |
| 28 | 8309 | STPPRS, CAPS ETC INCL CROWN CORKS, SCRW CAPSETC CAPSLS FR BOTLS, THRD BUNGS, BUNG COVRS, SEALS & OTHR PCKNG ACCSSRS, OF BS MTL |
| 29 | 8310 | SIGN PLTS, NAME PLTS, ADDR PLTS & SMLR PLTSNUMBRS, LTTRS & SYMBOLS, OF BS MTL EXCLD OF HDG NO.9405 |
| 30 | 8311 | WIRE, RODS, ELCTRDS ETC OF BS MTL / MTL CRBIDSCOATD / CORED WTH FLX MTRL FR SLDRNG BRAZNG ETC OF MTL / MTL CRBDS WIRE ETC FR MTL SPRNG |
| 31 | 8401 | NUCLEAR REACTRS; FUEL ELMNTS (CARTRIDGES), NON-IRRADIATED, FR NUCLR REACTRS; MCHNRY AND APPARATUS FOR ISOTOPIC SEPARATION |
| 32 | 8407 | SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES |
| 33 | 8408 | COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES (DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES) |
| 34 | 8413 | PUMPS FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH A |
| 35 | 8414 | AIR / VACUUM PUMPS, AIR / OTHR GAS COMPRSRS & FANS; VNLTNG / RYCLNG HOODS INCRPRTNG A FAN, W / N FITTED WITH FILTERS |
| 36 | 8426 | DERRICKS; CRNS,INCL CABLE CRNS; MOBL LFTNG FRMS, STRDL CRRS & WRKS TRCKS FTD WTH A CRN |
| 37 | 8477 | MCHNR FR WRKNG RUBBR / PLSTCS / FR THE MNFCTR OF PRDCTS FROM THESE MTRLS, N.E.S. |
| 38 | 8479 | MCHNS & MCHNCL APPLNCS HVNG INDVDL FUNCTNS, N.E.S. |
| 39 | 8481 | TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES FOR PIPES, BOILER SHELLS, TANKS, VATS OR THE LIKE, INCLUDING PRESSURE-REDUCING VALV |
| 40 | 8482 | BALL OR ROLLER BEARINGS |
| 41 | 8483 | TRNSMSN SHFTS & CRNKS; GEARS;BALL SCREWS; BEARING HOUSING & OTHR PLAIN SHFT BEARINGS SPD CHNGRS INCL TORQUE CNVRTRSFFLYWHEELS; |

| | | |
|----|------|--|
| 42 | 8484 | GASKETS & SMLR JOINTS OF MTL SHTNG CMBND WTH OTHR MTRL; SETS / ASSRTMNTS OF GSKTS & SMLR JOINTS, PUT UP IN POUCHES, ENVLPS ETC |
| 43 | 8486 | MACHINES AND APPARATUS OF A KIND USED SOLELY FOR THE MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR BOULES OR WAFERS, DEVICES, E |
| 44 | 8501 | ELCTRC MOTRS & GENRTRS (EXCL GENRTNG SETS) |
| 45 | 8502 | ELECTRIC GENERATING SETS AND ROTARY CONVERTERS |
| 46 | 8506 | PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES |
| 47 | 8511 | ELCTRCL IGNTN / STRTNG EQPMNT FR SPRK-IGNTN ETC GNRTRS ETC & CUT OUTS OF A KIND USED IN CONJUNCTION WTH SUCH ENGINES |
| 48 | 8512 | ELECRCCL LIGTNG / SIGNALLING EQPMNT (EXCL ARTCLS OF HD NO.8539)WIND SCRNS ETC USED FOR CYCLES / MOTOR VEHICLES |
| 49 | 8513 | PORTBL ELCTRC LAMPS DESIGNED TO FUNCTION BY THEIR OWN SOURCE OF ENERGY OTHR THN LIGHTING EQPMNTS OF HDG NO.8512 |
| 50 | 8544 | INSULATED (INCLUDING ENAMELLED OR ANODISED) WIRE, CABLE (INCLUDING CO-AXIAL CABLE) AND OTHER INSULATED ELECTRIC CONDUCTORS |
| 51 | 8545 | CRBN ELCTRDS, CRBN BRSHS, LAMP CRBNS ETC. OTHR ARTCLS OF GRAPHITE / OTHR CRBN, WTH / WITHOUT MTL OF A KIND USED FOR ELCTRCL PURPS |
| 52 | 8546 | ELECTRICAL INSULATORS OF ANY MATERIAL |
| 53 | 8547 | INSLTNG FTTNGS FR ELCTRCL MCHNS ETC. ELECTRCL CONDUIT TUBING & JOINTS THEROF OFBSE MTL LINED WTH INSLTNG MATRL |
| 54 | 8548 | WAST & SCRAP OF PRIMARY CELLS, BTRS & ELECTRC ACUMULTRS; SPENT PRMRY CELS, BTRSELCTRC ACUMULTRS, ELCTRCL PRTS OF MACH |
| 55 | 8601 | RAIL LOCOMOTIVES POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY OR BY ELECTRIC ACCUMULATORS |
| 56 | 8603 | SELF-PROPELLED RAILWAY OR TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, OTHER THAN THOSE OF HEADING 8604 |
| 57 | 8604 | RAILWAY / TRAMWAY MAINTNANC / SRVC VHCLS, W / N SLF PRPLD (E.G.WRKSHOPS, CRNS, BALAST TMPRS, TRCKLNRS, TSTNG COCHS & TRCK INSPCTN VHCLS) |
| 58 | 8606 | RAILWAY / TRAMWAY GOODS VAN & WAGON, SELF-PROPELLED |
| 59 | 8607 | PRTS OF RAILWAY / TRAMWAY LCMTVS / ROLLING-STOCK |
| 60 | 8608 | RAILWAY / TRAMWAY TRCK FXTRS & FTNGS; MCHNCL & ELCTRO-MCHNCL SGNLNG, TRFC CNTRL EQPMNT FR ROADS, INLAND WTRWAYS ETC, PRTS OF THE ABOVE |
| 61 | 8609 | CONTAINERS (INCLUDING CONTAINERS FOR THE TRANSPORT OF FLUIDS) SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR MORE M |
| 62 | 8712 | BICYCLES AND OTHER CYCLES (INCLUDING DELIVERY TRICYCLES), NOT MOTORISED |
| 63 | 8713 | INVALID CARRIAGES, W / N MOTIRISED / OTHERWISE MECHANICALLY PROPELLED |
| 64 | 8802 | OTHER AIRCRAFT (FOR EXAMPLE, HELICOPTERS, AEROPLANES); SPACECRAFT (INCLUDING SATELLITES) AND SUBORBITAL AND SPACECRAFT |

| | | |
|----|------|--|
| 65 | 8804 | PARACHUTES (INCLUDING DIRIGIBLE PARACHUTES AND PARAGLIDERS) AND ROTOCHUTES; PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO |
| 66 | 8805 | AIRCRAFT LAUNCHING GEAR; DECK-ARRESTOR OR SIMILAR GEAR; GROUND FLYING TRAINERS; PARTS OF THE FOREGOING ARTICLES |
| 67 | 8901 | CRUISE SHIPS, EXCURSION BOATS , FERRY- BOATS, CARGO SHIPS, BARGES AND SIMILAR VESSELS FOR THE TRANSPORT OF PERSONS OR GO |
| 68 | 9005 | BINOCULAR & OTHR OPTCL TLSCOPS & MOUNTINGSTHRFR; OTHR ASTRNMCL INSTRUMNT & MOUNTNGS THRFR EXCPT THE INSTRMNT FOR RAD |
| 69 | 9006 | PHTOGRPHC (EXCL CINEMATOGRAPHIC) CAMERAS PHOTOGRAPHIC FLSHLGHT APPARATUS & FLSHBLBSEXCPD DSCHRG LMPS OF HDG NO.8539 |
| 70 | 9007 | CINEMATOGRAPHIC CAMERAS AND PROJECTORS, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS |
| 71 | 9010 | APARATS & EQPMNT FR PHOTOGRPHC (INCLD CINEMATOGRAPHIC) LABORATORIS N.E.S.IN THIS CHAPTER; NEGATOSCOPES PROJECTION SCREENS |
| 72 | 9011 | CMPND OPTCL MICROSCOPES, INCL THOSE FR MCROPHOTOGRPHY, MCROCENMTGRPHY / MICROPRJCTN |
| 73 | 9013 | LIQD CRYSTL DVCS NT CNSTITUNG ARTCLS PRVDDFR MORE SPCFCLY IN OTHR HDNGS; LSRS, NT LSR DIODS; OTHR OPTCL APLNCS & INSTRMNTS N |
| 74 | 9015 | SURVEYING, HYDROGRAPHIC, OCEANOGRAPHIC, HYDROLOGICAL, METEOROLOGICAL / GEOPHYSICAL INSTRMNTS & APPLNCS, EXCL COMPSS; RNGEFNDRS |
| 75 | 9016 | BLNCS OF A SNSTIVTY OF 5 CG / BTR, W / N WTH WT |
| 76 | 9017 | DRWNG, MRKNG-OUT / MTHMTCL CLCLTNG INSTRMNTS; INSTRMNTS FOR MSRNG LNTH, FR USE IN THE HND (E.G.MICROMTRS, CALLIPRS) N.E.S.IN THIS C |
| 77 | 9018 | INSTRMNTS & APPLNCS USED IN MDCL, SURGCL, DNTL / VTRNRY SCNCS, INCL SCNTGRPHC APPRPTS ELCTRO-MDCL APPRPTS & SIGHT-TSTNG INSTRMNT |
| 78 | 9019 | MCHNO-THRPY APLNCS; MSGE APRTS; PSYCHOLGCL APTTUD-TSTNG APRTS; OZON THRPY, OXYGN THRPY, AERSL THRPY, ARTFCL RSPRTN APPRPTS ETC |
| 79 | 9021 | ORTHPDC APLNCS, ARTFCL PRTS OF TH BODY; HRNGAIDS & OTHR APLNCS WHCH ARE WRN / CRRD / IMPLNTD IN THE BODY TO CMPNST DFCT / DSABLT |
| 80 | 9023 | INSTRMNTS, APRTS P MODLS DSGND FOR DEMONSTRATIONAL PRPS, UNSUTBL FR OTHR USES |
| 81 | 9024 | MCHNES & APLNCS FR TSTNG THE HRDNSS, STRNGTH, ELSTCTY, COMPRSSBLTY ETC OF MATRLS |
| 82 | 9025 | HYDROMETERS & SMLR FLOATING INSTRUMENTS, THERMOMETERS, PYROMETERS ETC, RCORDNG / NT & ANY CMBNTN OF THESE INSTRMNTS |
| 83 | 9026 | INSTRMNTS & APRTS FR MSRNG / CHKNG THE FLOW, LEVL, PRSR / OTHR VARIABLES OF LIQUID / GASES EXCL APPRPTS OF HDG 9014, 9015, 9028 / 9032 |
| 84 | 9027 | INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS (FOR EXAMPLE, POLARIMETERS, REFRACTOMETERS, SPECTROMETER |
| 85 | 9028 | GAS, LQD / ELECTRICITY SUPPLY / PRODUCTION METERS, INCL CALIBRATING METERS THEREFOR |

| | | |
|-----|------|--|
| 86 | 9029 | REVOLUTION COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIMETERS, MILEOMETERS, PEDOMETERS AND THE LIKE; SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS |
| 87 | 9031 | MEASURING OR CHECKING INSTRUMENTS, APPLIANCES AND MACHINES, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS |
| 88 | 9033 | PRTS & ACCESSORIES FR MACHINES, APPLIANCES, INSTRUMENTS / APPARATUS OF CHAPTER 90, NES |
| 89 | 9101 | WRIST-WATCHES, POCKET-WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD |
| 90 | 9102 | WRIST-WATCHES, POCKET-WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP WATCHES, OTHER THAN THOSE OF HEADING 9101 WRIST-WATCHES, |
| 91 | 9103 | CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, EXCLUDING CLOCKS OF HEADING 9104 |
| 92 | 9104 | INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS |
| 93 | 9107 | TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR |
| 94 | 9108 | WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED |
| 95 | 9109 | CLOCK MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED |
| 96 | 9110 | CMPLT WTCH / CLOCK MVMNTS, UNASSMBLD / PRTLY ASSMBLD (MVMNT SETS); INCMPLT WTCH / CLOCK MVMNTS, ASSMBLD; ROUGH WTCH / CLOCK MVMNTS |
| 97 | 9111 | WATCH CASES AND PARTS THEREOF |
| 98 | 9112 | CLOCK CASES AND CASES OF A SIMILAR TYPE FOR OTHER GOODS OF THIS CHAPTER, AND PARTS THEREOF |
| 99 | 9113 | WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF |
| 100 | 9402 | MEDCL, SURGCL, DENTAL / VETRNRY FURNITR ETC BARBERS' CHAIRS & SMLR CHAIRS; PRTS OF THE FOREGOING ARTICLES |
| 101 | 9405 | LMPS & LIGHTING FTTNGS INCL SEARCH LIGHTS AND SPOTLIGHTS ETC N.E.S.ILLUMINATD SIGNS & THE LIKE WTH PRMNANT LGHT SORCE & PRTSNES |

अनुबंध 6

(पैरा 4.3)

दिनांक 24 मई 2013 के परिपत्र डीबीओडी.डीआईआर.बीसी.सं.93/04.02.001/2012-13 का संलग्नक

| | ITC(HS) | ITC(HS) Description |
|---|---------|---|
| 1 | 6301 | Blankets and Travelling Rugs |
| 2 | 6302 | Bed Linen, Table Linen, Toilet Linen and Kitchen Linen |
| 3 | 6303 | Curtains (Including Drapes) and Interior Blinds; Curtain or Bed Valances |
| 4 | 6305 | Sacks and Bags, of a Kind used for the Packing of Goods |
| 5 | 6306 | Tarpaulins, Awnings and Sunblinds; Tents; Sails for Boats, Sailboards or Landcraft; Camping Goods |
| 6 | 6307 | Other Made up Articles, Including Dress Patterns |

**रुपया निर्यात ऋण पर
मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची**

| क्रमांक | परिपत्र सं. | दिनांक | विषय |
|---------|--|------------|---|
| 1. | बैंपविवि.डीआइआर.बीसी.सं.57/04.0 2.001/ 2013-14 | 25.09.2013 | विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण |
| 2. | बैंपविवि.डीआइआर. बीसी.सं. 43 / 04.02.001/ 2013-14 | 26.08.2013 | रुपया निर्यात ऋण- ब्याज दर सहायता |
| 3. | बैंपविवि.डीआइआर.बीसी.सं.93 /04.02.001/ 2012-13 | 24.05.2013 | रुपया निर्यात ऋण- ब्याज दर सहायता |
| 4. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी. सं.70/ 04.02.001 / 2012-13 | 14.01.2013 | रुपया निर्यात ऋण - ब्याज दर सहायता |
| 5. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.112/04.02.001/2011-12 | 19.06.2012 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें |
| 6. | बैंपविवि.डीआइआर.बीसी.सं.100/ 04.02.001 / 2011-12 | 04.05.2012 | विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दरों का अविनियमन |
| 7. | ए.पी. (डीआइआरशृंखला) परिपत्र सं 40 | 01.11.2011 | माल और सॉफ्टवेयर का निर्यात - निर्यात आगमों की वसूली और प्रत्यावर्तन-उदारीकरण |
| 8. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.38/04.02.001/2011-12 | 11.10.2011 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें |
| 9. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.85/04.02.001/2010-11 | 18.04.2011 | पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण का समापन |
| 10. | ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.47 | 31.03.2011 | माल और सॉफ्टवेयर का निर्यात- निर्यात आगमों की वसूली और प्रत्यावर्तन-उदारीकरण |
| 11. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.36/04.02.001/2010-11 | 09.08.2010 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें |
| 12. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.115/04.02.001/2009-10 | 29.06.2010 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें |
| 13. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.102/04.02.001/2009-10 | 06.05.2010 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें |
| 14. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.94/04.02.001/2009-10 | 23.04.2010 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर सहायता |
| 15. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.54/04.02.01/2009-10 | 29.10.2009 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें- अवधि विस्तार |
| 16. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.07/04.02.02/2009-10 | 1.07.2009 | निर्यातकों को रुपया / विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण और ग्राहक सेवा संबंधी मास्टर परिपत्र |
| 17. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.131/04.02.01/2008-09 | 28.04.2009 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें- अवधि विस्तार |

| | | | |
|-----|--|------------|--|
| 18. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.101/04.02.01/2008-09 | 16.12.2008 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर सहायता |
| 19. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.95/04.02.01/2008-09 | 08.12.2008 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें |
| 20. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.88 /04.02.01/2008-09 | 28.11.2008 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |
| 21. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.80/04.02.01/2008-09 | 15.11.2008 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |
| 22. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.68/04.02.01/2008-09 | 07.11.2008 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर सहायता - स्पष्टीकरण |
| 23. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.68/04.02.01/2008-09 | 24.10.2008 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |
| 24. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.77/04.02.01/2007-08 | 28.04.2008 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |
| 25. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.73/04.02.01/2007-08 | 25.04.2008 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |
| 26. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.54/04.02.01/2007-08 | 30.11.2007 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |
| 27. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.41/04.02.01/2007-08 | 29.10.2007 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |
| 28. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.34/04.02.01/2007-08 | 06.10.2007 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |
| 29. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.22/04.02.01/2007-08 | 13.07.2007 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |
| 30. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.80/04.02.01/2006-07 | 17.04.2007 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |
| 31. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.37/04.02.01/2006-07 | 20.10.2006 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |
| 32. | बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) बीसी. सं. 83/ 04.02.01/2005-06 | 28.04.2006 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |
| 33. | बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) सं. बीसी. 41/ 04.02.01/2005-06 | 02.11.2005 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |
| 34. | बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) सं. 83/ 04.02.01/2004-05 | 29.04.2005 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |
| 35. | औनिऋवि. सं. 14/01.01.43/ 2003- 04 | 30.6.2004 | भारतीय रिजर्व बैंक के औद्योगिक निर्यात और ऋण विभाग के कार्यों का इसके अन्य विभागों में विलयन |
| 36. | औनिऋवि.सं.12/04.02.02/ 2003- 04 | 18.5.2004 | निर्यातकों के लिये गोल्ड कार्ड योजना |
| 37. | औनिऋवि. सं.13/04.02. 01/2003- 04 | 18.5.2004 | गोल्ड कार्ड धारक निर्यातकों के लिए रुपया निर्यात ब्याज दरें |
| 38. | औनिऋवि. सं. 10/ 04.02.01/2003- 04 | 24.4.2004 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |

| | | | |
|-----|--|------------|--|
| 39. | औनिऋवि. सं. 5/04.02.01/ 2003-04 | 31.10.2003 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |
| 40. | औनिऋवि. सं. 18/04.02.01/2002-03 | 30.4.2003 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |
| 41. | औनिऋवि. सं. 16/04.02.02/ 2002-03 | 01.04.2003 | निर्यात ऋण - एस ई जेड इकाइयां |
| 42. | औनिऋवि. सं. 8/04.02.01/ 2002-03 | 28.09.2002 | बड़े मूल्य के निर्यातों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज |
| 43. | औनिऋवि. सं. 7/04.02.01/ 2002-03 | 23.09.2002 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |
| 44. | औनिऋवि. सं. 17/04.02.01/ 2001-02 | 15.03.2002 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |
| 45. | औनिऋवि. सं. 15/04.02.02/ 2001-02 | 03.01.2002 | प्रसंस्करणकर्ताओं / निर्यातकों को निर्यात ऋण -कृषि निर्यात क्षेत्र |
| 46. | औनिऋवि. सं. 4/04.02.01/ 2001-02 | 24.09.2001 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |
| 47. | औनिऋवि. सं. 13/04.02.01/ 2000-01 | 19.04.2001 | रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर |
| 48. | औनिऋवि. सं. 9/ 04.02.01/ 2000-01 | 05.01.2001 | निर्यात ऋण पर ब्याज दर |
| 49. | औनिऋवि. सं. 15/04.02.01/ 1999-2000 | 25.05.2000 | निर्यात ऋण - ब्याज दर |
| 50. | औनिऋवि.सं. 14/04.02.02/ 1999-2000 | 17.05.2000 | राज्य ऋण की चुकौती के बदले रूस महासंघ को परेषण निर्यात- रुपये में पोतलदानोत्तर ऋण पर ब्याज दर |
| 51. | औनिऋवि. सं. 12/04.02.01/ 1999-2000 | 15.03.2000 | निर्यात ऋण पर ब्याज दर के संबंध में स्पष्टीकरण |
| 52. | औनिऋवि. सं. 6/04.02.01/ 1999-2000 | 29.10.1999 | निर्यात ऋण - ब्याज दर |
| 53. | औनिऋवि. सं. 23/04.02.01/ 1998-99 | 12.04.1999 | बिल की अवधि में परिवर्तन - रियायती ब्याज दर का लागू होना |
| 54. | औनिऋवि. सं.19/04.02.01/ 1998-99 | 03.03.1999 | निर्यात ऋण - ब्याज दर |
| 55. | औनिऋवि. सं. 16/04.02.01/ 1998-99 | 25.02.1999 | शुल्क वापसी दावों के बदले अग्रिम |
| 56. | औनिऋवि. सं. 11/04.02.01/ 1998-99 | 13.01.1999 | निर्यात ऋण - पुष्पोत्पादन, अंगूर और कृषि - आधारित अन्य उत्पाद |
| 57. | औनिऋवि. सं. 6/08.12.01/ 1998-99 | 08.08.1998 | सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्टवेयर उद्योग को कार्यशील पूँजी संस्वीकृत करने के संबंध में दिशानिर्देश |
| 58. | औनिऋवि. 5/04.02.01/1998-1999 | 06.08.1998 | निर्यात ऋण - ब्याज दर |
| 59. | औनिऋवि. 41/04.02.01/ 1997-98 | 29.04.1998 | निर्यात ऋण - ब्याज दर |
| 60. | औनिऋवि. 38/04.02.01/1997-98 | 02.03.1998 | दुबई में वेयरहाउस कम डिस्प्ले सेंटर के माध्यम से निर्यातों के मामले में पोतलदानोत्तर वित्त |
| 61. | औनिऋवि. सं. 32/04.02.01/ 1997-98 | 31.12.1997 | निर्यात ऋण - अतिदेय निर्यात बिलों पर ब्याज दर |
| 62. | औनिऋवि. सं. 31/04.02.01/ 1997-98 | 31.12.1997 | निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दर |

| | | | |
|-----|--|------------|---|
| 63. | औनिऋवि. सं. 29/04.02.01/ 1997-98 | 29.12.1997 | निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दर-स्पष्टीकरण |
| 64. | औनिऋवि. सं. 26/04.02.01/ 1997-98 | 17.12.1997 | निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दर |
| 65. | औनिऋवि. सं. 19/04.02.01/ 1997-98 | 29.11.1997 | निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दर |
| 66. | औनिऋवि. सं. 18/04.02.01/ 1997-98 | 26.11.1997 | निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दर |
| 67. | औनिऋवि. सं. 11/04.02.01/ 1997-98 | 21.10.1997 | निर्यात ऋण - ब्याज दर |
| 68. | औनिऋवि. सं. 9/04.02.01/ 1997-.98 | 12.09.1997 | निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दर |
| 69. | औनिऋवि.सं 1/04.02.01/1997-98 | 05.07.1997 | मानित निर्यातों के लिये रियायती ऋण देना |
| 70. | औनिऋवि. सं. 32/04.02.01/ 1996-97 | 25.06.1997 | निर्यात ऋण - ब्याज दर |
| 71. | औनिऋवि. सं. 29/04.02.01/ 1996-97 | 17.04.1997 | दुबई में वेयरहाउस कम डिस्प्ले सेंटर के माध्यम से निर्यातों के मामले में पोतलदानोत्तर वित्त |
| 72. | औनिऋवि. सं. 27/04.02.01/ 1996-97 | 15.04.1997 | निर्यात ऋण - ब्याज दर |
| 73. | औनिऋवि. सं. 16/04.02.01/ 1996-97 | 22.11.1996 | मानित निर्यातों के लिये रियायती ऋण देना - बहुपक्षीय / द्विपक्षीय एजेंसियों / फंडों की सूची |
| 74. | औनिऋवि. सं. 15/04.02.01/ 1996-97 | 19.11.1996 | निर्यात ऋण -निर्यात ऋण गारंटी निगम - समग्र टर्नओवर पोतलदानोत्तर गारंटी योजना |
| 75. | औनिऋवि. सं. 10/04.02.01/ 1996-97 | 19.10.1996 | अग्रिमों पर ब्याज दर-पोतलदानोत्तर रुपया ऋण |
| 76. | औनिऋवि. सं. 2/04.02.01/ 1996-97 | 03.07.1996 | मध्यावधि और दीर्घावधि आधारपर (180 दिनों से बाद की अवधि के लिये आस्थगित ऋण)- पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दर |
| 77. | औनिऋवि. सं. 20/04.02.02/1995-96 | 07.02.1996 | अग्रिमों पर ब्याज दर - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण |
| 78. | औनिऋवि. सं. 30/04.02.02/1994-95 | 14.12.1994 | निर्यात पैकिंग ऋण के मामले में छूट |
| 79. | औनिऋवि. सं. 25/04.02.02/1994-95 | 10.11.1994 | निर्यात आदेश के उप - आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करने वाली देशी निर्यात साखपत्र प्रणाली |
| 80. | औनिऋवि. सं. 17/04.02.02/ 1994-95 | 11.10.1994 | निर्यात पैकिंग ऋण - ब्याज दरों में छूट |
| 81. | औनिऋवि. सं. 11/04.02.02/ 1994-95 | 05.09.1994 | निर्यात पैकिंग ऋण का समापन |
| 82. | औनिऋवि. सं. 5/04.02.02/ 1994-95 | 04.08.1994 | मानित निर्यातों के लिये रियायती ऋण देना- बहुपक्षीय / द्विपक्षीय एजेंसियों / फंडों की सूची |
| 83. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. 42/ 04.02.02/1993-94 | 07.05.1994 | सीआइएस और पूर्वी यूरोप के देशों को परेषण निर्यात - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण ब्याज दर |
| 84. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. 23/ 04.02. 02/1993-94 | 10.12.1993 | मानित निर्यातों के लिये रियायती ऋण देना - बहुपक्षीय / द्विपक्षीय एजेंसियों / फंडों की सूची |

| | | | |
|------|--|------------|--|
| 85. | औनिऋवि सं. ईएफडी. 2/ 04.02.02/1993-94 | 02.08.1993 | मानित निर्यातों के लिये रियायती ऋण देना |
| 86. | औनिऋवि सं. 16/ईएफडी/ बीसी/819/पीओएल- ईसीआर/91-92 | 15.12.1992 | विदेश स्थित वेयरहाउसों के माध्यम से भंडारण और विक्री के लिए निर्यात वित्त |
| 87. | औनिऋवि. सं. 56/ईएफडी. बीसी. 819/ पीओएल- ईसीआर/91-92 | 14.03.1992 | पोतलदानोत्तर ऋण दिया जाना - चालू सुविधा खाता |
| 88. | औनिऋवि. सं. 55/ईएफडी/ बीसी/819/पीओएल- ईसीआर/91-92 | 12.03.1992 | 180 दिनों से बाद की अवधि के लिये पोतलदान पूर्व ऋण |
| 89. | औनिऋवि. सं. 53/ईएफडी/बीसी/ 819/पीओएल-ईसीआर/1991-92 | 29.02.1992 | निर्यात ऋण पर ब्याज दर |
| 90. | औनिऋवि. सं. 47/ईएफडी/बीसी / 819/पीओएल- ईसीआर/ 1991-92 | 25.01.1992 | पैकिंग ऋण - चालू सुविधा खाता |
| 91. | औनिऋवि. सं. 31/ईएफडी बीसी/ 819/पीओएल- ईसीआर/ 1991-92 | 20.11.1991 | पैकिंग ऋण दिया जाना - चालू सुविधा खाता |
| 92. | औनिऋवि. सं. 25/ईएफडी बीसी/ 819/पीओएल- ईसीआर/ 1991-92 | 09.10.1991 | निर्यात ऋण ब्याज दरें |
| 93. | औनिऋवि. सं. 22/ईएफडी / बीसी/ 819/पीओएल- ईसीआर / 1991-92 | 27.09.1991 | पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण पर ब्याज दर |
| 94. | औनिऋवि. सं. 11/ ईएफडी/ बीसी/ 819/पीओएल- ईसीआर/ 1991-92 | 05.08.1991 | अग्रिमों पर ब्याज दर- निर्यात ऋण |
| 95. | औनिऋवि. सं. 2/ईएफडी/बीसी/ 819/पीओएल- ईसीआर/ 1991-92 | 09.07.1991 | निर्यात ऋण (ब्याज पर छूट) योजना 1968,- रुपया संसाधनों में से समायोजित पोतलदानोत्तर ऋण पर ब्याज |
| 96. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 49/ 819-पीओएल-ईसीआर/ 1991 | 22.04.1991 | अग्रिमों पर ब्याज दर- निर्यात ऋण |
| 97. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 48 / 819-पीओएल-ईसीआर/1991 | 02.04.1991 | अग्रिमों पर ब्याज दर- निर्यात ऋण |
| 98. | औनिऋवि. सं. ईएफडी/बीसी. 47/ 819/पीओएल- ईसीआर./ 1991 | 01.04.1991 | अग्रिमों पर ब्याज दर- निर्यात ऋण |
| 99. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 44/डीडीबी (पी)- 1991 | 26.03.1991 | शुल्क वापसी ऋण योजना 1976- ब्रैंड रेट के अंतर्गत शुल्क वापसी पात्रता के बदले ब्याजमुक्त अग्रिमों की मंजूरी |
| 100. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 8/ 819-पीओएल-ईसीआर- 1989-90 | 28.09.1989 | निर्यात ऋण (ब्याज में छूट) योजना 1968 - सामान्य पारगमन अवधि- मांग बिल |
| 101. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी 253/ 819-पीओएल/ईसीआर/1989 | 27.05.1989 | निर्यात ऋण (ब्याज पर छूट) योजना 1968 - रुपया संसाधनों में से समायोजित पोतलदानोत्तर ऋण पर ब्याज |
| 102. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 250/ 380/पीओएल-ईसीआर/1989 | 29.04.1989 | शुल्क वापसी ऋण योजना, 1976 |

| | | | |
|------|---|------------|---|
| 103. | औनिऋवि. सं. ईएफडी.बीसी. 248 /819-पीओएल-ईसीआर- 1989 | 13.03.1989 | अग्रिम लाइसेंस / आयात - निर्यात पासबुक योजना के अंतर्गत पात्रता के बदले आयात हेतु पैकिंग ऋण |
| 104. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 240/819-पीओएल-ईसीआर-1989 | 03.03.1989 | निर्यात ऋण (ब्याज पर छूट) योजना 1968- नियामतों के लिए अग्रिम भुगतान रूप में सीधे प्राप्त चेकों, ड्राफ्टों इत्यादि की आय के बदले रियायती ऋण का प्रावधान |
| 105. | औनिऋवि. सं. ईएफडी/ 215/822- डब्ल्यूजीएम-एनओडी-1988 | 12.08.1988 | विदेश स्थित सिविल इंजिनियरिंग निर्माण संविदाएँ- परामर्शी सेवाएँ |
| 106. | औनिऋवि. सं. 197 /822- डब्ल्यूजीएम -एनओडी-1988 | 30.01.1988 | परियोजना निर्यात - भारतीय ठेकेदारों को ऋण सुविधाओं की मंजूरी |
| 107. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 188/ 819/ पीओएल-ईसीआर/ 1987 | 06.11.1987 | निर्यात ऋण (ब्याज पर छूट)योजना 1968-180 दिनों से अधिक समय के लिए पैकिंग ऋण दिया जाना - काजू और कृषि आधारित अन्य उत्पादों के लिए पैकिंग ऋण |
| 108. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 181/ 819-पीओएल- ईसीआर-1987 | 10.08.1987 | निर्यात ऋण गारंटी निगम- लंबे समय से बकाया निर्यात बिलों की वसूली- बैंकों द्वारा वसूली के प्रयास |
| 109. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 163/ 819/पीओएल-ईसीआर- | 04.03.1987 | निर्यात ऋण (ब्याज पर छूट) योजना, 1968 - सामान्य पारगमन अवधि के संबंध में स्पष्टीकरण |
| 110. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 153/ 819-पीओएल-पीआरइ-ईसीआर-87 | 03.01.1987 | निर्यात ऋण (ब्याज पर छूट) योजना 1968 - पोतलदानपूर्व अग्रिम- रियायती ब्याज दर |
| 111. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी.148 /819-पीओएल-ईसीआर-1986 | 24.11.1986 | निर्यात ऋण (ब्याज पर छूट) योजना 1968- मांग बिलों के आधार पर अग्रिमों पर ब्याज |
| 112. | बैंपवि. सं. डीआईआर. बीसी. 23/ सी. 96-86 | 28.02.1986 | निर्यातों के लिये पोतलदानपूर्व वित्त |
| 113. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 133/ 015- ईओयू-1985 | 21.11.1985 | शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाईयों को निर्यात ऋण |
| 114. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 127/ 819/पीओएल-ईसीआर/ 1985 | 08.10.1985 | निर्यात ऋण (ब्याज पर छूट) योजना 1968- भारत में आईबीआरडी / आईडीए / युनीसेफ से सहायताप्राप्त परियोजनाओं को की जाने वाली आपूर्ति के बदले आपूर्ति के बाद सुविधाएँ |
| 115. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 109/ 819/पीओएल-ईसीआर/ 1985 | 27.03.1985 | लौह अयस्क की आपूर्ति के लिए पोतलदानपूर्व ऋण |
| 116. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 103/ 819/पीओएल- ईसीआर/ 1985 | 04.02.1985 | निर्यात ऋण (ब्याज पर छूट) योजना 1968- पोतलदानपूर्व ऋण की मंजूरी - संविदाओं का प्रतिस्थापन आदि |
| 117. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 102/ 819/पीओएल-ईसीआर/ 1985 | 28.01.1985 | निर्यात ऋण - परेषण आधार पर वस्तुओं का निर्यात |
| 118. | औनिऋवि. सं. इएफडी. बीसी. 86/ सी. 819- पीओएल- ईसीआर/1984 | 15.03.1984 | निर्यात ऋण (ब्याज पर छूट) योजना, 1968 - निर्यात बिलों कि आय का प्रत्यावर्तन - स्पष्टीकरण |
| 119. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी.80 /015.ईओयू 1984 | 19.01.1984 | शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाईयों को निर्यात ऋण |

| | | | |
|------|--|------------|---|
| 120. | औनिःवि. सं. ईएफडी. बीसी. 75/सी. 297(पी)-1983 | 06.12.1983 | अफ्रीका को किए जाने वाले निर्यात के संबंध में रणनीति - निर्यात वित्त संबंधी स्थायी समिति के उप-समूह की रिपोर्ट का सारांश |
| 121. | बैंपवि. सं. ईएफडी. बीसी. 59 और 60 /सी. 297 पी-83 | 20.06.1983 | डी-आयल्ड और डी-फॉटेड केक्स के निर्यातकों को पैकिंग ऋण अग्रिम - संशोधित दिशानिर्देश |
| 122. | बैंपवि. सं. ईसीसी. बीसी 143, 144 /सी. 297 पी-80 | 09.12.1980 | पोतलदानपूर्व ऋण- ब्याज की अधिकतम दर - दिशानिर्देश |
| 123. | बैंपवि. सं. ईसीसी. बीसी. 172 / सी. 297 पी-79 | 04.12.1979 | निर्यात ऋण -निर्यात ऋण गारंटी निगम - समग्र टर्नओवर पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण गारंटी योजना |
| 124. | बैंपवि. सं. एसीसी. बीसी. 107/ सी. 297 पी(सी)-79 | 23.07.1979 | शुल्क वापसी ऋण योजना 1976- निर्धारित समय के भीतर ऋण खातों में समायोजन |
| 125. | बैंपवि. सं. ईसीसी. बीसी. 104/ सी. 297 पी- | 14.07.1979 | निर्यात ऋण -निर्यात ऋण गारंटी निगम - समग्र टर्नओवर पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण गारंटी योजना |
| 126. | बैंपवि. सं. ईसीसी. बीसी. 81/ सी. 297 पी-79 | 05.06.1979 | निर्यात ऋण - (ब्याज पर छूट) योजना 1968 - निर्यात बिलों को कवर करने के लिए आय का प्रत्यवर्तन |
| 127. | बैंपवि. सं. ईसीसी. बीसी. 73/ सी. 297 (ओ) (12)-79 | 02.06.1979 | निर्यात ऋण - हीरों का निर्यात |
| 128. | बैंपवि. सं. एसीसी. बीसी. 118/C. 297 पी-(सी)79 | 07.04.1979 | शुल्क वापसी ऋण योजना 1976- संशोधित लेखाकरण प्रक्रिया |
| 129. | बैंपवि. सं. एसीसी. बीसी. 55/ सी. 297 पी (सी)-79 | 07.04.1979 | शुल्क वापसी ऋण योजना 1976 -संशोधन |
| 130. | बैंपवि. सं. एसीसी. बीसी. 38/ सी. 297 पी (सी)-79 | 06.03.1979 | शुल्क वापसी ऋण योजना 1976-छूट |
| 131. | बैंपवि. सं. ईसीसी. बीसी 14, 15/सी. 297 पी-79 | 22.01.1979 | निर्यात ऋण -पोतलदानपूर्व ऋण- ब्याज की अधिकतम दर - निदेश |
| 132. | बैंपवि. सं. ईसीसी. बीसी. 9/ सी. 297 पी-79 | 15.01.1979 | मुक्त व्यापार/ निर्यात संवर्धन क्षेत्रों में इकाईयों को अग्रिम |
| 133. | बैंपवि. सं. एसीसी. बीसी. 70/सी. 297 पी (सी)-79 | 18.05.1978 | शुल्क वापसी ऋण योजना,1976- भारिबैंक द्वारा दिये गये अग्रिमों की चुकोती के प्रति समायोजन द्वारा उधारकर्ता बैंक के ऋण खाते में जमा |
| 134. | बैंपवि. सं. ईसीसी.बीसी. 57/ सी. 297 एल (आइडी) जीईएन-78 | 04.05.1978 | निर्यात ऋण- बोली बांड/गारंटियां जारी करने के लिए कार्य दल से स्वीकृति लेने हेतु बैंकों को सूचित किया - विदेशी निर्माण संविदाएं |
| 135. | बैंपवि. सं. ईसीसी. बीसी.45/ सी.297 (ओ)(12)-78 | 29.03.1978 | निर्यात ऋण - हीरों के निर्यात के लिए बैंक वित्त के संबंध में |
| 136. | बैंपवि. सं. ईसीसी. बीसी. 39 और 40/सी.297 पी.-78 | 08.03.1978 | निर्यात ऋण -ब्याज पर उच्चतम दर - निदेश |
| 137. | बैंपवि. सं. ईसीसी. बीसी.82/ सी. 297एल (4.1)-77 | 04.07.1977 | निर्यात ऋण - विदेशी निर्माण संविदाओं के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश |
| 138. | बैंपवि. सं. ईसीसी. बीसी.55/ सी. 297 पी -77 | 28.05.1977 | आस्थगित अदायगी शर्तों पर दिया गया पोतलदानोत्तर ऋण - पूंजी तथा उत्पादक वस्तुओं का निर्यात - उच्च मूल्य की अभियांत्रिकी तथा उपकरण वस्तुएं |

| | | | |
|------|--|------------|---|
| 139. | बैंपविवि. एसीसी. बीसी. 52/सी. 297 पी (सी)-77 | 25.05.1977 | शुल्क वापसी ऋण योजना, 1976 -बैंकों को वास्तविक ढंग से सीमाएँ निर्धारित करने संबंधी सूचना |
| 140. | बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी.31/सी 297 एम.-77 | 29.03.1977 | निर्यात ऋण (ब्याज सब्सिडी) योजना , 1968 - एचपीएस ग्राउंडनट के तथा डी-आयल्ड और डी-फॉटेड केक्स के निर्यातकों को पैकिंग ऋण अग्रिम - ब्याज सब्सिडी दावों तथा रियायती ब्याज दरों के संबंध में स्पष्टीकरण |
| 141. | बैंपविवि.सं.ईसीसी.बीसी.8/सी.297 एम.-77 | 13.01.1977 | निर्यात ऋण (ब्याज सब्सिडी) योजना, 1968 -अनाहरित शेषराशियों तथा प्रतिधारण राशि की जमानत पर अग्रिम |
| 142. | बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी.154/297 पी - 76 | 27.12.1976 | निर्यात ऋण - केवल 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दिये गये पोतलदानोत्तर ऋण पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से संबंधित स्पष्टीकरण |
| 143. | बैंपविवि. एसीसी. बीसी.66/सी. 297पी (सी)-76 | 23.06.1976 | शुल्क वापसी ऋण योजना, 1976 - बैंकों द्वारा भारिबैंक से एक बारगी आहरण की न्यूनतम राशि को 1 लाख रुपए से घटाकर 20000 रु. करना |
| 144. | बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी.38/सी. 297 पी-76 | 22.03.1976 | निर्यात ऋण (ब्याज सब्सिडी) योजना, 1968- पैकिंग ऋण अग्रिम |
| 145. | बैंपविवि.एसीसी. बीसी. 25/सी 297 पी (सी)-76 | 21.02.1976 | शुल्क वापसी ऋण योजना, 1976 - योजना के अंतर्गत अग्रिम मंजूर करते समय लदान पत्र आदि के सत्यापन के संबंध में बैंकों को सूचना |
| 146. | बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी. 20/सी 297 पी -76 | 09.02.1976 | पोतलदानपूर्व ऋण- विदेशी खरीदारों से प्राप्त केबल सूचनाओं के आधार पर जूट मिलों को पैकिंग ऋण सुविधाएँ प्रदान करने हेतु बैंकों को सूचना |
| 147. | बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी.19/ सी 297 पी -76 | 09.02.1976 | पोतलदानपूर्व ऋण- निर्यात गृहों / एजेन्सियों के माध्यम से संविदाओं के प्रतिस्थापन और निर्यात के वित्तपोषण के संबंध में परिचालनगत लचीलेपन की छूट |
| 148. | बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी.16 /सी. 297 एल (एलएफ)-76 | 06.02.1976 | निर्यात ऋण - कालीन के निर्यातक - ऐसे निर्यात ऋण प्रस्तावों पर तत्पर कार्रवाई करने हेतु अपने शाखा प्रबंधकों / क्षेत्रीय प्रबंधकों को पर्याप्त अधिकार देने हेतु बैंको को सूचना |
| 149. | बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी. 12/सी. 297 (एल-11)-76 | 27.01.1976 | निर्यात ऋण- परामर्शी सेवाओं का निर्यात - आवश्यक सहायता देने हेतु बैंकों को सूचना |
| 150. | बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी.2/सी 297 एल (16)-76 | 07.01.1976 | शुल्क वापसी ऋण योजना, 1976 |
| 151. | बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी. 91 /सी. 297 पी-75 | 23.10.1975 | निर्यात ऋण -प्रदर्शनी और विक्रय के लिए माल का निर्यात -विदेश में प्रदर्शनी और विक्रय के लिए उत्पादन हेतु बैंकों द्वारा रियायती ब्याज दर लिया जाना। |
| 152. | बैंपविवि. ईसीसी. बीसी. 57 /सी. 297 पी-75 | 14.08.1975 | निर्यात ऋण- परामर्शी सेवाओं का निर्यात - तकनीकी तथा अन्य स्टाफ के व्यय की भरपाई हेतु परामर्शी अनुबंधों के बदले बैंकों द्वारा ऋण सीमा का निर्धारण |

| | | | |
|------|--|------------|--|
| 153. | बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी. 33 /33 /सी. 297 पी-75 | 19.04.1975 | आस्थगित भुगतान शर्तों पर पोतलदान पश्च ऋण - एक वर्ष से अधिक समय के लिये 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती दर से ब्याज लगाने के लिए बैंकों को सूचित किया जाना । |
| 154. | बैंपविवि बीएम. बीसी. 7 /सी. 297 पी-74 | 12.01.1974 | निर्यात ऋण- मात्रा और अवधि के संबंध में निर्यात ऋण के उपयोग पर निगरानी रखने हेतु बैंकों को सूचित किया जाना । |
| 155. | बैंपविवि. बीएम. बीसी. 81/सी. 297 एम -73 | 18.07.1973 | पोतलदानपूर्व ऋण योजना तथा निर्यात ऋण (ब्याज सब्सिडी) योजना, 1968 - भारत में आईबीआरडी/आईडीए/ युनीसेफ से सहायताप्राप्त परियोजनाओं कार्यक्रमों को आपूर्ति के बदले पैकिंग ऋण सुविधाएँ, पुनर्वित्त और ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र है । |
| 156. | बैंपविवि बीएम. बीसी. 58/सी. 297 पी-73 | 31.05.1973 | पोतलदानपूर्व ऋण योजना - बहुमूल्य और कम बहुमूल्य रत्नों और सिन्थेटिक पत्थरों का निर्यात- एक विशेष (पोतलदानपश्च) खाते में पैकिंग ऋण अग्रिमों के बकाया शेष को स्थानांतरित का समायोजित करने संबंधी स्पष्टीकरण । |
| 157. | बैंपविवि. बीएम. बीसी. 120/ सी. 297 पी-72 | 06.12.1972 | निर्यात के लिए निर्यातकों को अयस्क की आपूर्ति करने वाले गोवा के लौह अयस्क खोदने वालों को पैकिंग ऋण अग्रिम । |
| 158. | बैंपविवि. बीएम बीसी. 97/सी. 297(एम)-72 | 30.10.1972 | पोतलदानपूर्व ऋण योजना तथा निर्यात ऋण (ब्याज सब्सिडी) योजना 1968 - नकद प्रोत्साहन, कर वापस लेना आदि - ईसीजीसी योजना संबंधी स्पष्टीकरण । |
| 159. | बैंपविवि. बीएम. बीसी. 74/ सी. 297(एम)-72 | 30.08.1972 | पोतलदानपूर्व ऋण योजना तथा निर्यात ऋण योजना, 1968 - नकद प्रोत्साहन, कर वापस लेना आदि - ईसीजीसी योजना संबंधी स्पष्टीकरण । |
| 160. | बैंपविवि बीएम. बीसी. 70 /सी. 297 पी-72 | 09.08.1972 | खनिज अयस्कों के निर्यात संबंधी पैकिंग ऋण अग्रिम |
| 161. | बैंपविवि बीएम. बीसी 62 /सी. 297 (एम)-71 | 21.05.1971 | पोतलदानपूर्व ऋण योजना तथा निर्यात ऋण (ब्याज सब्सिडी) योजना, 1968- वित्त के अंतिम कड़ी तक उपयोग पर न सिर्फ सूक्ष्म निगरानी रखने बल्कि निर्यात आदेशों को समय से पूरा करने और समयावधि बढ़ाने के आवेदनों की सावधानीपूर्वक जाँच करने के लिए बैंकों को सूचित किया जाना । |
| 162. | बैंपविवि. एस. बीसी. 51 /सी.96 -71 | 16.04.1971 | पैकिंग ऋण और पोतलदानपश्च ऋण - ब्याज दर का स्वरूप - पैकिंग ऋण के लिए 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की सीमा तथा निर्यातकों को आस्थगित भुगतान शर्तों पर दिए गए ऋणों के अलावा पोतलदान पश्च ऋण |

| | | | |
|------|--|------------|---|
| 163. | बैंपविवि. बीएम. 64/सी. 297 पी-70 | 12.01.1970 | पोतलदानपूर्व ऋण योजना - बहुमूल्य, कम बहुमूल्य पत्थरों, रत्नों और सिंथेटिक पत्थरों का निर्यात |
| 164. | बैंपविवि. बीएम. 1152/ सी. 297 (एम) -69 | 11.07.1969 | रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(3 क) के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों को अग्रिम - उन निर्यातकों को अग्रिम जिनके पास साखपत्र नहीं है या जिनके निर्यात आदेश नहीं है तथा जो राज्य व्यापार निगम, खनिज और धातु व्यापार निगम एवं अन्य निर्यात गृहों के माध्यम से अपने निर्यात करते हैं - स्पष्टीकरण |
| 165. | बैंपविवि बीएम. 1064 /सी.297 पी - 69 | 01.07.1969 | हीरों के निर्यात के संबंध में पोतलदानपूर्व ऋण योजना |
| 166. | बैंपविवि बीएम.1040 /सी.297पी-69 | 27.06.1969 | पोतलदानपूर्व ऋण योजना - चमड़ों की वस्तुओं के निर्यात हेतु राज्य व्यापार निगम को चमड़े की वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले चर्मकारों को दिये जानेवाले अग्रिमों को बैंकिंग ऋण मानना |
| 167. | बैंपविवि बीएम. 984 /सी.297 पी 69 | 19.06.1969 | पोतलदानपूर्व ऋण- निर्माण संविदाकारों को दिये जानेवाले कतिपय अग्रिमों को बैंकिंग ऋण मानना |
| 168. | बैंपविवि बीएम. 682/सी.297 के- 69 | 07.04.1969 | निर्यात ऋण- ब्याज लगाना |
| 169. | बैंपविवि बीएम. 588/सी.297 ए-69 | 26.03.1969 | मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कार्पोरेशन के ज़रिए अयस्क के निर्यात से संबंधित बैंकिंग ऋण अग्रिमों का पुनर्वित्तपोषण |
| 170. | बैंपविवि बीएम.254/सी.297 ए-69 | 14.02.1969 | बैंकिंग ऋण अग्रिम- स्पष्टीकरण- ऐसे अग्रिमों की मंजूरी खोले जाने वाले किसी साख पत्र पर निर्भर नहीं होनी चाहिए |
| 171. | बैंपविवि बीएम. 1489/सी.297ए-68 | 07.11.1968 | बैंकिंग ऋण अग्रिम- ऐसे अग्रिम किस अवधि के लिए दिये जाए- स्पष्टीकरण |
| 172. | बैंपविवि बीएम. 1179/सी.297ए-68 | 19.08.1968 | काजू के निर्यात संबंधी बैंकिंग ऋण अग्रिमों का पुनर्वित्तपोषण- अधिकतम ब्याज दर लागू होने का स्तर- अतिरिक्त स्पष्टीकरण |
| 173. | बैंपविवि बीएम. 974 /सी.297ए-68 | 27.06.1968 | काजू के निर्यात से संबंधित बैंकिंग ऋण सुविधाएँ |
| 174. | बैंपविवि बीएम. 785/सी.297ए-68 | 18.05.1968 | काजू के निर्यात से संबंधित बैंकिंग ऋण सुविधाएँ |
| 175. | बैंपविवि बीएम.558 /सी.297ए-68 | 06.04.1968 | निर्यातकों को बैंकिंग ऋण सुविधाएँ |

| | | | |
|------|---------------------------------|------------|--|
| 176. | बैंपविदि बीएम. 2732/सी.297के-63 | 13.03.1963 | निर्यात बिल ऋण योजना - योजना की मुख्य-मुख्य बातें - क्रियाविधियाँ |
|------|---------------------------------|------------|--|

**विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर
मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची**

| क्र. सं. | परिपत्र सं. | दिनांक | विषय |
|----------|--|------------|---|
| 1. | बैंपविवि.डीआइआर.सं.100/04.02.001/2011-12 | 04.05.2012 | विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दरें विनियंत्रित करना |
| 2. | बैंपविवि.डीआइआर.सं.91/04.02.001/2011-12 | 30.03.2012 | विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दरें |
| 3. | बैंपविवि.डीआइआर.सं.52.04.02.001/2011-12 | 15.11.2011 | विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दरें |
| 4. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) सं. 76/04.02.02/ 2009-10 | 19.02.2010 | विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दरें |
| 5. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) सं. 07/04.02.02/ 2009-10 | 01.07.2009 | निर्यातकों को रुपया/विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण और ग्राहक सेवा संबंधी मास्टर परिपत्र |
| 6. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) सं. 107/ 04.02.01/ 2008-09 | 05.02.09 | विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दरें |
| 7. | बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) सं. 78/04.02.02/ 2005-06 | 18-04-2006 | विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दरें |
| 8. | बैंपविवि. औनिऋवि. सं. 66/ 04.02.02/ 2004-05 | 31.12.2004 | निर्यातकों के लिए विदेशी मुद्रा ऋण-ब्याज की आवधिकता |
| 9. | औनिऋवि. सं. 12/ 04.02.02/ 2003-04 | 18.05.2004 | निर्यातकों के लिये गोल्ड कार्ड योजना |
| 10. | औनिऋवि. सं. 12/ 04.02.02/ 2002-03 | 31.01.2003 | विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण - निधि का स्रोत |
| 11. | औनिऋवि. सं. 9/04.02.02/ 2002-03 | 31.10.2002 | निर्यात ऋण- पैकिंग ऋण परिसमापन तथा रुपये पैकिंग ऋण के अंतर्गत आहरणों का पीसीएफसी में परिवर्तन |
| 12. | औनिऋवि. सं. 21/ 04.02.01/ 2001-02 | 29.04.2002 | विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दर |
| 13. | औनिऋवि. सं. 14/04.02.01/ 2000-01 | 19.04.2001 | विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दर |
| 14. | औनिऋवि. सं. 13/04.02.02/ 1999-2000 | 17.05.2000 | डायमंड डालर खाता योजना के अंतर्गत काम कर रहे निर्यातकों को विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण |
| 15. | औनिऋवि. सं. 47/3840/ 04.02.01/97-98 | 11.06.1998 | विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण |
| 16. | औनिऋवि. सं. 28/04.02.01/96-97 | 17.04.1997 | विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण दिया जाना |
| 17. | औनिऋवि. सं. 22/04.02.01/95-96 | 29.02.1996 | निर्यात ऋण - विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण |

| | | | |
|-----|---------------------------------------|------------|---|
| 18. | औनिऋवि. सं. 15/ 04.02.15/ 95-96 | 22.12.1995 | एशियाई समाशोधन संगठन के सदस्य देशों को निर्यात - विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण मंजूर किया जाना - निर्यात बिल रीडिस्काउंटिंग योजना और विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट पोतलदानोत्तर ऋण योजनाएँ |
| 19. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. 40/ 04.02.15/94-95 | 18.04.1995 | विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट पोतलदानपूर्व ऋण - वायदा विनिमय सुरक्षा |
| 20. | औनिऋवि. सं. 30/04.02.02/94-95 | 14.12.1994 | निर्यात पैकिंग ऋण के मामले में छूट |
| 21. | औनिऋवि. सं. 27/04.02.15/94-95 | 14.11.1994 | विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट पोतलदानपूर्व ऋण के अंतर्गत पैकिंग ऋण में हिस्सेदारी |
| 22. | औनिऋवि. सं. 13/ 04.02.02/ 94-95 | 26.09.1994 | विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट पोतलदानपूर्व ऋण योजना - एक निर्यातोन्मुख इकाई/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाई द्वारा दूसरी निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाई को आपूर्ति |
| 23. | औनिऋवि. सं. 10/04.02.15/ 94-95 | 03.09.1994 | विदेशी मुद्राओं में निर्यात वित्त |
| 24. | औनिऋवि. सं. ईएफडी.43/ 04.02.15/93-94 | 18.05.1994 | विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण - 'चालू खाता' सुविधा उपलब्ध कराया जाना |
| 25. | औनिऋवि. सं. ईएफडी.37/ 04.02.15/93-94 | 30.03.1994 | विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण - स्पष्टीकरण / छूट |
| 26. | औनिऋवि. सं. ईएफडी.32/ 04.02.11/93-94 | 03.03.1994 | निर्यात बिलों की विदेश में रीडिस्काउंटिंग और विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण - विथोल्डिंग टैक्स |
| 27. | औनिऋवि. सं. ईएफडी.31/ 04.02.15/93-94 | 03.03.1994 | विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण - हीरों के निर्यात के लिए 'चालू खाता' सुविधा उपलब्ध कराया जाना |
| 28. | औनिऋवि. सं. ईएफडी.30/ 04.02.15/93-94 | 28.02.1994 | विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण - स्पष्टीकरण |
| 29. | औनिऋवि. सं. ईएफडी.21/ 04.02.15/ 93-94 | 08.11.1993 | विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण - |
| 30. | औनिऋवि. सं. ईएफडी.14 / 04.02.11/93-94 | 06.10.1993 | निर्यात बिलों की विदेश में रीडिस्काउंटिंग |

निर्यात ऋण - ग्राहक सेवा
पर मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

| क्रमांक | परिपत्र सं. | दिनांक | विषय |
|---------|---|------------|---|
| 1. | बैंपविवि.डीआईआर. सं. 34/ 04.02.01/ 2012-13 | 01.08.2012 | अग्रिम - फुटकर (आउट ऑफ पाकेट) खर्च |
| 2. | बैंपविवि.डीआईआर.(ईएक्सपी) बीसी सं. 38/ 04.02.01 (डब्ल्यूजी)/2006-07 | 14.11.2006 | निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए कार्यकारी दल की सिफारिशें |
| 3. | बैंपविवि.डीआईआर.(ईएक्सपी) बीसी सं. 61/04.02.01 (डब्ल्यूजी)/2005-06 | 07.02.2006 | निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए कार्यकारी दल की सिफारिशें |
| 4. | बैंपविवि. आईईसीएस सं. 43/ 04.02.10/2004-05 | 17.09.2004 | राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति का समापन तथा राज्य स्तरीय बैंकर समिति के अंतर्गत अलग उप-समिति का गठन |
| 5. | औनिऋवि. 14/ 01.01.43/ 2003-04 | 30.6.2004 | भारतीय रिज़र्व बैंक के औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग के कार्यों का बैंक के अन्य विभागों के साथ विलयन |
| 6. | औनिऋवि. 12/04.02.02/ 2003-04 | 18.05.2004 | निर्यातकों के लिये गोल्ड कार्ड योजना |
| 7. | औनिऋवि. 12/04.02.01/ 2003-04 | 18.05.2004 | गोल्ड कार्ड धारक निर्यातकों के लिए निर्यात ब्याज दरें |
| 8. | औनिऋवि. 23/ 04.02.02/ 2001-02 | 07.05.2002 | मानित निर्यातों के लिये रियायती रुपया निर्यात ऋण |
| 9. | औनिऋवि. 21/ 04.02.01/ 2001-02 | 29.04.2002 | विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याजदर |
| 10. | औनिऋवि. 3/ 04.02.01/ 2001-02 | 30.08.2001 | हीरा निर्यातकों को दिया गया ऋण - कॉन्फ्लक्ट डायमंड के आयात पर प्रतिबंध |
| 11. | औनिऋवि. सं. 7/ 04.02.02/ 2000-01 | 05.12.2000 | हीरा निर्यातकों को दिया गया ऋण - कॉन्फ्लक्ट डायमंड के आयात पर प्रतिबंध |
| 12. | औनिऋवि. सं. 4/ 04.02.02/ 2000-2001 | 10.10.2000 | निर्यात ऋण - कार्यविधि में सुधार के संबंध में निर्यातकों को सुझाव |
| 13. | औनिऋवि. सं. 1/3840 / 04.02.02 / 97-98 | 13.07.2000 | हीरा निर्यातकों को दिया गया ऋण - कॉन्फ्लक्ट डायमंड के आयात पर प्रतिबंध |
| 14. | औनिऋवि. सं. 3/ 04.02.01/ 99-2000 | 07.09.1999 | निर्यात ऋण दिये जाने संबंधी कार्यविधि का सरलीकरण |
| 15. | औनिऋवि. सं.17/ 04.02.01/ 95-96 | 28.02.99 | अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी दरों पर विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण कार्यविधि का सरलीकरण |

| | | | |
|-----|--|----------|---|
| 16. | औनिऋवि. सं. ईएफडी 30/ 04.02.02/97-98 | 31.12.97 | निर्यात ऋण संबंधी आँकडे |
| 17. | औनिऋवि. सं. ईएफडी 27/ 04.02.02/ 95-96 | 05.06.96 | निर्यात ऋण संबंधी आँकडे बैंकों द्वारा विवरणियों की प्रस्तुती |
| 18 | औनिऋवि. सं. ईएफडी 48 / 04.02.02/ 94-95 | 22.05.95 | निर्यात ऋण संबंधी आँकडे |
| 19. | औनिऋवि. सं. 9/04.02.02/ 94- 95 | 29.08.94 | निर्यात ऋण - बैंकों के कार्यनिष्पादन के सूचक |
| 20. | औनिऋवि सं.. ईएफडी 45/04.02.02/ 93-94 | 03.05.94 | निर्यात ऋण संबंधी आँकडे |
| 21. | औनिऋवि सं. ईएफडी.22/04.02.02/ 93-94 | 08.12.93 | निर्यात ऋण ढांचा संबंधी समिति ऋणों और अग्रिमों की विशेष रूप से निर्यात ऋण के संदर्भ में मंजूरी प्रक्रिया में संशोधन |
| 22. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. 18/ 04.02.02/ 93-94 | 20.10.93 | निर्यात बिलों की आय जमा होने में विलंब होने पर निर्यातकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान |
| 23. | औनिऋवि. सं. ईएफडी.18/819/ पीओएल/ईसीआर/ 92-93 | 26.12.92 | निर्यात ऋण लक्ष्य |
| 24. | औनिऋवि. सं. ईएफडी/819 - पीओएल/ईसीआर /92-93 | 05.11.92 | उधारकर्ताओं को, विशेषतः निर्यातकों के संबंध में, ऋण सीमाओं की मंजूरी में विलंब |
| 25. | औनिऋवि. सं. 3/ ईएफडी/बीसी/ 819/ पीओएल-ईसीआर/92-93 | 24.08.92 | निर्यात ऋण संबंधी आँकडे |
| 26 | बैंपववि. सं. बीपी. बीसी.58/ सी. 469-91 | 07.12.91 | बैंकों में ऋण की मंजूरी में निर्यातकों को होने वाला विलंब |
| 27. | औनिऋवि सं. ईएफडी. 17/003 - एसईएम /91-92 | 31.08.91 | निर्यातों का वित्तपोषण |
| 28. | औनिऋवि सं. ईएफडी. बीसी 40/ 819- पीओएल-ईसीआर/91 | 04.03.91 | समय से और पर्याप्त निर्यात ऋण की व्यवस्था |
| 29. | औनिऋवि सं. ईएफडी/बीसी 35 / 819/पीओएल/ईसीआर /90-91 | 15.01.91 | निर्यात ऋण संबंधी आँकडे |
| 30. | औनिऋवि. सं. ईएफडी. बीसी. 191/ 819- पीओएल-ईसीआर / 87 | 24.11.87 | निर्यातों का वित्तपोषण -समय से और पर्याप्त निर्यात ऋण की व्यवस्था |
| 31. | बैंपविवि सं बीपी बी सी 47/ सी. 469 (डब्ल्यू) 87 | 08.10.87 | निर्यातकों को होने वाली कठिनाइयाँ |
| 32. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 73/ सी. 469(डब्ल्यू) 84 | 02.08.84 | निर्यातकों को होने वाली कठिनाइयाँ |
| 33. | औनिऋवि सं. ईएफडी.बीसी 24 / 819- पीओएल-ईसीआर /84 | 28.05.84 | निर्यातों का वित्तपोषण |

| | | | |
|-----|---|----------|---|
| 34. | बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी. 67/ सी 469 एल (12)- 81 | 02.06.81 | निर्यात ऋण से संबंधित आंकड़े - विवरणों का प्रस्तुतीकरण |
| 35. | बैंपविवि .सं . ईसीसी. बीसी. 53/ सी.297 पी- 78 | 17.04.78 | निर्यातों का वित्तपोषण- छोटे निर्यातको तथा परम्परागत मर्दों से अन्य मर्दों के निर्यातकों को परामर्श की आवश्यकता |
| 36. | बैंपविवि. बीएम. 680/सी. 297 के -69 | 07.04.69 | बैंकों द्वारा निर्यात परामर्शदाता कार्यालय खोला जाना |
